12

भारतीय खाद्य निगम

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-22)

बारहवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

बारहवां प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

भारतीय खाद्य निगम

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

[भारतीय खाद्य निगम के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

4 फरवरी, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

4 फरवरी, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2021/ माघ, 1943 (शक)

सीपीयू सं. 1027

मूल्य: रु.

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		iv
प्राक्कथन		vi
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....	19
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	83
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है	84
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं ।	85

अनुबंध

सिफारिश (क्र. सं.1) के बारे में सरकार के उत्तर संबंधी अनुबंध 85

परिशिष्ट

एक समिति की 21 दिसम्बर, 2021 को हुई उन्नीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश.....124

दो भारतीय खाद्य निगम के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण.....126

<u>सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना</u>

श्री संतोष कुमार गंगवार - *सभापति*

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
6. श्रीमती पूनमबेन माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य

17. श्री अनिल देसाई

18. श्री सैय्यद नासिर हुसैन

19. श्री ओम प्रकाश माथुर

20. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

21. श्री के.सी. रामामूर्ति

22. श्री एम.शनमुगम

सचिवालय

1. श्री आर.सी.तिवारी	-	संयुक्त सचिव
2. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
3. श्री जी. सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
4. श्रीमती स्मिता खाडे	-	समिति अधिकारी

* **श्रीमती मीनाक्षी लेखी के 07 जुलाई, 2021 को मंत्री नियुक्त किए जाने पर श्री संतोष कुमार गंगवार को 13 अगस्त, 2021 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।**

प्राक्कथन

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'भारतीय खाद्य निगम' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोकसभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित यह बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन 29 जनवरी, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 34 सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) से 30 जुलाई, 2021 को प्राप्त हो गए थे।

3. समिति ने 21 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। बैठक के कार्यवाही सारांश परिशिष्ट-एक पर दिए गए हैं ।

4. समिति (17वीं लोकसभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली;
24 जनवरी, 2022
04 माघ, 1943 (शक)

संतोष कुमार गंगवार
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

अध्याय-एक

समिति का यह प्रतिवेदन "भारतीय खाद्य निगम" विषय पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (**17**वीं लोक सभा)**,** जिसे **29** जनवरी**, 2021** को संसद में प्रस्तुत किया गया था**,** में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है। इसमें 34 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

2. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 34 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय दो)

क्रम सं**.** 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 **(**कुल **32)**

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है। (अध्याय तीन)

शून्य **(**कुल **00)**

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है। (अध्याय-चार)

क्रम सं**.** 3 **(**कुल **01)**

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं और अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं । (अध्याय पांच)

क्रम सं**.** 20 **(**कुल **01)**

3. समिति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से अनुरोध करती है कि वह प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण/उत्तर प्रस्तुत करे । आगे समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर 3 महीने के भीतर अंतिम और व्यापक की-गई-कार्रवाई टिप्पण/उत्तर भी प्रस्तुत किए जाएं जिन पर सरकार द्वारा अंतरिम/अधूरी सूचना/उत्तर दिए गए हैं।

4. समिति अब अनुवर्ती पैराओं में कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी।

<u>भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड</u>

सिफारिश (क्रम सं. 2)

5. समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति ने नोट किया कि खाद्य निगम अधिनियम 1964 की धारा 7(1) के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में 12 निदेशक होंगे, अर्थात्- (क) अध्यक्ष, तीननिदेशक(i) खाद्य (ii) वित्त और (iii) सहकारिता के कार्य को देखने वाले मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं (ग) केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के प्रबंध निदेशक (घ) प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम और (ड़) छह अन्य निदेशक। अधिनियम की धारा 7 के खंड (2) के अनुसार, एमडी, सीडब्ल्यूसी को छोड़कर निगम के सभी निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। समिति ने हालांकि यह देखा कि 12 सदस्यों की अनिवार्य संख्या के मुकाबले, केवल नौ सदस्य वास्तव में निगम के बोर्ड में 31 दिसंबर 2019 को पद पर थे।समिति को बोर्ड में रिक्त पदों के विशिष्ट कारणों और इन रिक्तियों को भरने के लिए की-गई-कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भी अवगत नहीं कराया गया था। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम इन रिक्तियों के होने की तारीख और इन रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक की गई कार्रवाई के साथ बोर्ड में तीन निदेशकों की रिक्तियों के होने के कारणों पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करें। समिति, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड में रिक्त पदों का

निश्चित रूप से इसके प्रभावी कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा, दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि बोर्ड में रिक्तियों को खाद्य निगम अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके सेतुरंत भरा जाए। । समिति को मामले में की गई कार्रवाई से तीन महीने की अवधि के भीतर अवगत कराया जाए।"

6. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया :-

"समिति की सिफारिश नोट की गई है।गैर-आधिकारिक निदेशक के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त, यह बताया गया है कि भाखानि निदेशक बोर्ड के **12** सदस्यों की अनिवार्य संख्या के प्रति भाखानि के निदेशक बोर्ड में **11** पद मौजूद हैं चूंकि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पदों के विलय सी एवं एमडी के रूप में हुआ है। **31** दिसम्बर**, 2019** तक निदेशक बोड के **9** पदों को भरा गया तथा निदेशक बोर्ड के दो पदों को भरने के लिए लंबे समय से अनुमोदन हेतु लोक उद्यम विभाग में दो पैनल लंबित है।

गैर-आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति प्रकियाधीन है। किसी नियुक्ति के लिए, यह अपेक्षित है कि डीपीई के पास मामला लाया जाए। यह उल्लिखित है कि डीपीई द्वारा डाटा बैंक रखा जा रहा है तथा व्यक्ति जो अपना नाम डाटा बैंक में शामिल करवाने में इच्छुक है वे अपना रेस्यूमे , डीपीई को यह सुनिश्चित करने के बाद कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं, भेजने की आवश्यकता है।प्रस्ताव माननीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात डीपीई को खोज (सर्च) समिति के लिए भेजा गया। खोज (सर्च) समिति के विचार के पश्चात नाम डीओपीटी के कैबिनेट की नियुक्ति समिति के समक्ष अंतिम नियुक्ति के लिए रखा जाता है।रिक्त पदों को भरने की इस परामर्शक प्रक्रिया में समय लगता है।"

7. समिति ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निदेशक मंडल (बीओडी) में रिक्त पदों को देखते हुए यह नोट किया कि 03.12.2019 **तक भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में 12 में से 3 निदेशक के पद रिक्त थे। समिति ने सिफारिश की थी कि बोर्ड में रिक्तियों को खाद्य निगम अधिनियम के धारा** 7 **के प्रावधानों के अनुसार अविलंब समयबद्ध तरीके से भरा जाए। उपभोक्ता मामले**, **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग) /एफसीआई ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया है कि गैर सरकारी निदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। स्वतंत्र निदेशकों के 3 पदों के मुद्दे पर समिति को उत्तरों से ज्ञात**

हुआ है कि यह 2019 से अभी तक प्रक्रियाधीन है । यह इस तथ्य के बावजूद है कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) उम्मीदवारों का एक डेटा बैंक रखता है और समय-समय पर सीपीएसयू के बोर्ड में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के बारे में जानकारी रखता है। समिति यह समझने में असमर्थ है कि जब रिक्ति की तिथि की जानकारी डीपीई और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (मेसर्स सीए, एफएंडपीडी) को पहले से होती है और डाटा बैंक की भी व्यवस्था है तो बोर्ड में नियुक्तियों में विलंब क्यों होता है। समिति इस बात पर जोर देती है कि सरकार भविष्य में डीपीई को प्रस्ताव पहले से भेज दे ताकि खोज समिति के गठन की प्रक्रिया और सीपीएसयू के बोर्डों में अंतिम नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित समय सीमा में पूरी की जा सके ताकि विलंबित नियुक्तियों के कारण सीपीएसयू के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सिफारिश (क्रम सं. 3)

8. आगे सिफारिश सं. 3 में समिति ने निम्नवत पाया और सिफारिश की कि:-

"समिति के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि अधिनियम की धारा **7(1)** स्पष्ट रूप से तीन अलग-अलग मंत्रालयों अर्थात(**i)** खाद्य (**ii)** वित्त और (**iii)** सहकारिता से भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में एक-एक निदेशक की नियुक्ति करने का अनिवार्य प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती है। तथापि समिति ने यहभीपायाकि इन मंत्रालयों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक आधिकारिक निदेशक के मानदंड के विपरीत, भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में वास्तव में एक ही मंत्रालय से दो अधिकारी - **{(**एएस एंड एफए) और जेएस (पी एंड भारतीय खाद्य निगम)**}** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सेहैं और वित्त मंत्रालय से किसीभीअधिकारी को बोर्ड में नियुक्त नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से खाद्य निगम अधिनियम, **1964** की धारा **7** के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः समिति को उन कारणों से अवगत कराया जाए जिसमें एक मंत्रालय अर्थात् उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दो अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में नियुक्त किया गया है औरअनिवार्य आवश्यकता के बावजूद बोर्डमें वित्त मंत्रालय से कोई नियुक्ति नहीं कीगईहै। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार द्वारा खाद्य निगम अधिनियम, **1964** में यथा उपबंधित अनुपात में भारतीय

खाद्य निगम के बोर्ड में प्रत्येक तीन मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व को सही करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। समिति को तीन माह के भीतरमामलेपरकीगई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

9. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"एएस एण्ड एफए/एफए को मंत्रालय में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में विचार किया जाता है तथा भाखानि निदेशक बोर्ड में नियुक्त किया गया है।."

10. समिति ने नोट किया कि चूंकि भारतीय खाद्य निगम अधिनियम की धारा 7 (1) **में तीन अलग-अलग मंत्रालयों जैसे (**i) **खाद्य (**ii) **वित्त और (**iii) **सहकारिता के अनिवार्य प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड के गठन में एक ही मंत्रालय अर्थात प्रशासनिक मंत्रालय के भारतीय खाद्य निगम से दो अधिकारी थे और वित्त मंत्रालय से कोई नहीं था। यह अधिनियम की धारा** 7 (1) **में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः समिति ने इसके कारण जानने की मांग की और सिफारिश की कि सरकार द्वारा तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं जिसमे भारतीय खाद्य निगम बोर्ड में तीनों मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व हो। सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि एएस एंड एफए को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का प्रतिनिधि माना जाता है और तदनुसार उन्हें भारतीय खाद्य निगम के बीओडी में नियुक्त किया गया है। समिति यह पाती है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (एम/ओ सीए, एफएंडपीडी) के एएस एंड एफए को एम/ओ सीए, एफएएंडपीडी के दैनिक प्रशासन में कार्य करते हैं और एक मंत्रालय में पूर्णकालिक नौकरी करने के कारण उन्हें दूसरे मंत्रालय का अधिकारी नहीं माना जा सकता । भारतीय खाद्य निगम अधिनियम में भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि होने का आशय भारतीय खाद्य निगम में कार्यकरण और निर्णय लेने को अधिक पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना था न कि बोर्ड की स्वतंत्रता को क्षीण करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) या एम/ओसीए, एफ एंड पीडी को किसी भी प्रकार की ढील देना**

था। इस पृष्ठभूमि में समिति मंत्रालय में उस प्राधिकारी के विषय में जानना चाहेगी जिसने वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में सीए, एफ एंड पीडी के एएस एंड एफ ए की नियुक्ति पर विचार किया था । समिति मंत्रालय द्वारा दिए गए ऐसे तर्क की निंदा करती है और इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय निगम में बोर्ड स्तर पर नियुक्तियों के महत्व को कम समझने और काल्पनिक और अनुपयुक्त तर्कों द्वारा इसे उचित ठहराए जाने के संबंध में गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करे । अतः समिति भारतीय खाद्य निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में नियुक्तियां करने के लिए अपनी सिफारिश को दोहराती है।

सिफारिश (क्रम सं. 4)

11. आगे सिफारिश सं. 4 में समिति ने निम्नवत की:-

"समिति ने नोट किया कि खाद्य निगम अधिनियम की धारा **7(1)** अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के अलावा, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक भी भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में सदस्य होंगे।तथापि , समिति नेपाया कि निदेशक बोर्ड की वर्तमान संरचना में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक शामिल नहीं हैं। समिति का दृढ़ मत है कि खाद्य निगम अधिनियम के प्रावधानों का अनिवार्य रूपसे अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि खाद्य निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को शामिल करके बोर्ड की संरचना का पुनर्गठन किया जाए।"

12. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"खाद्य निगम अधिनियम **1964** के साथ-साथ भाखानि (कर्मचारीवृंद) अधिनियम **1971** के अनुसार भाखानि के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद अलग हैं।

वर्ष **2003** के दौरान,डीओपीटी द्वारा भाखानि के प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीवी.के. मल्होत्रा, आईएएस (यू.पी.**70)** को नियुक्त किया गया। त्पश्चात, वर्ष **2004** में,श्री

वी.के. मल्होत्रा, आईएएस (यू.पी.**70)** को प्रबंध निदेशक के पूर्ण अतिरिक्त प्रभार के साथ अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया । तब से , डीओपीटी द्वारा भाखानि के संस्थानागत शीर्ष की सभी नियुक्तियाँ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हुई। निदेशक बोर्ड में भाखानि के प्रबंध निदेशक को शामिल करने की सिफ़ारिश के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद की नियुक्ति किए जाने के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।."

13. समिति ने अपनी मूल रिपोर्ट में यह पाया कि निदेशक मंडल (बीओडी) की वर्तमान संरचना में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक शामिल नहीं हैं और सिफारिश की कि खाद्य निगम अधिनियम की धारा 7 (1) **के प्रावधानों के अनुपालन में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को बोर्ड में शामिल करने के लिए बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। समिति ने मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई उत्तर से यह नोट किया है कि भारतीय खाद्य निगम अधिनियम**, **1964 और भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम** 1971 **के अनुसार अध्यक्ष और भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक का पद अलग अलग है**, **लेकिन** 2004 **से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त अधिकारी को प्रबंध निदेशक का प्रभार भी दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को निदेशक मंडल में शामिल करने की सिफारिश के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।**

समिति उपभोक्ता मामले, **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (एम/ओसीए**, **एफ एंड पीडी) द्वारा दिए गए उत्तर से खुश नहीं है जिसकी जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना और डीओपीटी द्वारा की गई किसी भी ऐसी नियुक्ति पर आपत्ति उठाना था जो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम के अनुरूप नहीं है । समिति इस बात पर आशंका भी व्यक्त करती है कि डीओपीटी अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध ऐसी नियुक्तियां कैसे कर सकता है। डीओपीटी या एम/ओसीए**, **एफ और पीडी के पास**

भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड की प्रकृति और संरचना को बदलने का प्राधिकार नहीं है । अतः समिति इस बात पर पुनः जोर देती है कि खाद्य निगम अधिनियम 1964 और भाखानि अधिनियम 1971 के अनुसार भारतीय खाद्य निगम बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद अलग-अलग है और इसलिए इन दोनों पदों पर नियुक्तियों को पूर्णत: अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है।

सिफारिश (क्रम सं. 5)

14. समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की:-

" समिति ने पाया कि दिनांक 31 जुलाई 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9(15)/2012-जीएम के तहत जारी डीपीईके दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों को अन्य लोगों के अलावाऔरअधिक प्रतिष्ठित पेशेवरोंजिन्हें कंपनी के संचालन से संबंधित क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक का डोमेन अनुभवहो और उद्योग, व्यवसाय या कृषि या प्रबंधन से सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों कोलियाजाए। । इसके अलावा, डीपीई के दिनांक 16.03.1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(6)/91-जीएम और दिनांक 26.11.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(6)/200-जीएम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि पीएसईके बोर्ड में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर-सरकारी होने चाहिए और कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। समिति ने पाया कि भारतीय खाद्य निगम की बोर्ड संरचना स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त गुंजाइश देती है, फिर भी बोर्ड की वर्तमान संरचना न तो डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है और न ही खाद्य निगम अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप है। समिति ने पाया कि वर्तमान में बोर्ड पर दो गैर-कार्यात्मक निदेशक सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं और जाहिर तौर परबोर्डमें स्वतंत्र निदेशक के रूप में कोई पेशेवर विशेषज्ञ नहीं है। समिति का मानना है कि बोर्ड स्तर पर प्रबंधन विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को शामिल करने से निगम के कामकाज में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। यह भारतीय खाद्य निगम जैसे संगठन में भी बहुत अधिक आवश्यक है जो बहुआयामी कार्य कर रहा है, जहां बोर्ड में केवल सेवानिवृत्त सिविल

सेवकों पर बैंकिंग भारतीय खाद्य निगम कोपेशेवरों की डोमेन विशेषज्ञता से वंचित कर देगी।अतः समिति दृढ़ता से इस बात की सिफारिश करती है कि कृषि, खाद्य विज्ञान, खरीद, लोजिस्टिक, भंडारणआदि के क्षेत्रों में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले पेशेवरों को भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए । खाद्य निगम अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की वर्तमान संरचना पुनर्गठित किया जाए।."

15. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"समिति की सिफारिश नोट की गई है। इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के परामर्श से लोक उद्यम विभाग और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा भाखानि के निदेशक बोर्ड में गैर-आधिकारिकनिदेशककी अंतिम नियुक्ति होती है। इस विभाग की भूमिका नामों की सिफ़ारिश तक सीमित है जो डीपीई के डाटा बैंक से लिया जाता है। समिति की सिफ़ारिशें डीपीई के साथ परामर्श में विचार/निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी।"

16. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में यह पाया कि भारतीय खाद्य निगम जैसा संगठन, जो बहुआयामी कार्य कर रहा है, प्रबंधन विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को बोर्ड स्तर पर कामकाज में शामिल कर रहा है, निगम की कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकता है । अतः समिति ने सिफारिश की कि कृषि, खाद्य विज्ञान, खरीद, लॉजिस्टिक्स , भंडारण आदि क्षेत्रों में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले पेशेवरों को भारतीय खाद्य बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और खाद्य निगम अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की वर्तमान संरचना का पुनर्गठन किया जाए । समिति मंत्रालय के उत्तर को नोट करती है कि समिति की को सिफारिश को नोट कर लिया गया है और डीपीई के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचार करने /निर्णय लेने हेतु रखा जाएगा । समिति यह महसूस

करती है कि स्वतंत्र निदेशकों के पद पर नियुक्त सभी लोगों के पास उद्योग, व्यापार या कृषि या प्रबंधन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि बोर्ड के कार्यकरण को अधिक पेशेवर और स्वतंत्र बनाया जा सके । अतः समिति अपनी पूर्व सिफारिश पर पुनः जोर देती है कि भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में नियुक्तियों/नामांकनों करते समय इन क्षेत्रों और डोमेन विशेषज्ञता/अनुभव को अनिवार्य अर्हताओं की सूची में शामिल किया जाए ।

सिफारिश (क्रम सं. 6)

17. समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की:-

"समिति यह भी नोट किया है कि बोर्ड में इन राज्यों के अधिकारियों को नियुक्त करके दो प्रमुख उत्पादक राज्यों-पंजाब और मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड को क्षेत्र स्तर की स्थितियों का लाभ प्राप्तहोसके। तथापि, समिति ने पाया कि बोर्ड में राज्यों को प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, बोर्ड स्तर पर नियुक्ति के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित मानदंड राज्यों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लागू होते हैं और किसी भी प्रमुख खाद्य उत्पादक राज्यों के प्रधान सचिव को भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल में नियुक्त किया जा सकता है। समिति ने अपने बोर्ड में प्रमुख खाद्य उत्पादक राज्यों के दो प्रतिनिधियों को फील्ड स्तर की स्थितियों का लाभ उठाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकता से सहमत होते हुए सिफारिश कीहै कि गेहूं के साथ-साथ धान (चावल) के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्यों का भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएदिया जाना चाहिए ताकि सभी प्रमुख राज्यों को बारी-बारी से बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल सके जिससे भारतीय खाद्य निगम को ठोस परिचालन निर्णय लेने में सुविधा होगी।"

18. मंत्रालय ने अपनेकी-:कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा-गई-

"यह उल्लेख किया गया है कि सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। वर्तमान में देशक गेहूं और चावल खरीद राज्यों से भारतीय निम्नलिखित नि 02 - :खाद्य निगम के बोर्ड में हैं

.1 प्रमुख गेहूं खरीद राज्य से श्री फैज अहमद किदवई, प्रधान सचिवए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षणविभाग, मध्य प्रदेश सरकारमध्य प्रदेश ।

2. प्रमुख चावल खरीद राज्य से श्री कोना शशिधर, आयुक्त और पदेन सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, आंध्र प्रदेशसरकार।।

19. **समिति ने अनुभव किया कि बोर्ड में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था। समिति ने सिफारिश की थी कि एफसीआई के बोर्ड में गेहूं के साथके प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्यों क (चावल)साथ धान -ो बारीबारी - से प्रतिनिधित्व दिया जाए। समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है और वर्तमान में गेहूं और चावल की खरीद करने वाले राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से एफसीआई के बोर्ड में दो निदेशक हैं। हालांकि समिति इस बात पर फिर से जोर देती है कि सभी प्रमुख खाद्य उत्पादकखरीदने वाले राज्यों / बारी से प्रतिनिधित्व-को बोर्ड में बारीदिया जाए ताकि एफसीआई क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार बेहतर परिचालन निर्णय ले सके।**

<u>खाद्यान्नों का संचालन और वितरण</u>

सिफारिश (क्रम सं. 20)

20. खाद्यानों के संचालन और वितरण से निपटते हुए समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में निम्नानुसार सिफारिश की-:

"समितिटिप्पणी करती है कि भारतीय खाद्य निगम का एक प्रमुख कार्य खाद्यान्नों को अधिशेष उत्पादक राज्यों से उपभोग घाटे वाले राज्यों में स्थानांतरित करना है। खाद्यान्नों/ का उचित और नियोजित संचलन सुनिश्चित करता है)i) अधिशेष क्षेत्रों से स्टॉक की निकासी, (ii) एनएफएसए/टीडीपीएस और अन्य योजनाओं के लिए घाटे वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना, और)iii) घाटे वाले क्षेत्रों में बफर स्टॉक बनाना। समिति आगे टिप्पणीकरती है कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश गेहूं की खरीद के मामले में अपने स्वयंके खपत के मामले में अधिशेष राज्य हैं। इसी तरह, पंजाब, हरियाणा, आंध्र

प्रदेशनातेलंगा/, छत्तीसगढ़ और ओडिशा चावल की खरीद के मामले में अपने स्वयं के खपत के मामले में अधिशेष राज्य हैं।इन राज्यों में गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को एनएफएसए साथ बफर स्टॉक बनाने के -टीडीपीएस और अन्य योजनाओं के साथ / ज्यों में ले जाया जाता है। लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घाटे वाले रा) खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए परिवहन के विभिन्न साधन हैं।i) मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, (ii) कंटेनराइज्ड मूवमेंट, (iii) लॉन्ग रूट रोड ट्रांसपोर्टेशन, (iv) बल्क मूवमेंट आदि। इनके तहत परिचालन सड़क, रेल, तटीय या नदी के रास्ते से किया जाता है। मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के तहत, भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब से कर्नाटक तक मीट्र 25000िक टन खाद्यान्न के कंटेनरीकृत मल्टीमॉडल तटीय परिचालन की एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसी तरह, उसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत, कॉनकॉर द्वारा पंजाबसे केरल के चिन्हित केंद्रोंजैसे कोचीन, क्विलोन, आदि से और तमिलनाडु में भी रेक कीपारंपरिक परिचालन की तुलना में लागतलाभ विश्लेषण करने के लिए खाद्यान्न की - आवाजाही की जा रही है।समिति को पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम ने जलमार्गों का उपयोग करते हुए आवाजाही बढ़ाने के लिए भी कई पहल की हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि खाद्यान्न की आवाजाही के लिए रेल आवाजाही काफी सस्ता और किफायती तरीका है। भारतीय खाद्य निगम की लगभग 85% आवाजाही रेल के माध्यम से होती है। भारतीय खाद्य निगम लगभग रु. पूरे भारत में खाद्यान्न के परिवहन के लिए सालाना 10,000 करोड़ रुपये, जिसमें से रु.8,500 करोड़ अकेले भारतीय रेलवे को जाता है। समिति परिवहन लागत को कम करने और सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए परिवहन के प्रमुख साधनों/मार्गों की परिचालन व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए परिचालन-लागत अर्थशास्त्र पर एक स्वतंत्र अध्ययन आयोजित करने की सिफारिश करती है। . समिति पंजाब से दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कंटेनरीकृत 108 तटीयपरिचालन की लागत अर्थशास्त्र का निर्धारण करने के लिए शुरू की गई पायलट परियोजनाओं के परिणामों से भी अवगत होना चाहेगी

21. मंत्रालय ने अपनी की-:कार्रवाई में निम्नानुसार कहा-गई-

"भारतीय खाद्य निगम ने मल्टीमॉडल कोस्टलनदी के माध्यम से खाद्यान्न ले जाने की / सड़क /व्यवहार्यता की खोज में पहल की है ताकि तटीय आवाजाही के माध्यम से रेल आवाजाही को पूरक बनाया जा सके।

आंकड़े मी.टन में

वर्ष	एक्स-आंध्रप्रदेश से केरल तक मल्टीमॉडल तटीय परिचालन
2018-19	45,132
2019-20	55,554
2020-21	35,776
कुल	**2,79,586**

भारतीय खाद्य निगम ने कॉनकॉरएसोसिएट्स के माध्यम से कुछ मार्गों पर खाद्यान्नों की / कंटेनरीकृत आवाजाही भी शुरू की है, जिसमें यह पारंपरिक रेलवे रेक की तुलना में किफायती पाया गया है।

वर्ष	**परिचालित कंटेनर रेकों की संख्या**	**माल ढुलाई बचत (लाख रुपये में)**
2016-17	13	44
2017-18	134	662
2018-19	167	796
2019-20	309	694
2020-21	296	480
कुल	**919**	**2,676**

कॉनकॉर के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर मार्च'19 से मार्च'20 तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मल्टीमॉडल कंटेनरीकृत मोड का उपयोग करके कुल बारह)12) रेक 27,912 एमटको भी पंजाब से कर्नाटक ले जाया गयाथा।भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब क्षेत्र के नामित डिपो से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नामित डिपो के लिए मल्टीमॉडल तटीय परिचालन के तहत अनाज की आवाजाही के लिए मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की नियुक्ति के लिए तीन (3) निविदा जांच(Tender Enquiry) शुरू की, लेकिन किसी भी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

22. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में अनुभव किया था कि एफसीआई का 8प्रतिशत 5 परिवहन रेल के माध्यम से होता है। हालांकि, एफसीआई ने परिवहन लागत को कम करने के लिए जलमार्गों का उपयोग करके आवाजाही बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। समिति ने परिवहन लागत को कम करने और सरकारी राजकोष पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए परिवहन के प्रमुख साधनोंमार्गों की परिचालन व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्/यता को ध्यान में रखते हुए परिवहन लागत-अर्थशास्त्र पर एक स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी। समिति ने इच्छा जताई कि पंजाब से दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कंटेनरीकृत तटीय परिवहन की लागत अर्थशास्त्र का निर्धारण करने के लिए शुरू की गई पायलट परियोजनाओं के परिणाम से उसे अवगत कराया जाए। मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि एफसीआई ने कॉनकॉर एसोसिएट्स के माध्यम से कुछ मार्गों पर खाद्यान्नों की कंटेनरीकृत/परिवहन शुरू किया है, जिसमें इसे पारंपरिक रेलवे रेक की तुलना में किफायती पाया गया है। हालांकि, समिति ने पाया कि मंत्रालय ने परिवहनलागत अर्थशास्त्र पर एक स्वतंत्र अध्ययन कराने के लिए - समिति की सिफारिश पर अपनाउत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। समिति, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को स्वीकार करते हुए, एक स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए अपनी पूर्व की सिफारिश पर फिर से जोर देती है और समिति को जल्द से जल्द उसके परिणाम से अवगत कराया जाए। समिति को कॉनकॉर के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर मार्च, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के बीच एफसीआई द्वारा शुरू की गई पायलट परियोजनाओं के परिणामों से भी अवगत कराया जाए।**

<u>खाद्यान्नों की गुणवत्ता जांच</u>

(सिफारिश 28क्रम संख्या)

23. समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में निम्नानुसार अनुभव किया और सिफारिश की थी।

"समिति ने नोट किया कि गुणवत्ता जांच के लिए मशीनीकृत प्रक्रिया शुरू करने की दृष्टि से, एफसीआई ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी), कोलकाता द्वारा विकसित खरीदे हैं और इसे (अन्नदर्पण स्मार्ट)कम्प्यूटरीकृत चावल विश्लेषक 30 (केएमएस)खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे 30प्रमुख खरीद क्षेत्रों के 07 स्थानों पर उपलब्ध कराया है तथा इन स्थानों पर चावल की स्वीकृति कम्प्यूटरीकृत चावल विश्लेषक 2018के माध्यम से की गई। केएमएस (सीआरए)-के दौरान 19, सीआरए को बड़े केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया और इसके माध्यम से चावल की स्वीकृति की गई। समिति ने नोट किया कि एफसीआई ने एफसीआई प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएफटीआरआई, मैसूर के साथ एक समझौता किया है।दोनों पक्षों द्वारा सीएनपी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और प्रमुख प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति के लिए 10.12. को नई निविदा 2018 जारी की गई थी, जिसके संबंध में तकनीकी बोली 03.01.को खोली गई थी और 2019 तकनीकी मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जा रहा था। समिति को ए आवंटित आगे पता चला कि गुरुग्राम में अपनी प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लि धन का उपयोग नहीं किया जा सका और इसलिए शेष बजट को आईएफएस गुरुग्राम में क्यूसी लैब के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किया गया था। समिति एफसीआई के दृष्टिकोण से सहमत है कि उन्नत देशों में भी खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई सिद्ध तकनीक नहीं है और वर्तमान सीआरए प्रौद्योगिकीकीअपनी सीमाएं हैं। फिर भी समिति समझती है कि इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की गुणवत्ता भौतिक मानव निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, परंतु केवल तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से गुणवत्ता जांच द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। समिति को सीएफटीआरआई, मैसूर के साथ हस्ताक्षरित समझौते में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति ने सिफारिश की कि भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और खाद्यान्नों की प्रभावी गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है ताकि देश में गरीब परिवारों सहित इच्छित लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।"

24. -:कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा-गई-मंत्रालय ने अपने की

"सभी एफसीआई डिपोआंचलिक क/क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कार्यालय/ार्यालय खाद्यान्न के नमूनों के भौतिक मानकों का परीक्षण करने के लिए इक्विप्डहैं। भौतिक मापदंडों के अलावा, रासायनिक मापदंडों का भी परीक्षण किया जाना है, इसलिए एफसीआई ने माइकोटॉक्सिन, यूरिक एसिड, मैलाथियान की अवशिष्ट विषाक्तता, डेल्टामेथ्रिन और एल्युमिनियम फॉस्फाइड के परीक्षण के दायरे के साथ खाद्य सुरक्षा संस्थान

आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की है -गुरुग्राम में एक अति (आईएफएस) सके। ताकि पीडीएस लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा

इसी तरह, परीक्षण के दायरे के साथ विभिन्न आंचलिक कार्यालयों अर्थात आंचलिक कार्यालय (उत्तर), नोएडा (दक्षिण)आंचलिक कार्यालय /, चेन्नई आंचलिक कार्यालय / (पूर्व), कोलकाता और आंचलिक कार्यालय (पश्चिम), मुंबई के तहत चार और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। fortified चावल में मौजूद फोर्टिफिकेंट्स के स्तर सहित खाद्यान्नों में कीटनाशकों के अवशेषों, मायकोटॉक्सिन, यूरिक एसिड का स्तर ताकि fortified चावल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए आंतरिक क्षमता विकसित की जा सके। इस संबंध में संबंधित आंचलिक कार्यालयों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश के साथ उपयुक्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

खाद्यान्नों का रासायनिक परीक्षण करने के लिए सभी एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालयों ने एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ एफएसएसएआई मानकों और फोर्टिफाइड चावल के मामले में फोर्टिफिकेंट्स के परीक्षण के लिए समझौता किया है। गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित आधार पर ऐसे थर्ड पार्टी लैब में सैंपल भेजे जा रहे हैं।"

25. समिति ने विषय की जांच करने की इच्छा जताते हुए महसूस किया कि खाद्यान्न की भारी मात्रा की गुणवत्ता भौतिक मानव निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, इसे केवल तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से गुणवत्ता जांच द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। समिति ने तदनुसार सिफारिश की थी कि एफसीआई प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और खाद्यान्न की प्रभावी गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उपयुक्त तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है ताकि लक्षित लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि उसे सीएफटीआरआई, मैसूर के साथ किए गए समझौते के संबंध में हुई प्रगति के बारे में भी अवगत कराया जाए। मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई के उत्तर में खाद्य सुरक्षा संस्थान)आईएफएस) गुरुग्राम में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के अतिआधुनिकीकरण-; फोर्टिफाइड चावल के मामले में एफएसएसएआई मानकों और फोर्टिफिकेंट्स के परीक्षण हेतु एनएसीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ समझौते के साथ विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत चार प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की शुरुआत के बारे में अवगत कराया। हालांकि मंत्रालय ने सीएफटीआरआई, मैसूर के साथ किए गए समझौते में हुई प्रगति से अवगत कराने के

संबंध में समिति की सिफारिश का उत्तर नहीं दिया है। समिति ने एफसीआई द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को स्वीकार करते हुए इच्छा जताई कि उसे एफसीआई प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में हुई वास्तविक प्रगति और सीएफटीआरआईमैसूर , की परामर्श रिपोर्ट में किए गए प्रस्तावों के अनुरूप सीएफटीआरआई, मैसूर के साथ किए गए समझौते में हुई प्रगति से भी अवगत कराया जाए।

<u>सीपीएसयू से लेखापरीक्षा पैरा और देय राशि का निपटान</u>

सिफारिश 33क्रम संख्या))

26. समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में निम्नानुसा अनुभव औरसिफारिश की थी-:

"समिति ने नोट किया कि 2015-के दौरान सीएण्डएजी द्वारा दो निष्पादनऔर तीन 16 वाणिज्यिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें जारी की गई थीं। प्रमुख अवलोकन गंभीर मुद्दों जैसे कि आकस्मिक शुल्क, सोसायटीजको कमीशन, साइलो का उपेष्टतम उपयोग, बोरेका प्रबंधन और सड़क परिवहन अनुबंध, आदि से संबंधित थे। समिति ने तथापि नोट किया कि सीएण्डएजी ने पैरा 113के बीच अपनी रिपोर्ट में एफसीआई पर लगभग 2018से 2013 पैरा 89पैरा बंद कर दिए गए हैं तथा 12पैराओं में से केवल 113उठाए थे। उठाए गए मंत्रालय और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास लंबित हैं। एफसीआई के पैरा 12 अभी भी उत्तर लंबित हैं। समिति का विचार है कि लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या संस्थान की ओर से कमिशन,चूक और उल्लंघन को दर्शाती है जिसे जल्द से जल्द सुधाराके दौरान 2015सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। समिति ने आगे नोट किया कि / सीएण्डएजी द्वारा उठाए गए पैरा अभी भी मंत्रालय और 30पैराओं में से 44 पैरा अभी भी जवाब लंबित हैं। इसी 6सीएण्डएजी के पास लंबित हैं तथा एफसीआई से अभी भी 51पैराओं में से 54के दौरान सीएण्डएजी द्वारा उठाए गए 2017प्रकार क 2017मंत्रालय के पास लंबित हैं। इसी प्रकार े दौरान सीएण्डएजी द्वारा उठाए गए अभी भी मंत्रालय के पास लंबित हैं। यह नियंत्रक एवं महालेखा 51पैराओं में से 54 गंभीरता को दर्शाता है। -मंत्रालय की ढिलाई और गैर/परीक्षक की टिप्पणियों पर एफसीआई महीने के भीतर सीएण्डएजी के लंबित लेखापरीक्षा पै 03समिति अधिमानतः रा के निपटान में तेजी लाने की पुरजोर सिफारिश करती है।

27. -:कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा-गई-मंत्रालय ने अपने की

"पिछले पैरा के प्रति-उप/पैरा 113सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए 6वर्षों में 7; की स्थिति के अनुसार 2021जून 24, 93पैरासी एंड एजी /पैराओं के उत्तर मंत्रालय-उप/ के पास प्रस्तुत किए गए थे; पैरा बंद हैं। 12

जहां तक लंबित पैरा का संबंध है-उप/पैरा 8, उत्तरों की तैयारी प्रक्रियाधीन है और इसे मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया जाएगा। ये लंबित 'पुनरीक्षण टिप्पणियां' आगे की टिप्पणियोंलिए एफसीआई को अग्रेषित की जाती हैं स्पष्टीकरण के/अतिरिक्त जानकारी/, जो उनकी तीसरी से छठे स्तरपरहै।"

28. समिति ने बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा पैरा के लंबन को देखते हुए, लंबित सीएजी लेखापरीक्षा पैराओं के शीघ्र निपटान की पुरजोर सिफारिश की थी। मंत्रालय एफसीआई ने/ गत 7 वर्षों में 6 सीएजी प्रतिवेदन में सूचित किए गए 113 लेखापरीक्षा पैराओं का लेखाजोखा - देते हुए कहा है कि93 पैरा मंत्रालय सीएजी के/समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं; 12 पैरा बंद हो चुके हैं; 8 पैरा प्रक्रियाधीन हैं और मंत्रालय को भेज दिए जाएंगे। समिति ने मंत्रालय के उत्तर से अनुभव किया है कि लेखापरीक्षा पैराओं के निपटान में वस्तुतः कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि उक्त पैराओं के शीघ्र निपटान की सिफारिश करते समय समिति 12 पैराओं के बंद होने की स्थिति से बहुत अच्छी तरह से अवगत थी। इसलिए समिति इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि स्पष्ट रूप से एफसीआईत्रालय द्वारा इन लेखापरीक्षा पैराओं को शीघ्र निपटाने के लिए मं/ कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। इसलिए समिति इस बात पर फिर से जोर देती है कि मंत्रालय जल्द से जल्द सभी/एफसीआईनिपटाए नहीं गए लेखापरीक्षा पैराओं को निपटाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए और तब तक मंत्रालय को इसकी प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करनी चाहिए। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निगरानी करनी चाहिए कि एफसीआई ने सुधारात्मकसुधारात्मक कदम उठाए हैं और सीएजी द्वारा उठाए गए मुद्द/ोंं की पुनरावृत्ति न होना भी सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियाँ जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं

<u>भारतीय खाद्य निगम- संक्षिप्त विवरण</u>

सिफारिश (क्र.स. 1)

समिति ने नोट किया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे 'खाद्य निगम अधिनियम, 1964' अधीन स्थापित किया गया था। यह 1 जनवरी, 1965 को अस्तित्व में आया। भारतीय खाद्य निगम खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। भारतीय खाद्य निगमके कार्यों में मुख्य रूप से केंद्र सरकार की ओर से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, ढुलाई और वितरण शामिल है। खाद्यान्न न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाता है और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर वितरित किया जाता है। समिति का मानना है कि 1964 से लंबी यात्रा के दौरान भारतीय खाद्य निगम देश भर में अपने अनिवार्य कार्यों का निष्पादन कर रहा है। समिति ने एक संगठन के रूप में भारतीय खाद्य निगम की व्यापक जांच की है तथा संगठन के प्रबंधन से संबंधित कई मुद्दों और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और वितरण और बफर स्टॉक के रखरखाव के क्षेत्रों में इसके कार्यों से संबंधित मुद्दों को छुआ है। समिति यह भी देखती है कि भारत सरकार ने अगस्त 2014 में श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया था जिसने भारतीय खाद्य निगम की प्रचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के प्रबंधन में समग्र रूप से सुधार लाने के लिए उसके पुनर्गठन का सुझाव दिया था। इसके साथ देश के खाद्यान्नों और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों के एमएसपी ऑपरेशन्स, भंडारण और वितरण में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और कार्यों को पुनर्निर्देशित करना; और देश में अनाज के भंडारण और ढुलाई और खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण के लिए लागत प्रभावी मॉडल का सुझाव दिया। एचएलसी ने अपनी रिपोर्ट में खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, स्टॉकिंग और परिचालन, बफर स्टॉकिंग ऑपरेशन्स और परिसमापन नीति, श्रम, किसानों को सीधी सब्सिडी, एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण और भारतीय खाद्य निगमके नएरूप से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर सिफारिशें दी थीं। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने भारतीय खाद्य निगम की विस्तार से जांच करते हुए एचएलसी की सिफारिशों का भी गहन विश्लेषण किया है और पाया है कि एचएलसी द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कामकाज में

सुधार के लिए बहुत उपयोगी और ठोस सुझाव दिए गए थे। समिति एचएलसी के सुझावों का समर्थन करती है और उम्मीद करती है कि सरकार आम जनता के लाभ के लिए इस पर निर्णायक कार्रवाई करेगी इस रिपोर्ट के भाग-I में वर्णित भारतीय खाद्य निगम के कामकाज के विभिन्न पहलुओं की जांच पर समिति ने अनुवर्ती पैराग्राफों में अपनी टिप्पणी और सिफारिशें दी हैं और उम्मीद है कि इन्हें भारतीय खाद्य निगम और सरकार द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाएगा ताकि निगम के कामकाज में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सके ताकि सरकार की नीति का लाभ समाज के सबसे गरीब और हाशिए के वर्ग के लोगों तक लाभकारी तरीके से पहुंचे।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार ने दिनांक 20.08.2014 के आदेश के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर सिफारिश करने के लिए श्री शांता कुमार, माननीय सांसद (लोकसभा) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एचएलसी ने दिनांक 21.01.2015 को अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री को सौंप दी है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपने दिनांक 19.05.2015के पत्र के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों से अवगत कराया है। इसके बाद, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सीए, एफ एंड पीडी) ने अपने दिनांक 02.06.2015 पत्र संख्या 14(1)/2014-Py.I के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से संबंधित एचएलसी की स्वीकार्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना अग्रेषित की है।

भारतीय खाद्य निगम से संबंधित एचएलसी की स्वीकार्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना की स्थिति (31.05.2021 तक) **अनुबंध-क** के साथ संलग्न है।

साइलो निर्माण के संबंध में, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कार्रवाई **अनुबंध-ख** पर संलग्न हैं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]

(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक **30.07.2021)**

<u>भारतीय खाद्य निगम का निदेशक बोर्ड</u>

सिफारिश (क्र.स. 2)

2. समिति ने नोट किया कि खाद्य निगम अधिनियम 1964 की धारा 7(1) के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में 12 निदेशक होंगे, अर्थात्- (क) अध्यक्ष, तीन निदेशक(i) खाद्य (ii) वित्त और (iii) सहकारिता के कार्य को देखने वाले मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं (ग) केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के प्रबंध निदेशक (घ) प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम और (ड़) छह अन्य निदेशक। अधिनियम की धारा 7 के खंड (2) के अनुसार, एमडी, सीडब्ल्यूसी को छोड़कर निगम के सभी निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। समिति ने हालांकि यह देखा कि 12 सदस्यों की अनिवार्य संख्या के मुकाबले, केवल नौ सदस्य वास्तव में निगम के बोर्ड में 31 दिसंबर 2019 को पद पर थे। समिति को बोर्ड में रिक्त पदों के विशिष्ट कारणों और इन रिक्तियों को भरने के लिए की गई कर्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भी अवगत नहीं कराया गया था। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम इन रिक्तियों के होने की तारीख और इन रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक की गई कार्रवाई के साथ बोर्ड में तीन निदेशकों की रिक्तियों के होने के कारणों पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करें। समिति, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड में रिक्त पदों का निश्चित रूप से इसके प्रभावी कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा, दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि बोर्ड में रिक्तियों को खाद्य निगम अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से तुरंत भरा जाए। समिति को मामले में की गई कार्रवाई से तीन महीने की अवधि के भीतर अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश नोट की गई है। गैर-आधिकारिक निदेशक के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त, यह बताया गया है कि भाखानि निदेशक बोर्ड के 12 सदस्यों की अनिवार्य संख्या के प्रति भाखानि के निदेशक बोर्ड में 11 पद मौजूद हैं चूंकि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पदों के विलय सी एवं एमडी के रूप में हुआ है। 31 दिसम्बर, 2019 तक निदेशक बोड के 9 पदों को भरा गया तथा निदेशक बोर्ड के दो पदों को भरने के लिए लंबे समय से अनुमोदन हेतु लोक उद्यम विभाग में दो पैनल लंबित है।

गैर-आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति प्रकियाधीन है । किसी नियुक्ति के लिए, यह अपेक्षित है कि डीपीई के पास मामला लाया जाए । यह उल्लिखित है कि डीपीई द्वारा डाटा बैंक रखा जा रहा है तथा व्यक्ति जो अपना नाम डाटा बैंक में शामिल करवाने में इच्छुक है वे अपना आत्मविवरण (Resume), डीपीई को यह सुनिश्चित करने के बाद कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं। प्रस्ताव माननीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात डीपीई को खोज (सर्च) समिति के लिए भेजा गया । खोज (सर्च) समिति के विचार के पश्चात नाम डीओपीटी के कैबिनेट की नियुक्ति समिति के समक्ष अंतिम रूप से नियुक्ति के लिए रखा जाता है। रिक्त पदों को भरने की इस परामर्शक प्रक्रिया में समय लगता है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय 1 का पैरा 7 देखें)

सिफारिश (क्रम स.4)

3. समिति ने नोट किया कि खाद्य निगम अधिनियम की धारा 7(1) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के अलावा, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक भी भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में सदस्य होंगे। तथापि , समिति ने पाया कि निदेशक बोर्ड की वर्तमान संरचना में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक शामिल नहीं हैं। समिति का दृढ़ मत है कि खाद्य निगम अधिनियम के प्रावधानों का अनिवार्य रूपसे अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि खाद्य निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को शामिल करके बोर्ड की संरचना का पुनर्गठन किया जाए।

सरकार का उत्तर

खाद्य निगम अधिनियम 1964 के साथ-साथ भाखानि (कर्मचारी वृंद) अधिनियम 1971 के अनुसार भाखानि के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद अलग हैं।

वर्ष 2003 के दौरान, डीओपीटी द्वारा भाखानि के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री वी.के. मल्होत्रा, आईएएस (यू.पी.70) को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात, वर्ष 2004 में, श्री वी.के.

मल्होत्रा, आईएएस (यू.पी.70) को प्रबंध निदेशक के पूर्ण अतिरिक्त प्रभार के साथ अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया । तब से, डीओपीटी द्वारा भाखानि के संस्थानागत शीर्ष की सभी नियुक्तियाँ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हुई।

निदेशक बोर्ड में भाखानि के प्रबंध निदेशक को शामिल करने की सिफ़ारिश के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद की नियुक्ति किए जाने के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय 1 का पैरा 13 देखें)

सिफारिश (क्रम स.5)

4. समिति ने पाया कि दिनांक 31 जुलाई 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9(15)/2012-जीएम के तहत जारी डीपीईके दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों को अन्य लोगों के अलावा और अधिक प्रतिष्ठित पेशेवरों जिन्हें कंपनी के संचालन से संबंधित क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक का डोमेन अनुभव हो और उद्योग, व्यवसाय या कृषि या प्रबंधन से सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लिया जाए। । इसके अलावा, डीपीई के दिनांक 16.03.1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(6)/91-जीएम और दिनांक 26.11.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(6)/200-जीएम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि पीएसईके बोर्ड में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर-सरकारी होने चाहिए और कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। समिति ने पाया कि भारतीय खाद्य निगम की बोर्ड संरचना स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त गुंजाइश देती है, फिर भी बोर्ड की वर्तमान संरचना न तो डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है और न ही खाद्य निगम अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप है। समिति ने पाया कि वर्तमान में बोर्ड पर दो गैर-कार्यात्मक निदेशक सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं और जाहिर तौर पर बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कोई पेशेवर विशेषज्ञ नहीं है। समिति का मानना है कि बोर्ड स्तर पर प्रबंधन विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को शामिल करने से निगम के कामकाज में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। यह भारतीय खाद्य निगम

जैसे संगठन में भी बहुत अधिक आवश्यक है जो बहुआयामी कार्य कर रहा है, जहां बोर्ड में केवल सेवानिवृत्त सिविल सेवकों पर बैंकिंग भारतीय खाद्य निगम को पेशेवरों की डोमेन विशेषज्ञता से वंचित कर देगी। अतः समिति दृढ़ता से इस बात की सिफारिश करती है कि कृषि, खाद्य विज्ञान, खरीद, लोजिस्टिक, भंडारण आदि के क्षेत्रों में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले पेशेवरों को भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए । खाद्य निगम अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की वर्तमान संरचना पुनर्गठित किया जाए।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश नोट की गई है। इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के परामर्श से लोक उद्यम विभाग और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा भाखानि के निदेशक बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक की अंतिम नियुक्ति होती है। इस विभाग की भूमिका नामों की सिफ़ारिश तक सीमित है जो डीपीई के डाटा बैंक से लिया जाता है। समिति की सिफ़ारिशें डीपीई के साथ परामर्श में विचार/निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय 1 का पैरा 16 देखें)

सिफारिश (क्र. सं. 6)

5. समिति ने यह भी नोट किया है कि बोर्ड में इन राज्यों के अधिकारियों को नियुक्त करके दो प्रमुख उत्पादक राज्यों-पंजाब और मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड को क्षेत्र स्तर की स्थितियों का लाभ प्राप्त हो सके। तथापि, समिति ने पाया कि बोर्ड में राज्यों को प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, बोर्ड स्तर पर नियुक्ति के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित मानदंड राज्यों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लागू होते हैं और किसी भी प्रमुख खाद्य उत्पादक राज्यों के प्रधान सचिव को भारतीय

खाद्य निगम के निदेशक मंडल में नियुक्त किया जा सकता है। समिति ने अपने बोर्ड में प्रमुख खाद्य उत्पादक राज्यों के दो प्रतिनिधियों को फील्ड स्तर की स्थितियों का लाभ उठाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकता से सहमत होते हुए सिफारिश की है कि गेहूं के साथ-साथ धान (चावल) के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्यों का भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि सभी प्रमुख राज्यों को बारी-बारी से बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल सके जिससे भारतीय खाद्य निगम को ठोस परिचालन निर्णय लेने में सुविधा होगी।

सरकार का उत्तर

यह उल्लेखकिया गया है कि सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। वर्तमान में 02 निम्नलिखित निदेशक गेहूं और चावल खरीद राज्यों से भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में हैं: -

1 प्रमुख गेहूं खरीद राज्य सेश्री फैज अहमद किदवई, प्रधान सचिवए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश ।

2. प्रमुख चावल खरीद राज्य से श्री कोना शशिधर, आयुक्त और पदेन सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, आंध्र प्रदेश सरकार।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय 1 का पैरा 19 देखें)

सिफारिश (क्र. सं. 7)

6. समिति ने देखा कि भारतीय खाद्य निगम की कार्यकारी समिति (ईसी) जो निगम की क्षमता के भीतर किसी भी मामले से निपटने के लिए सक्षम है, में तीन सरकारी और एक गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं। समिति का सुविचारित विचार है कि चूंकि कार्यकारी समिति निगम के लगभग सभी मामलों से निपटने के लिए सक्षम है, कम से कम गैर-सरकारी निदेशक को खरीद, भंडारण, संरक्षण, लोजिस्टिक आदि के क्षेत्रों में डोमेन ज्ञान और अपेक्षित विशेषज्ञता वाले पेशेवरों से लिया जाना चाहिए। अतः समिति तदनुसार सिफारिश करती है और आशा करती है कि भारतीय खाद्य निगम की कार्यकारी समिति में सदस्यों की नियुक्ति तदनुसार की जाएगी।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफ़ारिश को नोट किया गया और आगामी कार्यकारी समिति के गठन में अनुपालन किया जाएगा।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>मानव संसाधन प्रबंधन</u>

<u>सिफारिश (क्र. सं. 8)</u>

7. समिति ने संतोष व्यक्त किया कि भारतीय खाद्य निगम 42038 की स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के प्रतिकेवल 21181 कर्मचारियों के साथ प्रबंधन कार्य कर रहा है जोकि इसकी स्वीकृत संख्या का लगभग 50% है। समिति को सूचित किया गया था कि भारतीय खाद्य निगम ने स्टाफिंग मानदंडों पर मैसर्स मैकिन्जी एंड कंपनी द्वारा एक अध्ययन किया था और भारतीय खाद्य निगम की स्वीकृत संख्या को इसकी रिपोर्ट के आधार पर संशोधित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने आगे समिति को सूचित किया कि कर्मचारी कंपनी की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को संभालने में सक्षम हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मैनपावर प्रशिक्षण दिया जाता है । भारतीय खाद्य निगम ने पहचान की गई एचआर नीतियों, भारतीय खाद्य निगम की प्रक्रियाओं और प्रणालियों, समान/तुलनीय निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से अग्रणी पद्धतियों के साथ एचआर नीतियों की बेंचमार्किंग के ऑडिट के लिए तीसरे पक्ष द्वारा एचआर ऑडिट भी करवाया है। इसके अलावा, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को अपने मानव संसाधन प्रणाली के पूर्ण स्वचालन के लिए भारतीय खाद्य निगम में लागू किया जा रहा है। समिति ने कम मैनपावर के साथ अपनी संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि इन पहलों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम अपने अनिवार्य संचालन के क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देने में सक्षम होगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि संगठन में निष्पादन/वितरण परिणाम प्रदशन, मैनपावर की कमी के कारण प्रभावित नहीं होते हैं।

सरकार का उत्तर

मैनपावर और स्वीकृत संख्या पर समिति के अवलोकन के संबंध में, यह प्रोत्साहजनक है कि समिति ने इस बात की सराहना की कि भारतीय खाद्य निगम स्वीकृत मैनपावर के 50% के साथ भी अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। थर्ड पार्टी कंसल्टेंट रिपोर्ट की सिफारिश पर मौजूदा स्वीकृत संख्या को संशोधित किया गया था, तब से मैनपावर में काफी कमी आई है।

भारतीय खाद्य निगम ने स्वतंत्र थर्डपार्टी (तृतीय पक्ष) एचआर ऑडिट को अनुबंध करके अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप दक्षता / पद्धतियों में सुधार करने जैसे कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के रोल आउट और इसके कार्यान्वयन ने मानव संसाधन प्रक्रियाओं के स्वचालन में सुविधा प्रदान की है। एचआरएमएस को पायलट स्थानों पर दिनांक 09.11.2020 से और सभी कार्यालयों में दिनांक 01.03.2021 से शुरू किया गया था। यह कर्मचारियों की सेल्फसर्विस सुविधा के लिए कस्टम बिल्ड एंड्रॉइड / आईओएस ऐप के साथ एक वेब आधारित एप्लिकेशन है।

भारतीय खाद्य निगम ने पिछले साल तीसरे पक्ष के सलाहकारों के माध्यम से मैनपावर को युक्तिसंगत बनाने और एचआर दक्षता को अनुकूलित करने के इरादे से एक थर्ड पार्टी सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑडिट भी किया है। ऑडिट की अंतिम रिपोर्ट थर्डपार्टी के सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई है। लेखापरीक्षा ने दक्षता में सुधार और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए विभिन्न पदों और संवर्गों के युक्तिकरण की सिफारिश की है। सिफारिशों पर विचार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा जांच की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम ने श्रेणी-I, श्रेणी-II तथा श्रेणी-III के पदों के लिए निम्नानुसार भर्ती की है -

श्रेणी	**विज्ञापित पद**	**चयनित उम्मीद्वारों की संख्या**
श्रेणी-III	4102	4061
श्रेणी -II	330	318
श्रेणी-I	89	भर्ती प्रक्रियाधीन

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]

(का.ज्ञा. सं. 14-4/20**19**-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

सिफारिश (क्र. सं. 9)

8. समिति का मानना है कि भारतीय खाद्य निगम देशभर में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में लगा हुआ है। भारतीय खाद्य निगम जैसे संगठन में, कर्मचारियों की एक विशेष स्थान पर लंबी अवधि के लिए तैनाती/नियुक्ति संगठन के समग्र हित में वांछनीय नहीं है। अतः समिति चाहती है कि एक संरचित स्थानांतरण नीति न केवल लागू करने की आवश्यकता है बल्कि इसे पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी के साथ लागू करने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार बनाई गई नीति का कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार किया जाना जाए ताकि उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद किसी विशेष स्थान से उनके स्थानांतरण के बारे में पहले से ही जागरूक किया जा सके। अतः समिति तद्नुसार सिफारिश करती है और आशा करती है कि निगम अवज्ञाकारी कर्मचारियों के खिलाफ परिणामी कार्रवाई सहित वैज्ञानिक रूप से परिभाषित तंत्र के कार्यान्वयन के साथ बेहतर संरचित तैनाती व स्थानांनतरण नीति को शीघ्र ही लाएगा।

सरकार का उत्तर

भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की ओर से देशभर में पीडीएस के लिए खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अतः उपलब्ध मैनपावर का पारदर्शी तरीके से इष्टतम उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय खाद्य निगम ने नए व्यापक स्थानांतरण नीति दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जो पारदर्शी और संवेदनशील पद हैं और किसी भी विसंगति से बचने के लिए आवधिकता को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है।

नई स्थानांतरण नीति दिनांक 22.03.2021 के परिपत्र संख्या ईपी-03-2021-06 के माध्यम से परिचालित की गई थी और भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट www.fci.gov.in और एचआरएमएस में भी अपलोड किया गया है। इसके अलावा इसे ई-मेल के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के सभी कार्यालयों में व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरण नीति का ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित करें और दिनांक 30 जून 2021 तक कर्मचारियों के सभी ट्रांसफर किए जाएं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

सिफारिश (क्र.स.10)

9. समिति का मानना है कि डेपुटेशन पर नियुक्त अधिकारियों में उधार लेने वाले संस्थानों में अधिक समय तक रहने की प्रवृत्ति होती है। समिति विषय की जांच के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारतीय खाद्य निगम में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन), स्थानांतरण और तैनाती (पोस्टिंग) से संबंधित मामलों में सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन हो और उन मामलों के बारे में भी जब भारतीय खाद्य निगम में डेपुटेशन पर नियुक्त अधिकारी दिशा-निर्देशों से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहे है। भारतीय खाद्य निगम ने हालांकि समिति को सूचित किया कि वे दिशानिर्देशों का पालन करते हैं लेकिन इस मुद्दे पर आगे विस्तार नहीं किया। इसलिए समिति चाहती है कि सरकार पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में निर्धारित प्रतिनियुक्ति कार्यकाल से अधिक समय तक रहने वाले अधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करे, जिसमें उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा रखे गए विभागों के साथ-साथ अधिक रहने के कारणों का उल्लेख हो। समिति का सुविचारित विचार है कि इस विषय पर दिशा-निर्देशों में निर्धारित सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम जैसे संगठन में जहां अधिकारी संवेदनशील विभागों को संभालते हैं और इसलिए दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि अधिकारियों के डेपुटेशन के कार्यकाल को निर्धारित अवधि से अधिक बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। । समिति को उम्मीद है कि सरकार संगठन में नैतिक मूल्यों के उच्च मानक स्थापित करने की दृष्टि से समिति की सिफारिशों पर अक्षरश: कार्रवाई करेगी।

सरकार का उत्तर

भारतीय खाद्य निगम में/भारतीय खाद्य निगम से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के लिए भारतीय खाद्य निगम डीओपीटी के दिशा-निर्देशों का पालन करता है और ऐसे अधिकारियों को शुरू में पारस्परिक रूप से सहमत अवधि और ऋण देने और उधार लेने वाले संगठन के बीच नियमों और शर्तों पर डेपुटेशन पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, प्रतिनियुक्ति की अवधि दोनों संगठनों के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उधार लेने वाले संगठन की आवश्यकता के आधार पर इस संदर्भ में डीओपीटी दिशा-निर्देशों में निर्धारित अधिकतम 5 वर्षों के अधीन बढ़ाई जाती है। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि पिछले

10 वर्षों में भारतीय खाद्य निगम में/भारतीय खाद्य निगम से किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर अधिक समय तक रुकने का कोई मामला नहीं है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>श्रम प्रबंधन</u>

सिफारिश (क्रम सं. 11)

10. समिति ने नोट किया कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा तैनात मजदूर तीन श्रेणियों में हैं। (i) विभागीय श्रम (ii) सीधी भुगतान प्रणाली (डीपीएस) श्रमिक और (iii) नो-वर्क नो-पे (एनडब्ल्यूएनपी) श्रर्मिक। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में लगभग 11350 विभागीय श्रमिक, 19953 डीपीएस श्रमिक की संख्या और भारतीय खाद्य निगम से जुड़े एनडब्ल्यूएनपी श्रमिकों की संख्या लगभग 6705 है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियोजित विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से लगभग एक लाख ठेका मजदूर काम पर रखे गए हैं। समिति को बताया गया कि विभागीय एवं डीपीएस मजदूरों की स्वीकृत संख्या 2007 में निर्धारित की गई थी जबकि एनडब्ल्यूएनपी मजदूरों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2010-11 में निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात श्रम मंत्रालय द्वारा पहले से अधिसूचित 226 डिपो के संबंध में सीएल (आर एंड ए) अधिनियम की धारा 31 के तहत जारी छूट अधिसूचना दिनांक 06.07.2016 और 26.06.2018 के आधार पर श्रम शक्ति की युक्तिकरण प्रक्रिया की गई है। प्रारंभ में दिनांक 06.07.2016 की अधिसूचना के माध्यम से दी गई छूट दो साल के लिए अर्थात दिनांक 05.07.2018 तक प्रभावी थी और उसके बाद इसे पहले 05.07.2020 तक और फिर दो साल के लिए अर्थात् 05 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। छूट की अधिसूचना जारी होने के परिणामस्वरूप, ठेका मजदूर छूट प्राप्त डिपो में काम करना जारी रखेंगे। समिति को आगे बताया गया कि माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच ने भारत सरकार को 6 महीने के भीतर सभी अधिसूचित डिपो की अधिसूचना को रद्द करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया। 6 महीने की समय सीमा बहुत पहले निकल चुकी है। इस बीच, एर्नाकुलम में माननीय उच्च न्यायालय केरल ने श्रम मंत्रालय को भारतीय खाद्य निगम की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद कोल्लम डिपो के डी-नोटिफिकेशन पर विचार करने का निर्देश दिया। जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, अन्य अधिसूचित डिपो के साथ कोल्लम डिपो को डी-नोटिफिकेशन का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से

दिनांक 02.07.2018 के पत्र संख्या आईआर(एल)/31(10)/2004/वॉल्यूम III को भेजा गया है तथा इसके बाद दिनांक 25/26.10.2018, 21/22.02.2019, 02/03.04.2019, 23.05.2019 और 08.07.2019 को अनुस्मारक भेजे गए हैं, लेकिन निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की तुलनात्मक लागत के समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि ठेका मजदूरों की लागत मजदूरों की निर्दिष्ट श्रेणियों की तुलना में काफी कम है। डिपो और अन्य स्थानों पर खाद्यान्न की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ठेका मजदूरों की नियुक्ति को प्रभावी ढंग से तभी किया जाएगा जब डिपो को डी-नोटिफाई किया जाएगा लेकिन दुर्भाग्य से, श्रम मंत्रालय ने दो साल बीत जाने के बावजूद डी-नोटिफिकेशन के लिए अंतिम कार्रवाई नहीं की है। इसलिए समिति सरकार से दृढ़ता से सिफारिश करती है कि वह भारतीय खाद्य निगम के डिपो की अधिसूचना को रद्द करने के लिए तुरंत कार्रवाई करे ताकि श्रम प्रबंधन में लागत दक्षता हासिल की जा सके।

सरकार का उत्तर

भारतीय खाद्य निगम लंबे समय से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से 226 अधिसूचित डिपो की स्थायी डी-नोटिफिकेशन की मांग कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम डिपो में काम रुक-रुक कर और मौसमी प्रकृति का होता है। श्री शांता कुमार, माननीय सांसद (एलएस) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भी सिफारिश की थी कि डिपो में काम पर विचार करते हुए भारतीय खाद्य निगम के लिए ठेका श्रमिक सबसे उपयुक्त हैं। एक बार डिपो डी-नोटिफाई हो जाने के बाद, भारतीय खाद्य निगम डिपो में ठेका श्रमिकों को तैनात करने में सक्षम हो जाएगा और बाकी विभागीय श्रम यानी डीएलएस, डीपीएस और एनडब्ल्यूएनपी को युक्तिसंगत बनाएगा। भारतीय खाद्य निगम डिपो की अधिसूचना रद्द करने से सार्वजनिक राजकोष की भारी बचत होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ठेका श्रम (आर एंड ए), अधिनियम की धारा 31 के तहत दी गई छूट के कारण 600 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

भारतीय खाद्य निगम के डिपो की स्थायी डी-नोटिफिकेशन के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिश अत्यधिक अपेक्षित है, क्योंकि इससे भारतीय खाद्य निगम द्वारा श्रम के प्रबंधन में होने वाली लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

भारतीय खाद्य निगम नियमित रूप से सीए, एफ एंड पीडी मंत्रालय के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ इस मामले को उठा रहा है। अधिसूचित डिपो की गैर-अधिसूचना का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को सीए, एफ एंड पीडी मंत्रालय के माध्यम से पत्र संख्या आईआर (एल)/31(10)/2004/खंड III दिनांक 02.07.2018 के माध्यम से भेजा गया है, जिसके बाद अनुस्मारक दिनांक 25/ 26.10.2018, 21/22.02.2019, 02/03.04.2019, 23.05.2019,

08.07.2019, 20.09.2019 और 17.01.2020 भेजे गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस मामले को विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड (सीएसीएलबी) को भेजने का फैसला किया। तदनुसार, नई दिल्ली में सीएसीएलबी द्वारा दिनांक 19.03.2020 को एक बैठक निर्धारित की गई थी। यह बैठक कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बैठक की अगली तारीख अभी तय नहीं की गई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीए, एफ एंड पीडी मंत्रालय दिनांक 25.06.2021 को पत्र भी जारी किया गया है जिसमें इस मामले में तेजी लाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ मामले को उठाने का अनुरोध किया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

सिफारिश (क्रम सं. 12)

11. समिति ने नोट किया है कि विभागीय श्रमिक, डीपीएस श्रमिक और एनडब्ल्यूएनपी श्रमिक के वेतन बिल वर्ष 2014-15 में धीरे-धीरे रु. 337238.76 लाख से रु. 216133.33 लाख कम हो गया है अर्थात् पांच साल की अवधि में वेतन बिल में लगभग 40% की कमी आई है। समिति को सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ ने निगम को प्रोत्साहन योजना में परिवर्तन की अपनी नीति को लागू करने की स्वतंत्रता देते हुए एक आदेश पारित किया था। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय ने विभागीय श्रमिक और प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली (डीपीएस) श्रमिक के सेवा लाभों में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को एक विस्तृत प्रस्ताव भी अनुमोदन के लिए भेजा था ताकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवश्यक सुधार करने की दिशा में आगे की कार्रवाई शरू की जा सके । एफसीआई ने परिवर्तित सेवा शर्तों का प्रस्ताव किया जैसे (i) सीपीएफ की गणना में प्रोत्साहनों को शामिल न करना (ii) ग्रेच्युटी की गणना के लिए प्रोत्साहन को शामिल न करना (iii) प्रोत्साहन और ओटीए की गणना के लिए एचआरए के घटकों को शामिल न करना (iv)) 'बी' और 'सी' क्षेत्र में कार्यरत डीपीएस मजदूरों को 'ए' एरिया रेट का भुगतान न करना और (v) मंडल को हैंडलिंग लेबर के रूप में माना जाना। समिति ने यह भी नोट किया है कि विभागीय श्रमिक प्रणाली को विलुप्त होने वाले संवर्ग के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.01.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया है और इसे दिनांक 08.01.2020 के परिपत्र संख्या 1/2020 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों को इस निर्देश के साथ सूचित किया गया है कि इस विभागीय श्रमिक प्रणाली के तहत आगे कोई भर्ती नहीं होगी। समिति को आशा

है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तावित इन सभी उपायों से विभागीय मजदूर की लागत में पर्याप्त कमी आएगी। हालांकि समिति का मानना है कि विभागीय श्रम प्रणाली को विलुप्त संवर्ग के रूप में घोषित करने के मद्देनजर, भारतीय खाद्य निगम, ठेका मजदूरों की अन्य श्रेणियों पर बहुत अधिक निर्भर होगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि बदले हुए परिदृश्य में, देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए ऐसे मजदूरों की नियुक्ति के लिए बेहतर परिभाषित नीति तैयार की जाए ताकि मजदूरों की नियुक्ति की पद्धति पारदर्शी और लागत प्रभावी हो सके।

सरकार का उत्तर

विभागीय श्रम प्रणाली और प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली मजदूरों की सेवा शर्तों में प्रस्तावित सुधारों से श्रम लागत को कम करने में मदद मिलेगी। सीए, एफ एंड पीडी मंत्रालय द्वारा विभागीय श्रम प्रणाली को विलुप्त होने वाले संवर्ग के रूप में घोषित करने से अदालती मामलों और आईडी मामलों का बचाव करने में मदद मिली है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारतीय खाद्य निगम डिपो के स्थायी डी-नोटिफिकेशन भारतीय खाद्य निगम को डिपो में ठेका श्रमिकों को नियुक्त करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा श्रमिकों युक्ति संगत बनाया जाएगा और कुछेक डिपो में पूल किया जाएगा। प्रमुख नियोक्ता होने के नाते, भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ठेकेदार द्वारा उनके वेतन, लाभ और कल्याण के संबंध में अनुबंध श्रमिकों पर लागू विभिन्न श्रम कानूनों का अनुपालन किया जाता है। ठेका श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार लाने तथा बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त कल्याणकारी प्रावधान उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। क्षेत्र स्तर पर मजदूरों की शिकायत, यदि कोई हो, को निपटाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र भी शुरू किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम समिति की सिफारिश से सहमत है। निगम ठेका श्रमिकों से संबंधित सभी प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ठेका श्रमिकों का प्रबंधन करने की स्थिति में भी है। नियुक्त ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध श्रमिकों को भुगतान करेगा, कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कैंटीन/विश्राम कक्ष, मूत्रालय, धुलाई की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा आदि मुहैया कराएगा, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार योगदान करेगा, ईएसआईसी अधिनियम और कामगार मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की खरीद, परिचालन, भंडारण और वितरण का कार्य सौंपा गया

है। खाद्यान्नों को मुख्य रूप से बोरियों में संग्रहित किया जाता है जिसे मजदूरों द्वारा मैनुअली हैंडल किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम डिपो और रेल हेड्स में ई-टेंडरिंग सिस्टम के तहत ओपन इंक्वायरी द्वारा नियुक्त हैंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट ठेकेदार के माध्यम से ठेका मजदूरों को लगाया जाता है। नियुक्त ठेकेदार 'हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट' के मॉडल टेंडर फॉर्म में कार्य के दायरे के अनुसार काम करने के लिए ठेका श्रमिक प्रदान करता है। एचटीसी एमटीएफ में पहले से ही ईपीएफ, न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई, कामगार मुआवजा आदि जैसे अनुबंध श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं और पर्याप्त कल्याण प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। मॉडल टेंडर फॉर्म के अनुसार, ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार अपने द्वारा लगाए गए ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। साथ ही, ठेकेदार को अनुबंध श्रमिक के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार ईपीएफ योगदान जमा करना सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिकों के लिए सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के अनुसार कैंटीन/टॉयलेट, मूत्रालय और पीने के पानी जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एमटीएफ में प्रावधान है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है ताकि ठेका श्रमिकों के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी प्रावधानों और सुविधाओं का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।साथ ही ठेका मजदूरों की शिकायतों/शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति</u>

सिफारिश (क्रम संख्या-13)

12. समिति ने नोट किया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 को अधिनियमित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 15% शहरी आबादी को रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। खाद्यान्न खरीद की सरकार की नीति का व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करना और कमजोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह प्रभावी बाजार हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए भी है जिससे कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा को भी जोड़ा जा सके। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा फसलों की बुवाई

के मौसम की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जो किसानों को इनपुट लागत और मार्जिन के आधार पर एमएसपी निर्धारित करता है। भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी है जो अन्य राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं और धान की खरीद करती है। समिति का मानना है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न खरीद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें स्थानीय विक्रेताओं को बाध्यकारी बिक्री का सहारा न लेना पड़े जो बहुत कम कीमत देकर किसानों का शोषण करते हैं। समिति ने खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के माध्यम से भारत सरकार की खाद्य नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारतीय खाद्य निगम की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देते हुए आशा व्यक्त की कि निगम अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा ताकि भविष्य में सरकार की नीति का लाभ गरीब वर्ग की आबादी के इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचाने की दृष्टि से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके।

सरकार का उत्तर

भारतीय खाद्य निगम अपनी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

I. आरएमएस 2021-22 में, हरियाणा और पंजाब ने भी एमएसपी के अप्रत्यक्ष भुगतान से किसानों के बैंक खाते में लाभ के सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की शुरुआत (स्विच) की है। अब "एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी" पूरे देश में लागू किया गया है।

II. डीबीटी ने फर्जी किसानों को समाप्त कर दिया और भुगतान के डायवर्जन और दोहराव को कम कर दिया क्योंकि भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जा रहा है जो कई राज्यों में किसान के आधार नंबर से जुड़ा हुआ है।

III. एमएसपी के डीबीटी ने प्रणाली में जिम्मेदारी, पारदर्शिता, रियल टाइम की निगरानी और चोरी को कम किया है।

IV. भारतीय खाद्य निगम और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट प्रणाली विकसित की है जो किसानों के उचित पंजीकरण और वास्तविक खरीद की निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करती है।

V. खरीद एजेंसियों द्वारा विकसित ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के माध्यम से किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तारीख आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी

प्राप्त होती है। इससे न केवल किसानों द्वारा स्टॉक की डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा अवधि कम हो गई है, बल्कि यह किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी मंडी में स्टॉक पहुंचाने के लिए भी सक्षम बनाता है

VI. भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों ने नेशनल फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल (एनएफपीपी) के साथ समेकन के लिए भारत सरकार/एनआईसी द्वारा शुरू की गई वेब सेवाओं को अपनाया है ताकि दैनिक खरीद डेटा एनएफपीपी पर डाला जा सके।

VII. राज्य एजेंसियों को भुगतान करते समय सार्वजनिक वित्तीय मॉड्यूल सिस्टम (पीएफएमएस) के व्यय अग्रिम हस्तांतरण मॉड्यूल (ईएटी) का उपयोग भी सुनिश्चित करना होगा जैसा कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएफएमएस के साथ अपनी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को एकीकृत करके अनिवार्य किया गया है ताकि वित्तीय इन्टेग्रिटी को बनाए रखा जा सके। ।

VIII. कई राज्य सरकारों ने गिरद्वारी/फसल सर्वेक्षण, भूमि अभिलेखों को अपने पोर्टल के साथ समेकित किया है और किसानों का बायो-ऑथेन्टिकेशन भी शुरू किया है जो सिस्टम में अधिक पारदर्शिता लाता है और पूरे ऑपरेशन के ऑडिट ट्रेल को बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

IX. ऑनलाइन खरीद प्रणाली ने बिचौलियों से खरीद को काफी हद तक समाप्त कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर एमएसपी प्राप्त होता है।

इसके अलावा, यह कहा गया है कि पीडीएस का संचालन केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। जबकि केंद्र सरकार खाद्यान्न का आवंटन करती है, भारतीय खाद्य निगम पूरे देश में अपने सभी बेस डिपो में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न स्टॉक की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।लक्षित लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत खाद्यान्न के वितरण की जिम्मेदारी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और खुदरा वितरण नेटवर्क जैसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उनकी एजेंसियों की होती है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

सिफारिश (क्रम संख्या-14)

13. समिति ने यह भी नोट किया कि खरीद दो प्रकार की होती है अर्थात केंद्रीकृत खरीद प्रणाली (गैर-डीसीपी) और विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी)। केंद्रीकृत खरीद (नॉन-डीसीपी) के तहत, केंद्रीय पूल में खाद्यान्न की खरीद या तो सीधे भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है या राज्य सरकार की एजेंसियां खाद्यान्न की खरीद करती हैं और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम को स्टॉक सौंपती हैं और बाद में भारत सरकार के आवंटन के लिए एक ही राज्य या अन्य राज्यों में अधिशेष स्टॉक की मूवमेंट करती हैं। । भारत सरकार द्वारा जारी लागत-पत्रों के अनुसार जैसे ही भारतीय खाद्य निगम को स्टॉक वितरित किया जाता है, राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न की लागत भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) के तहत, राज्य सरकार स्वयं धान/चावल और गेहूं की सीधी खरीद करती है और इन खाद्यान्नों को एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत स्टोर और वितरित भी करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा खरीद कार्यों पर किए गए संपूर्ण व्यय को अनुमोदित लागत के अनुसार पूरा करती है। खरीद गतिविधियों के विकेंद्रीकरण की गति के संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि खरीद गतिविधियों को राज्य सरकारों के लिए विकेंद्रीकृत कर दिया गया है और 16 राज्य चावल की खरीद करते हैं और लगभग 4 से 6 राज्य गेहूं की खरीद करते हैं और ऐसे मामलों में, भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियां राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को सौंपने के बाद शुरू होती है। समिति ने पाया कि सरकार का वर्तमान जोर गेहूं और चावल के खरीद कार्यों को उन राज्यों को सौंपना है जिन्होंने पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है और खरीद के लिए उचित बुनियादी ढांचा तैयार किया है और उन राज्यों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां किसान एमएसपी से काफी नीचे बाध्यकारी बिक्री से पीड़ित हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आदि जैसे छोटे जोत का प्रभुत्व है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सरकार को अपेक्षाकृत अनुभवहीन राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों को भी सभी आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और उनकी खरीद गतिविधियों को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके।

सरकार का उत्तर

भारतीय खाद्य निगम पहले ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में राज्य सरकारों को खरीद संचालन पूरी तरह से सौंप चुका है। भारतीय खाद्य निगम संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर पंजाब और हरियाणा में खरीद कार्यों में भाग ले रहा है।

भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय पूल के लिए की गई कुल खरीद में से लगभग 1% धान और 10% गेहूं की खरीद कर रहा है। शेष खरीद राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न के भंडारण और परिचालन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में आगे बढ़ा है।

गेहूं और चावल की खरीद के लिए डीसीपी राज्य की सूची इस प्रकार है:

चावल और गेहूं के लिए डीसीपी राज्य		
क्रम सं.	**चावल**	**गेहूं**
1.	उत्तराखंड	मध्य प्रदेश
2.	छत्तीसगढ़	उत्तराखंड
3.	ओडिशा	छत्तीसगढ़
4.	तमिलनाडु	गुजरात
5.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
6.	केरल	बिहार
7.	कर्नाटक	महाराष्ट्र
8.	मध्य प्रदेश	पंजाब
9.	आंध्र प्रदेश	राजस्थान (9 जिले)
10.	बिहार	
11.	तेलंगाना	
12.	महाराष्ट्र	
13.	गुजरात	
14.	अंडमान निकोबार	
15.	त्रिपुरा	
16.	झारखण्ड (6 जिले)	

एचएलसी समिति की सिफारिश पर, भारतीय खाद्य निगम ने उन राज्यों की ओर रुख किया है जहां किसान एमएसपी से काफी कम कीमतों पर बाध्यकारी बिक्री के संकट से जूझ रहे हैं, और जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि जैसे छोटे जोतों का वर्चस्व है।

किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों को विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में मदद करने के लिए जागरूक और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। त्रिपुरा के किसानों को एमएसपी का लाभ देने के लिए, भारतीय खाद्य निगम ने केएमएस 2018-19 से त्रिपुरा में धान की खरीद शुरू की है।

पूर्वी राज्यों में पिछले 4 वर्षों के दौरान की गई खरीद इस प्रकार है:

क्रम सं.	**राज्य**	**केएमएस**			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21***
1	असम	0.35	1.03	2.11	1.26
2	बिहार	7.93	9.49	13.41	23.84
3	झारखड	1.46	1.55	2.58	4.27
4	उत्तरप्रदेश	28.74	32.33	37.90	44.78
5	पश्चिम बंगाल	22.11	27.27	33.56	27.34
6	त्रिपुरा	0	0.18	0.14	0.11
कुल		60.59	71.85	89.70	101.6

*केएमएस 2020-21 प्रगति पर है। 23.06.2021 तक के आंकड़े

विगत 4 वर्षों के दौरान संचालित धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं.	**राज्य**	**केएमएस**			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21***
1	असम	101	118	159	133
2	बिहार	6,688	6,161	6223	6508
3	झारखड	592	274	274	448
4	त्रिपुरा	0	37	44	44
5	उत्तर प्रदेश	3,420	3,107	3,880	4453

6	पश्चिम बंगाल	19,238	27,563	30,070	28,973
कुल		**30,039**	**37,260**	**40,650**	**40,559**

*केएमएस 2020-21 प्रक्रियाधीन है।

लाभान्वित किसानों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र. सं.	**राज्य**	**केएमएस**			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	असम	4,332	12,921	26,537	17,194
2	बिहार	1,63,425	2,10,028	2,79,402	4,97,097
3	झारखंड	42,346	34,595	53,305	1,03,946
4	उ.प्र.	4,92,913	6,84,013	7,06,549	10,22,286
5	प.बंगाल	3,50,181	7,33,357	8,05,186	8,14,772
6	त्रिपुरा	0	5,506	13,613	9,546
कुल		**10,53,197**	**16,80,420**	**18,82,607**	**24,64,841**

*केएमएस 2021-22 प्रगति पर है।

पूर्वी राज्यों जैसे यूपी और बिहार में गेहूं की खरीद पर भी जोर दिया गया है।

गेहूँ की अधिप्राप्ति का विवरण इस प्रकार है:

(एलएमटी मे आंकड़े)

राज्य	**आरएमएस 2019-20**	**आरएमएस 2020-21**	**आरएमएस 2021-22***
उ.प्र.	37.00	35.77	56.41
बिहार	0.03	0.05	4.56

*आरएमएस 2021-22 प्रगति पर है। 23.06.2021 तक के आंकड़े

उपरोक्त में यह देखा गया है कि बिहार में गेहूँ की खरीद में खड़ी झुकाव की प्रवृत्ति दिखाई गई है, आरएमएस 2021-22 में 4.56 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई है, जबकि आरएमएस 2019-20 के दौरान 0.03 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी, जो दर्शाता है कि सरकारी खरीद ओपरेशनों पर किसानों ने अपना भरोसा दिखाया।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

सिफारिश (क्रम संख्या-15)

14. समिति आगे टिप्पणी करती है कि एमएसपी पर गेहूं की खरीद जो कि 2010-11 में 283.35 एलएमटी थी, वर्ष 2018-19 में बढ़कर 341.32 एलएमटी हो गई है, जबकि एमएसपी पर चावल की खरीद वर्ष 2010-11 में 341.198 एलएमटी थी, जो कि वर्ष 2018-19 में 443.30 एलएमटी हो गई है। जिन राज्यों को वर्ष 2014-15 में 241 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया जो कि वर्ष 2019-20 में 246 लाख मीट्रिक टन हो गया है, लेकिन वर्ष 2014-15 में चावल का आवंटन जो 373 लाख मीट्रिक टन था, वह वर्ष 2019-20 में घटकर 331 लाख मीट्रिक टन हो गया है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि खरीफ विपणन सीजन यानी केएमएस के दौरान पूर्वी राज्यों से खरीद जो वर्ष 2016-17 में 65.97 एलएमटी थी वह 2019-20 में 86.34 एलएमटी (06.07.2020 तक) हो गई है। समिति इस तथ्य पर भी संतोष महसूस करती है कि निगम द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप रिजेक्शन लिमिट से परे (बीआरएल) स्टॉक की खरीद में 86.84 प्रतिशत की कमी आई है जो कि वर्ष 2013-14 के दौरान 15586 एमटी से वर्ष 2016-17 के दौरान 2107 एमटी हो गई है। 2017-18 में बीआरएल का स्टॉक और कम होकर 1936 एमटी हो गया जो उस वर्ष की कुल खरीद मात्रा का 0.005% है। समिति यह भी टिप्पणी करती है कि भारतीय खाद्य निगम ने खरीद गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से निगरानी तंत्र स्थापित किया है, जिसमें खाद्यान्न स्टॉक का संयुक्त निरीक्षण, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली (ओपीएमएस), गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण, उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण और गोदाम आदि। समिति को उम्मीद है कि भारतीय खाद्य निगम सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के व्यापक उपयोग द्वारा खरीद और अन्य संबंधित गतिविधियों की अपनी प्रक्रियाओं

में और अधिक व्यवस्थित सुधार लाएगा ताकि मानवीय हस्तक्षेप के कारण सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी की संभावनाओं को कम किया जा सके।

सरकार का उत्तर

सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के व्यापक उपयोग द्वारा सभी राज्यों को खरीद प्रक्रिया में स्वचालन को एक मानकीकृत स्तर पर लाने के लिए, राष्ट्रीय खरीद मानकों के लिए न्यूनतम सीमा मापदंडों को चिन्हित किया गया है।

I. किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण: नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, भूमि विवरण (खाता / खसरा), स्व-खेती या किराए पर जमीन / शेयर फसल / अनुबंध

II. राज्य के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल के साथ पंजीकृत किसान डेटा का एकीकरण

III. डिजीटल मंडी/खरीद केंद्र प्रचालन का एकीकरण, खरीदकर्ता/विक्रेता प्रपत्रों को बनाना, बिक्री मूल्य का बिल आदि।

IV. एमएसपी को किसानों के सीधे और त्वरित अंतरण के लिए पीएफएमएस के व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल के माध्यम से एकीकरण के साथ ऑनलाइन भुगतान।

V. सीएमआर/गेहूं वितरण प्रबंधन: स्वीकृति नोट/वजन जांच मेमो को उतारने और स्टॉक के अधिग्रहण पर बिलिंग का स्वत: उत्पादन।

VI. लाभान्वित किसानों की वास्तविक समय की रिपोर्टिंग, खरीदी गई मात्रा और किए गए भुगतान के लिए प्रस्तावित एकीकृत भारत सरकार पोर्टल पर एपीआई आधारित एकीकरण के माध्यम से फ्लो होने वाला डेटा।

VII. इन खरीद वाले राज्यों में से बाईस (22) के पास किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है, जो उनके खरीद पोर्टलों में आवश्यक विवरण दर्ज करते हैं.

VIII. बारह (12) राज्यों के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और आठ (8) राज्यों ने पहले ही खरीद पोर्टल के साथ अपनी भूमि अभिलेख प्रणाली को एकीकृत कर दिया है।

IX. एमएसपी की खरीद के लिए सभी 23 राज्य बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। इनमें से तेरह (13) राज्य पहले से ही आधार सक्षम डीबीटी या पीएफएमएस के साथ एकीकरण के माध्यम से सत्यापित ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं।

इसके अलावा, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बीआरएल स्टॉक में कमी आई है। खरीद बनाम बीआरएल (जून, 21) का विवरण इस प्रकार है:

फसल-वर्ष	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद	बी आर एल	प्रतिशत
	(एलएमटी में)	(एमटी में)	
2016-17	251.87	2107	0.008
2017-18	264.69	3290	0.012
2018-19	280.17	2187	0.008
2019-20	311.05	2999	0.010
2020-21 (31.05.2021 तक)	248.65	406	0.002

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>भारतीय खाद्य निगम की भावी भूमिका</u>

सिफारिश (क्रम संख्या-16)

15. समिति का मानना है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की खरीद में समय के साथ धीरे-धीरे कमी आई है और जैसा कि सूचित किया गया है, भारतीय खाद्य निगम अब केंद्रीय पूल के लिए की गई कुल खरीद में से केवल 2% धान और 12% गेहूं की खरीद करता है। इस प्रकार, खरीद में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका काफी कम हो गई है और विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) प्रणाली को चुनने वाले अधिक से अधिक राज्यों के साथ यह और कम हो जाएगा। इसलिए समिति आग्रह करती है कि खरीद क्षेत्रों में इसके धीरे-धीरे घटते हिस्से को देखते हुए, भारतीय खाद्य निगम को अब प्रभावी भंडारण और वितरण प्रबंधन प्रणाली पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि संसाधनों का उपयोग गरीब परिवारों और अन्य इच्छित लाभार्थियों को इष्टतम के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

सरकार का उत्तर

भारतीय खाद्य निगम पहले ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में राज्य सरकारों को खरीद कार्यों को पूरी तरह से सौंप चुका है। भारतीय खाद्य निगम संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर पंजाब और हरियाणा में खरीद कार्यों में भाग ले रहा है।

भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय पूल के लिए की गई कुल खरीद में से लगभग 1% धान और 10% गेहूं खरीद रहा है। शेष खरीद राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न के भंडारण और आवाजाही पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में आगे बढ़ी है।

गेहूं और चावल की खरीद के लिए डीसीपी राज्य की सूची इस प्रकार है:

चावल और गेहूं के लिए डीसीपी राज्य		
क्र.सं.	चावल	गेहूँ
1	उत्तराखंड	मध्य प्रदेश
2	छत्तीसगढ	उत्तराखंड
3	उड़ीसा	छत्तीसगढ
4	तमिलनाडु	गुजरात
5	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
6	केरल	बिहार
7	कर्नाटक	महाराष्ट्र
8	मध्य प्रदेश	पंजाब
9	आंध्र प्रदेश	राजस्थान (9 जिले)
10	बिहार	
11.	तेलंगाना	
12.	महाराष्ट्र	
13.	गुजरात	
14.	अंडमान निकोबार	
15.	त्रिपुरा	
16.	झारखण्ड (6 जिले)	

एचएलसी समिति की सिफारिश पर, भारतीय खाद्य निगम उन राज्यों की सहायता के लिए आगे आई जहां किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर मजबूर होकर अपना अनाज बेच रहे हैं । जहां ज्यादातर छोटे किसान हैं जैसेकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि ।

किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचाने के लिए देश के उन राज्यों में विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में मदद लिए जागरूक करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। त्रिपुरा के किसानों को एमएसपी का लाभ देने के लिए, एफसीआई ने केएमएस 2018-19 से त्रिपुरा में धान की खरीद शुरू की है।

पूर्वी राज्यों में पिछले 4 वर्षों के दौरान की गई खरीद इस प्रकार है:

(आंकड़े लाख मी.टन में)

क्र.सं.	**राज्य**	**केएमएस**			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21***
1	असम	0.35	1.03	2.11	1.26
2	बिहार	7.93	9.49	13.41	23.84
3	झारखंड	1.46	1.55	2.58	4.27
4	यूपी	28.74	32.33	37.90	44.78
5	पश्चिम बंगाल	22.11	27.27	33.56	27.34
6	त्रिपुरा	0	0.18	0.14	0.11
कुल		60.59	71.85	89.70	101.6

*केएमएस 2020-21 प्रगति पर है। 23.06.2021 तक के आंकड़े

विगत 4 वर्षों के दौरान संचालित धान खरीद केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य**	**केएमएस***			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21***
1	असम	101	118	159	133

2	बिहार	6,688	6,161	6223	6508
3	झारखंड	592	274	274	448
4	त्रिपुरा	0	37	44	44
5	यूपी	3,420	3,107	3,880	4453
6	पश्चिम बंगाल	19,238	27,563	30,070	28,973
कुल		**30,039**	**37,260**	**40,650**	**40,559**

*केएमएस 2020-21 प्रगति पर है।

लाभान्वित किसानों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**राज्य**	**केएमएस***			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	असम	4,332	12,921	26,537	17,194
2	बिहार	1,63,425	2,10,028	2,79,402	4,97,097
3	झारखंड	42,346	34,595	53,305	1,03,946
4	यूपी	4,92,913	6,84,013	7,06,549	10,22,286
5	पश्चिम बंगाल	3,50,181	7,33,357	8,05,186	8,14,772
6	त्रिपुरा	0	5,506	13,613	9,546
कुल		**10,53,197**	**16,80,420**	**18,82,607**	**24,64,841**

*केएमएस 2020-21 प्रगति पर है।

पूर्वी राज्यों जैसे यूपी और बिहार में गेहूं की खरीद पर भी जोर दिया गया है।

गेहूँ खरीद का विवरण इस प्रकार है:

(आंकड़े लाख मी.टन में)

राज्य	आरएमएस 2019-20	आरएमएस 2020-21	आरएमएस 2021-22*
उत्तर प्रदेश	37.00	35.77	56.41
बिहार	0.03	0.05	4.56

*आरएमएस 2021-22 प्रगति पर है। 23.06.2021 तक के आंकड़े

उपरोक्त में यह देखा गया है कि बिहार में गेहूं की खरीद में झुकाव की प्रवृत्ति दिखाई गई है, आरएमएस 2021-22 में 4.56 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई है, जबकि आरएमएस 2019-20 के दौरान 0.03 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी, जो दर्शाता है कि किसानों ने सरकार की खरीद कार्यों में अपना विश्वास दिखाया है।

इसके अलावा, भंडारण प्रणाली को उन्नत करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- **साइलों का निर्माण:** -भंडारण सुविधाओं के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के तहत साइलो का निर्माण किया जा रहा है। 2007-09 में, 7 स्थानों पर 5.50 एलएमटी क्षमता के साइलो का निर्माण किया गया था। 2016 के बाद, 21 स्थानों पर 10.625 एलएमटी की क्षमता वाले साइलो को पूरा कर लिया गया है और प्रयोग में लाया गया है तथा 38 स्थानों पर 19.125 एलएमटी की क्षमता वाले साइलो कार्यान्वयन के अधीन हैं।
- **कैप की समाप्ति: -**भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि समय के साथ कैप स्टोरेज को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। हरियाणा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने कैप को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके वैज्ञानिक कवर क्षमता बनाने के लिए अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

भारतीय खाद्य निगम संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से स्वामित्व वाली कैप क्षमता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक 'कार्य योजना' तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए सलाहकार की नियुक्ति के संबंध में कदम उठाए गए हैं।

भंडारण सुविधाओं को अपग्रेड करने और आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के तहत साइलो का निर्माण किया जा रहा है। 2007-09 में, 7 स्थानों पर 5.50 एलएमटी क्षमता के साइलो का निर्माण किया गया था। वर्ष 2016 के बाद, 21 स्थानों पर

10.625 एलएमटी की क्षमता वाले साइलो को पूरा कर लिया गया है और उपयोग में लाया गया है एवं 38 स्थानों पर 19.125 एलएमटी की क्षमता वाले साइलो कार्यान्वयन के अधीन हैं।

जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार खाद्यान्न जारी किया जाता है। सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है।

जहां तक वितरण प्रबंधन प्रणाली का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम के पास एनएफएसए/ओडब्ल्यूएस के तहत उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए सुपरिभाषित प्रणाली है।

भारतीय खाद्य निगम को देश के कोने-कोने में स्थित अपने डिपो में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है, जिसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्यान्न की आवश्यकता के अनुसार अधिशेष राज्यों से घाटे वाले राज्यों में स्टॉक स्थानांतरित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार मासिक आधार पर परिचालन की योजना बनाई जाती है और परिचालन की योजना में शामिल सभी हितधारकों के साथ परिचालन की अंतिम योजना साझा की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें या उनकी नामित एजेंसियां भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्यान्न के स्टॉक को उठाती हैं और अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को वितरित करती हैं।

वितरण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में टीपीडीएस के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कृपया मंत्रालय इस संबंध में की गई प्रगति पर और पुष्टि करें।

कोविड-19 महामारी के दौरान, सबसे चुनौतीपूर्ण काम कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति में राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना था। भारतीय खाद्य निगम ने उक्त अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी प्रभावी वितरण प्रणाली के माध्यम से, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 25.03.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान 945.92 एलएमटी खाद्यान्न की मात्रा की आपूर्ति की।

(एलएमटी मे आंकड़े)

योजना	गेहूं	चावल	कुल
एनएफएसए (नियमित)	221.56	302.48	524.04
पीएमजीकेएवाई -I (अप्रैल से जून 2020)	15.01	102.99	118.00

पीएमजीकेएवाई -II (जुलाई से नवंबर 2020)	88.47	98.35	186.82
गैर-एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए योजना	2.57	7.09	9.66
अन्य कल्याणकारी योजनाएँ (ओडब्ल्यूएस)/अन्य	15.81	32.89	48.70
खुली बाजार बिक्री योजना(ओएमएसएस)	26.30	25.89	52.19
चेरिटेबल/एनजीओ इत्यादि के लिए योजना	0.01	0.10	0.11
प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों (एएनबी)के लिए आबंटन	1.83	4.57	6.40
कुल	**371.56**	**574.36**	**945.92**

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>बफर स्टॉक एवं आधिक्य स्टॉक</u>

सिफारिश (क्रम सं 17)

16. समिति यह नोट करती है कि भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की कमी से बचाव के लिए खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित बफर स्टॉक को बनाए रखना है। बफर स्टॉक वर्तमान में 4 महीने के आवंटन के बराबर है। यह स्टॉक सरकार को बाजार में खाद्यान्न संकट की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, दो प्रकार के स्टॉक बनाए रखा जाता है। पहला परिचालन स्टॉक है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत लक्षित लाभार्थियों को महीने-दर-महीने वितरण के लिए आवश्यक है। दूसरा सामरिक रिजर्व है, जो सरकार द्वारा केवल स्टॉक को बनाए रखने और नवीनीकृत करने के लिए आवश्यक है जब तक कि संकट की स्थिति जैसे देश में खाद्यान्न के उत्पादन में असामान्य कमी या प्राकृतिक आपदा के मामले में खाद्यान्न नहीं लिया जाता है और ऐसे मामले में, अगले सीजन में स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकासी की सीमा तक खरीद अधिक होनी चाहिए। हालांकि समिति ने साक्ष्य के दौरान देखा, समिति के ध्यान में लाया गया था कि 2014 के मानदंड के अनुसार 23 मिलियन टन बफर स्टॉक होने के लिए, वर्तमान में यह लगभग 64 मिलियन टन

है जिसके परिणामस्वरूप 4 करोड़ टन अतिरिक्त स्टॉक है। अतिरिक्त स्टॉक के निपटान के संबंध में, समिति को सूचित किया गया कि ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] नीति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक को ऑफलोड करने के लिए तैयार की जाती है जो कि खुले बाजार के मानदंडों में बफर स्टॉक से ऊपर है। सचिव (व्यय), सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण), सचिव (उपभोक्ता मामले) और सचिव, वाणिज्य विभाग सहित सरकार द्वारा गठित की गई समिति आफलोड किए जाने वाले बफर और रणनीति कमान दंडों से अधिक खाद्यान्न स्टॉक की मात्रा तथा कीमत की सिफारिश करती है। ओएमएसएस (डी) के माध्यम से खाद्यान्न के अतिरिक्त स्टॉक की बिक्री के संबंध में, समिति नोट करती है कि अतिरिक्त स्टॉक की वार्षिक बिक्री वर्ष 2015-16 में 71.88 एलएमटी, 2016-17 में 47.45 एलएमटी, 2017-18 में 19.12 एलएमटी, 2018-19 में 90.30 एलएमटी और 2019-20 में 52.48 एलएमटी थी। समिति को यह भी बताया गया था कि अतिरिक्त स्टॉक के परिसमापन के बारे में सरकार में विभिन्न प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं लेकिन इन प्रस्तावों का विवरण विस्तृत नहीं किया गया था। समिति का मानना है कि विभिन्न कारणों से होने वाले खाद्यान्नों की कमी से बचाव के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बफर स्टॉक के लिए मानदंड तय किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी मात्रा में अतिरिक्त स्टॉक का रखरखाव भी किया गया है। बफर स्टॉक के लिए निश्चित मानदंड निगम को भारी लागत की आवश्यकता है। समिति बिना किसी सीमा के एमएसपी पर खाद्यान्न की खरीद के लिए सरकार की नीति की सराहना करती है ताकि किसान अपनी उपज को सरकारी संगठन को बेच सकें और उन्हें कम दरों पर स्थानीय विक्रेताओं को बिक्री से बचा सकें। तथापि, समिति चाहती है कि सरकार समय पर अतिरिक्त स्टॉक के परिसमापन के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करे ताकि सरकार पर वित्तीय बोझ को अधिकतम सीमा तक कम किया जा सके।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार की खुली खरीद नीति के कारण, गेहूं और चावल की खरीद एनएफएसए और ओडब्ल्यूएस के तहत खाद्यान्न की सामान्य आवश्यकता से अधिक है जो प्रति वर्ष लगभग 600 एलएमटी है। आवश्यकता से अधिक स्टॉक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर केंद्रीय पूल में जमा हो जाता है।

भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें सचिव (व्यय), सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) और सचिव (उपभोक्ता मामले) शामिल हैं, जो घरेलू बाजार में बफर और रणनीतिक मानदंडों से अधिक खाद्यान्न स्टॉक की मात्रा और कीमत की सिफारिश करने के लिए हैं। हर साल, सचिवों की समिति, डीएफपीडी , भारत सरकार की सिफारिश के आधार

पर, ओएमएसएस **(डी)** यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत अनाज की बिक्री के लिए नीति तैयार करता है। 2020-21 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत 50.32 एलएमटी खाद्यान्न, जिसमें 25.32 एलएमटी गेहूं और 25.00 एलएमटी चावल शामिल हैं, की बिक्री की गई है। हालांकि, ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के माध्यम से अनाज के निपटान का दायरा भी सीमित है।

कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने 2020-21 में कोविड-19 अवधि के दौरान पीएमजीकेएवाई, आत्म निर्भर भारत, गैर-एनएफएसए कार्ड धारकों और चेरिटेबल/एनजीओ जैसी विभिन्न अतिरिक्त योजनाओं की घोषणा की। नियमित योजनाओं के अलावा, भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विशेष योजनाओं के तहत खाद्यान्न की निम्नलिखित मात्रा जारी की गई:

(आंकड़ें एलएमटी में)

योजना	**गेहूं**	**चावल**	**कुल**
पीएमजीकेएवाई -I (अप्रैल से जून 2020)	15.01	102.99	118.00
पीएमजीकेएवाई -II (जुलाई से नवंबर 2020)	88.47	98.35	186.82
गैर-एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए योजना	2.57	7.09	9.66
चेरिटेबल/एनजीओ इत्यादि के लिए योजना	0.01	0.10	0.11
प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों (एएनबी) के लिए आबंटन(एएनबी)	1.83	4.57	6.40
कुल	**107.89**	**213.10**	**320.99**

इसके अलावा, 2021-22 के दौरान कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए, भारत सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की है:

(i) पीएमजीकेएवाई-**III (**मई-जून 2021**)**

भारत सरकार ने एनएफएसए लाभार्थियों को दो महीने यानी मई और जून 2021 में 24.06.2021 तकप्रति व्यक्ति प्रति माह, नि:शुल्क **5** किलोग्राम के लिए लगभग 79.51 एलएमटी खाद्यान्न की मात्रा आवंटित की जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 76.95 एलएमटी की मात्रा की आपूर्ति की गई है। भारत सरकार ने पीएमजीकेएवाई को जुलाई से नवंबर 2021 की अवधि के लिए और बढ़ा दिया है और 198.78

एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।

(ii) उदारीकृत ओएमएसएस (डी) योजना

खुले बाजार में गेहूं और चावल के स्टॉक को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, डीएफपीडी, सीएएफ और पीडी मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए उदारीकृत ओएमएसएस (डी) नीति तैयार की है।खरीदारों को कोविड की अवधि के दौरान किसी भी स्थान से स्टॉक को आसानी से उठाने की सुविधा के लिए किसी भाड़ा संबंधी घटक को जोड़े बिना, पूरे भारत में दरों को आकर्षक और समान बनाकर तय किया गया।

(iii) चैरिटेबल/गैर-सरकारी संगठनों के लिए योजना

भारत सरकार ने 2021-22 के दौरान राहत कार्यों में लगे हुए चैरिटेबल/गैर-सरकारी संगठनों आदि को प्रवासी मजदूरों/कमजोर वर्गो के लिए राहत शिविर चलाने के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति की योजना को, गेहूं रु. 21/-प्रति किग्रा. और चावल रु. 22/-प्रति किग्रा. दर पर विस्तार किया है।

(iv) एनएफएसए के तहत कवर नहीं किए गए व्यक्तियों के लिए योजना

डीएफपीडी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार ने एनएफएसए के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्तियों, जिनके पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्रके **5** किग्रा, प्रति व्यक्ति प्रति माह संबंधी राशन कार्ड हैं, उन्हें ग्यारह महीने की अवधि के लिए यानी मई, 2021 से मार्च, 2022 तक गेहूं रु 21/- प्रति किग्रा. और चावल रु. 22/- प्रति किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना का नवीनीकरण भी किया है।

विभिन्न योजनाओं के तहत 2021-22 (24.06.2021 तक) के दौरान केंद्रीय पूल से उठाए गए खाद्यान्न का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े एलएमटी में)

योजना	**गेहूं**	**चावल**	**कुल**
एनएफएसए (नियमित)	45.71	52.96	98.67
पीएमजीकेएवाई (मई और जून 21)	36.82	40.13	76.95
गैर-एनएफएसए कार्डधारकों के लिए योजना	0.27	2.04	2.31
अन्य कल्याण योजनाएं (ओडब्ल्यूएस)/अन्य	2.58	5.07	7.65

ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस)	4.52	3.21	7.73
कुल	**89.90**	**103.42**	**193.32**

[उपभोक्ता मामले**,** खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]

(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-**I/ई-**368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>भंडारण सुविधाएं और क्षमता उपयोग</u>

सिफारिश (क्रम सं 18)

17. समिति की टिप्पणी है कि समय के साथ खाद्यान्नों की खरीद की मात्रा बढ़ी है और इसने अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया है। जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता की अल्पकालिक चरम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कवर किए गए गोदामों के साथ-साथ कवर और प्लिंथ (सीएपी) को अल्पकालिक किराए पर लेने का विकल्प चुनता है। समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाली कुल भंडारण क्षमता क्रमशः वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 के दौरान 387.40 एलएमटी, 373.00 एलएमटी, **361.91** एलएमटी, 363.54 एलएमटी, 381.06 एलएमटी और 407.34 एलएमटी थी। इसके अलावा, 1 जुलाई 2020 तक, राज्य एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता 471.24 एलएमटी थी। इस प्रकार, 878.58 एलएमटी की कुल उपलब्ध क्षमता के प्रति केंद्रीय पूल के 812.94 एलएमटी स्टॉक का भंडारण किया गया था। समिति यह भी टिप्पणी करती है कि 30.11.2019 को उपलब्ध कुल 2131 स्टोरेज में से 561 भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व में हैं और 1572 भारतीय खाद्य निगम के पास हैं। विषय की जांच के दौरान यह पता चला कि यह खरीद अधिक है जिसके लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधा की आवश्यकता होती है लेकिन फिर भी एक बार खाद्यान्न खरीद लेने के बाद, इन्हें वितरण/बिक्री तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। समिति का मानना है कि कवर और प्लिंथ (सीएपी) भंडारण सुविधा लंबी अवधि के लिए खाद्यान्न के भंडारण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित नहीं है और इसलिए समिति चाहती है कि भंडारण की कैप प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। समिति ने टिप्पणी की है कि स्टॉक के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाएं हैं (**i**) निजी उद्यमी गारंटी योजना (पीईजी) (**ii**) केंद्रीय क्षेत्र की योजना (**iii**) स्टील साइलों का निर्माण और (**iv**) कवर और प्लिंथ (सीएपी) हायरिंग स्कीम । पीईजी योजना के तहत, भंडारण क्षमता निजी पार्टियों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा बनाई जाती है और भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशकों को काम पर

रखने के लिए 10 साल और सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों को 9 साल की गारंटी देता है। केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और केरल के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाता है। स्टील साइलो का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल में किया जाना है। समिति को उम्मीद है कि सभी हितधारकों द्वारा संबंधित योजना के तहत भंडारण क्षमता बनाने का प्रयास किया जाएगा और निर्धारित समय अवधि के भीतर लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

सरकार का उत्तर

भंडारण सुविधाओं के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के तहत साइलो का निर्माण किया जा रहा है। 2007-09 में, 7 स्थानों पर 5.50 एलएमटी क्षमता के साइलो का निर्माण किया गया था। 2016 के बाद, 21 स्थानों पर 10.625 एलएमटी की क्षमता वाले साइलो को पूरा कर लिया गया है और उपयोग में लाया गया है और 19.125 एलएमटी की क्षमता वाले 38 स्थानों पर साइलो कार्यान्वयन के अधीन हैं।

तदनुसार, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 247 स्थानों पर 108.375 एलएमटी की अतिरिक्त साइलो क्षमता का प्रस्ताव मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

भंडारण सुविधाओं के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के तहत साइलो का निर्माण किया जा रहा है। 2007-09 में, 7 स्थानों पर 5.50 एलएमटी क्षमता के साइलो का निर्माण किया गया था। 2016 के बाद, 21 स्थानों पर 10.625 एलएमटी की क्षमता वाले साइलो को पूरा कर लिया गया है और उपयोग में लाया गया है और 19.125 एलएमटी की क्षमता वाले 38 स्थानों पर साइलो कार्यान्वयन के अधीन हैं।

भारतीय खाद्य निगम ने साइलो के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया है जोकि रोड-फेड होगा और साइलो के विकास की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा। हब और स्पोक साइलो के लिए बोली दस्तावेज एक परामर्शी और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर तैयार किए गए हैं। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत साइलो निर्माण के लिए निविदा दस्तावेज और स्थानों की सूची (कुल 108.375 एलएमटी क्षमता वाले 247 स्थान) मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम, सीडब्ल्यूसी और राज्य एजेंसियों के स्वामित्व वाले गोदामों की भंडारण क्षमता को 140 मीट्रिक टन से 174 मीट्रिक टन तक स्टैक आकार के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से 45.23 एलएमटी तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के दौरान निजी निवेशकों से 27.44 एलएमटी की क्षमता किराए पर ली गई है।

पीईजी योजना के तहत 153.11 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृत क्षमता में से; दिनांक 31.05.2021 तक 144.18 एलएमटी की क्षमता का निर्माण किया गया है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों में 7 स्थानों पर 0.48 एलएमटी पूरा किया जा चुका है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य राज्यों में, 13 स्थानों पर गोदामों के निर्माण के लिए 0.93 लाख मीट्रिक टन की क्षमता, जिसमें से 3 स्थानों पर 0.18 लाख मीट्रिक टन का काम पूरा कर लिया गया है।

कैप को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय ने दिनांक 17.02.2021 के पत्र संख्या **procIII/1(1)/2021/Misc.Policies** के माध्यम से कैप भंडारण क्षमता कोपहले वर्ष में 25%, दूसरे वर्ष में 35% और तीसरे वर्ष में शेष 40% को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने, ताकि आरएमएस 2024-25 तक और अधिक वैज्ञानिक भंडारण हो सके और राज्य सरकारों के परामर्श से समझौता ज्ञापन में संशोधन के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है।

इस संबंध में 23.03.2021 और 11.05.2021 को पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ बैठकें की गईं और उनसे इसके लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। तदनुसार, हरियाणा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने कैप को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके वैज्ञानिक कवर क्षमता बनाने के लिए अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

31.05.2021 को साइलो, **(**निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) क्षमता और (कवर और प्लिंथ) कैप क्षमता की स्थिति निम्नानुसार दी गई है:-

(आंकड़े एलएमटी में)

साइलों			**पीईजी क्षमता**	**कैप**		
स्वयं के	किराए के	कुल		स्वयं के	किराए के	कुल
1.10	**8.88**	**9.98**	**113.67**	**25.71**	**11.57**	**37.28**

31.05.2021 को केंद्रीय पूल के तहत कुल भंडारण क्षमता (कैप+कवर) निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख मी.टन में)

भारतीय खाद्य निगम	**राज्य एजेंसियां**	**कुल**

(स्वयं के+किराए के)		
468.25	436.49	904.74

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>साइलों का निर्माण: हब और स्पोक मॉडल</u>

सिफारिश (क्रम सं 19)

18. समिति ने टिप्पणी की है कि स्टील साइलो स्टोरेज अत्यधिक मशीनीकृत और थोक में खाद्यान्न के भंडारण का आधुनिक तरीका है। यह खाद्यान्नों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करता है और इसके शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। यदि खाद्यान्नों को साइलो में भंडारित किया जाता है और थोक में ले जाया जाता है, तो पारंपरिक गोदामों में बैग में खाद्यान्न भंडारण की तुलना में चोरी, उठाईगीरी और परिवहन के कारण नुकसान नगण्य होगा। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया कि चूंकि मौजूदा भारतीय खाद्य निगम गोदामों में भूमि की उपलब्धता कमी है, इसलिए साइलों में खाद्यान्नों के भंडारण में स्थानांतरित करना समझदारी होगी क्योंकि इसके लिए पारंपरिक भंडारण गोदामों की तुलना में लगभग 1/3 भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, साइलों को चौबीसों घंटे संचालित किया जा सकता है, जो लचीलापन लाएगा और समग्र दक्षता में सुधार करेगा। इस प्रकार, साइलों का निर्माण और थोक में खाद्यान्नों के भंडारण और परिवहन के लिए साइलो का उपयोग समग्र रूप से राष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा और साथ ही एक कुशल खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली भी तैयार करेगा। इसलिए भारतीय खाद्य निगम ने पीपीपी मोड पर आधुनिक स्टील साइलों का निर्माण करके अपनी भंडारण सुविधाओं को आधुनिक बनाने की योजना बनाई है। कमिटी ने टिप्पणी की है कि 100 एलएमटी साइलो क्षमता बनाने के लिए 2016 में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले भारतीय खाद्य निगम चार साल बाद भी केवल 8.25 एलएमटी ही बना सका जो निर्धारित लक्ष्य का सिर्फ 8.25**%** है। साइलो का निर्माण पंजाब और मध्य प्रदेश में किया गया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनकी खराब उपलब्धि की जिम्मेदारी का कारण भूमि और रेलवे साइडिंग की उपलब्धता की कमी है, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए जारी निविदा में अनिवार्य किया गया था। समिति को सूचित किया गया कि साइलो निर्माण में निवेश करने के लिए रुचि दिखाने वाले कई बड़े निवेशक इन बाधाओं के कारण आगे नहीं बढ़ सके। चूंकि पहले वाला मॉडल विफल हो गया था, समिति को पता चला कि भारतीय खाद्य निगम अपने मौजूदा मॉडल को बदल रहा है जिसके तहत 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर साइलो का निर्माण किया जाता है, जहां विभिन्न साइलो में एक मदर साइलो से

सड़क मार्ग से जुड़ा होता है, जिसमें रेल कनेक्टिविटी होगी। समिति की राय है कि खरीद और खपत के स्थानों के पास छोटे साइलो स्थापित करने से भारतीय खाद्य निगम की परिवहन लागत में काफी कमी आएगी क्योंकि इससे एक स्थान पर अनाज की खरीद और उन्हें दूर स्थित साइलो में भेजने में और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्नों को फिर से उन्हीं क्षेत्रों में वितरण के लिए वापस लाना, जहां से ये खाद्यान्न वास्तव में खरीदे गए थे, से बचने में मदद मिलेगी। समिति का विचार है कि यह "टू एंड फ्रो" परिचालन न केवल बहुत सारे संभार तंत्र मुद्दे पैदा करता हैं बल्कि परिवहन शुल्क के मामले में सरकार पर भी भारी पड़ते हैं और इसलिए इन्हें, अगर छोटे साइलो का निर्माण कर उन्हें हब और स्पोक मॉडल के अंदर एकीकृत करें तो प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पूरे देश में समयबद्ध तरीके से हब और स्पोक मॉडल पर साइलों नेटवर्क के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

सरकार का उत्तर

भंडारण सुविधाओं के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण के लिए, भारत सरकार ने 100 एलएमटी की क्षमता के लिए देश में पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड पर स्टील साइलो के निर्माण के लिए एक कार्य योजना तैयार की। वर्तमान में, 10.625 एलएमटी क्षमता वाले साइलो को पूरा कर लिया गया है और उपयोग में लाया जा चुका है और 19.125 एलएमटी साइलो क्षमता का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

पहले रेलवे साइडिंग वाले साइलो पर विचार किया जाता था। रेलवे साइडिंग साइलो के निर्माण में एक बड़ी बाधा रेल पटरियों के साथ उपयुक्त भूमि खोजने और अधिग्रहण करने में कठिनाई रही है। इसलिए, स्टील साइलो के निर्माण में तेजी लाने के लिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा मेसर्स राइट्स के माध्यम से कंटेनरीकृत परिचालन के साथ रोड़-साइड साइलो की व्यवहार्यता की जांच के लिए प्रोफेशनल स्टडी की गई थी। मेसर्स राइट्स ने रोड साइड साइलो और कंटेनराइज्ड बल्क मूवमेंट के साथ हब एंड स्पोक मॉडल की सिफारिश करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीएफपीडी ने एफसीआई द्वारा प्रस्तावित हब एंड स्पोक मॉडल के तहत साइलो के निर्माण के लिए "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया। रेल साइड ट्रैक के साथ भूमि की तुलना में रोड़ साइड साइलों के लिए भूमि अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध है ।

इसके बाद, एक परामर्शी और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर, प्रमुख हितधारकों को शामिल करके और उनके साथ बातचीत करके, हब और स्पोक साइलो के लिए बोली दस्तावेज तैयार किए गए। विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त टिप्पणियों और सर्वोत्तम तरीकों और हाल के

घटनाक्रमों पर विचार करते हुए संविदात्मक और तकनीकी मुद्दों से संबंधित परिवर्तनों पर हितधारकों के परामर्श और व्यापक विचार-विमर्श के लिए मसौदा बोली दस्तावेज रखे गए थे।

साइलो के लिए स्थानों की पहचान स्टोरेज गैप, उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए मंडियों के सीधे वितरण की अवधारणा और केंद्रीय रूप से बनाए रखने के बजाय उपभोक्ता क्षेत्रों में बफर स्टॉक के आधार पर साइलो के वितरण को ध्यान में रखते हुए की गई है। तदनुसार, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 247 स्थानों पर 108.375 एलएमटी की अतिरिक्त साइलो क्षमता का प्रस्ताव मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>रेलवे सीपीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम का गठन</u>

सिफारिश (क्रम सं 21)

19. समिति टिप्पणी करती है कि निवेशक - घरेलू और विदेशी - आधुनिक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निवेश करने के इच्छुक हैं, जिन्हें भूमि और रेलवे साइडिंग के अभाव में वापस लेना पड़ा। समिति यह भी टिप्पणी करती है कि भारतीय खाद्य निगम 85% खाद्यान्न रेल के माध्यम से परिवहन करता है क्योंकि यह सबसे सस्ता विकल्प है। समिति को पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग रेलवे को रेलवे साइडिंग के पास खाली जमीन देने के लिए मनाने में सफल नहीं हुए हैं ताकि भंडारण बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि सरकार को खाद्यान्नों की आवाजाही का कार्य करने के लिए रेलवे के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम के साथ-साथ रेलवे के लिए भी फायदेमंद होगी। इस संबंध में सरकार द्वारा की गई सटीक कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

भंडारण अवसंरचना के निर्माण के लिए रेलवे की अधिशेष भूमि के उपयोग से संबंधित मामले पर रेलवे के साथ विचार-विमर्श किया गया है और संयुक्त निरीक्षण के बाद कुछ स्थानों की संभावित रूप से पहचान की गई है। सीआरडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी को रेलवे भूमि पर भंडारण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अनिवार्य किया गया था क्योंकि सीआरडब्ल्यूसी का रेलवे के साथ पहले से ही समझौता था।

अब तक, लगभग 80% स्टॉक देश के विभिन्न हिस्सों में रेल द्वारा ले जाया जाता है, जो अभी भी सबसे किफायती तरीका है। भारतीय खाद्य निगम और रेलवे मिलकर काम करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित समन्वय बनाए रखते हैं कि देश भर में खाद्यान्न ले जाया जाए।

हालांकि, खाद्यान्न के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा भारतीय खाद्य निगम को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता है। रेलवे द्वारा खाद्यान्न, आटा और दालों के वर्गीकरण के तहत वस्तुओं के लिए भाड़े की दरें सभी के लिए समान हैं, चाहे वह भारतीय खाद्य निगम, निजी पार्टी या कोई अन्य सरकारी एजेंसी हो।

इसके अलावा, रेलवे के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने की संभावना तलाशने के लिए समिति की सिफारिश एक नीतिगत मुद्दा प्रतीत होता है। मंत्रालय इस पर उचित विचार कर सकता है।

जहां तक भंडारण अवसंरचना के निर्माण के लिए रेलवे की अधिशेष भूमि के उपयोग के मामले में रेलवे के साथ विचार-विमर्श किया गया है और संयुक्त निरीक्षण के बाद कुछ स्थानों की संभावित रूप से पहचान की गई है। सीआरडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी को रेलवे भूमि पर भंडारण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अनिवार्य किया गया था क्योंकि सीआरडब्ल्यूसी का रेलवे के साथ पहले से ही समझौता था।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>वित्तीय प्रदर्शन</u>

सिफारिश (क्रम सं 22)

20. समिति टिप्पणी करती है कि भारतीय खाद्य निगम एक 'नो प्रॉफिट नो लॉस' संगठन है और एक 100**%** सब्सिडी वाला निगम है। इस प्रकार, लाभ के उद्देश्यों के साथ स्थापित अन्य सीएसपीयू पर लागू वाणिज्यिक गतिविधियां और इसके शेयरधारकों के लिए मूल्य जोड़ने को भारतीय खाद्य निगम पर लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य कम कीमत पर खाद्यान्न खरीदकर और अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमाना नहीं है। सरकार का उद्देश्य है **(i)** न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी**)** का भुगतान सुनिश्चित करके किसानों को लाभकारी उत्पादन लागत प्रदान करना है **(ii)** जनता को रियायती मूल्य पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और **(iii)** देश के लिए खाद्यान्न का बफर स्टॉक और रणनीतिक भंडार बनाए रखना है। भारतीय खाद्य निगम सरकारी कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है और

सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है और इस प्रकार यह एक लाभोन्मुखी संस्था नहीं है। यदि कंपनी अधिनियम के सभी प्रावधान भारतीय खाद्य निगम पर लागू होते हैं, तो यह सब्सिडी की गणना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है और भारत सरकार पर इसका वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। निगम खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत शासित है और कंपनी अधिनियम 2013 के कई प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं और अधिनियम और भारतीय खाद्य निगम को सौंपे गए विशेष प्रकृति के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए सीएजी के परामर्श से भारतीय खाद्य निगम के वित्तीय विवरणों में कुछ परिवर्धन / विलोपन / संशोधन किए गए हैं।

सरकार का उत्तर

समिति का अवलोकन तथ्यात्मक है। पेशकश करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

सिफारिश (क्रम सं 23)

21. समिति ने नोट किया कि एफसीआई के वित्त के स्रोत मुख्य रूप से इक्विटी शेयर पूंजी, कैश क्रेडिट जो दीर्घावधि बॉन्ड बनाते है, अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/असुरक्षित अल्पकालिक अग्रिम और राष्ट्रीय लघु बचत कोष हैं।एफसीआई के कुल बजट बिक्री और सब्सिडी से बनता है। भारतीय खाद्य निगम का बजट 2014-15 के दौरान रु.134762 करोड़, 2015-16 के दौरान रु.131694 करोड़, 2016-17 के दौरान रु.131053 करोड़,2017-18 के दौरान रु.133912 करोड़, 2018-19 के दौरान रु.156272 करोड़ और 2019-20 के दौरान रु.166085 करोड़ था। यहाँ बिक्री के आंकड़ों में कोई स्थिरता नहीं है। तथापि, 2015-16 से सब्सिडी लगातार बढ़ रही है। सब्सिडी 2015-16 के दौरान रु. 102425 करोड़, 2016-17 के दौरान रु. 109136 करोड़, 2017-18 के दौरान रु. 116282 करोड़, 2018-19 के दौरान रु. 131787, 2019-20 के दौरान रु.140928 करोड़ थी। सब्सिडी के तीन घटक अर्थात उपभोक्ता सब्सिडी, बफर सब्सिडी और हानियाँ हैं। एफसीआई द्वारा सब्सिडी में वृद्धि का कारण प्रत्येक वर्ष एमएसपी में वृद्धि होना बताया गया है। समिति ने नोट किया कि गेहूं की एमएसपी जो 2010-11 में रु.1120 प्रति क्विंटल थी, वो बढ़कर 2018-19 में रु.1840 प्रति क्विंटल तक गई, जो 9 वर्षों की अवधि में 64.3% की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, साधारण धान की एमएसपी जो 2010-11 में रु. 1000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर इसी अवधि में रु.1750 प्रति क्विंटल तक हुई, जो इसी

अवधि में 75% की वृद्धि दर्शाता है। स्टॉकिंग मानदंडों से अधिक रखे गए स्टॉक पर भंडारण शुल्क के कारण भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, समिति ने देखा कि 276 एलएमटी गेहूं और 135 एलएमटी चावल के स्टॉक होल्डिंग मानदंडों के मुकाबले, एफसीआई के पास मार्च 2020 के अंत तक 458 एलएमटी का गेहूं स्टॉक और 354 एलएमटी का चावल स्टॉक था।

सरकार का उत्तर

प्रश्न में दर्शाये गए बजट आंकड़े बिक्री और सब्सिडी का योग है जिसे अद्यतन किया गया है:

राशि करोड़ रु. में

वर्ष	**बिक्री**	**सब्सिडी**	**कुल**
2014-15	29,755	1,05,007	1,34,762
2015-16	29,269	1,02,425	1,31,694
2016-17	21,917	1,09,136	1,31,053
2017-18	17,630	1,16,282	1,33,912
2018-19	30,758	1,20,352	1,51,110
2019-20	23,434	1,32,408	1,55,842
2020-21(आरई)	31,560	2,30,536	2,62,096

बिक्री के आंकड़े मुख्य रूप से एनएफएसए/ओडब्ल्यूएस के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए खाद्यान्न और ओएमएसएस (डी) में बिक्री के योग हैं।

एनएफएसए 2013-14 में पेश किया गया था। तथापि, राज्यों द्वारा एनएफएसए में परिवर्तन क्रमिक था, जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 से 2015-16 में उच्च बिक्री मूल्य हुआ चूंकि एपीएल/बीपीएल में बिक्री दर एनएफएसए में बिक्री दर से अधिक थी। 2015-16 के बाद बिक्री मूल्य में भिन्नता केवल ओएमएसएस (डी) के कारण थी। खुली बिक्री की मात्रा और आपूर्ति की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, बिक्री के आंकड़े उसी के अनुसार बदलते हैं। ओएमएसएस(डी) बिक्री की स्थिति नीचे दी गई है:-

वर्ष	**गेहूं**		**चावल**		**कुल मूल्य (करोड़ रु. में)**
	मात्रा (एलएमटी)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा (एलएमटी)	मूल्य (करोड़ रु.	

				में)	
2014-15	42.06	6,829.62	0	0.06	6,829.68
2015-16	70.37	11,157.19	0.89	203.93	11,361.12
2016-17	46.76	8,513.50	1.94	463.29	8,976.79
2017-18	13.82	2,644.43	4.69	1,172.35	3,816.78
2018-19	82.04	16,191.22	8.05	2,103.10	18,294.32
2019-20	34.15	7,512.19	14.61	3,668.75	11,180.94
2020-21(आरई)	50.00	11,000.00	30.00	6,750.00	17,750.00

केवल उपरोक्त दर्शाये गए परिवर्तन के कारण, बिक्री के आंकड़े एक जैसे नहीं हैं।

धान और गेहूं की अधिप्राप्ति ओपन एंडेड है। परिणामस्वरूप, एफसीआई के पास स्टॉक मानदंडों से अलग अतिरिक्त स्टॉक है। एफसीआई ऐसे अतिरिक्त स्टॉक को रखने के लिए लागत वहन कर रहा है जिसमें भंडारण शुल्क और ब्याज शामिल है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

सिफारिश (क्रम सं 24)

22. समिति ने आगे नोट किया कि सरकार ने 2017-18 में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से एफसीआई को रु.65,000 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था। उसी वर्ष के दौरान एफसीआई ने बैंकों से रु.82376.48 करोड़ की अल्पकालिक उधार लिया था। एफसीआई ने स्पष्ट किया कि 2017-18 के दौरान एफसीआई को स्वीकृत रु.65,000 करोड़ बिना किसी नकद रिलीज के बुक समायोजन थे। ये ऋण एफसीआई को जारी की गई सब्सिडी को वापस लेने और उन्हें एनएसएसएफ ऋणों में परिवर्तित करने या एफसीआई को जारी किए गए पिछले एनएसएसएफ ऋणों/डब्ल्यूएमए के रोलओवर/वसूली के लिए स्वीकृत किए गए थे। इसी प्रकार बैंकों से अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और नकदी प्रवाह बेमेल को पूरा करने के लिए लिये गए थे। समिति ने नोट किया कि 30 अक्टूबर 2019 तक, भारतीय खाद्य निगमपर रु.4,700 करोड़ का बकाया अल्पावधि ऋण था, जो 31 मार्च 2020 तक बढ़कर रु. 40,700 करोड़ हो गया।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2017-18 के दौरान, एफसीआई को तीन भागों में रु.65,000 करोड़ का एनएसएसएफ ऋण जारी किया गया, एनएसएसएफ ऋण किस्त के रोलओवर के लिए रु.14,000 करोड़, सब्सिडी आवंटन के रिवर्सल के बदले रु.42,919.46 करोड़ और शेष रु.8,080.54 करोड़ नकद जारी किए गए तथा बाद में डब्ल्यूएमए के पुनर्भुगतान के लिए रु.8,080 करोड़ वापस भुगतान किया गया।

इसके अलावा बकाया अल्पावधि ऋण (एसटीएल) को रु.4,700 करोड़ से रु.40,700 करोड़ तक बढ़ाने के मुद्दे के संबंध में, यह कहा गया है कि भारत सरकार से निधि की प्राप्ति में देरी/गैर-प्राप्ति के कारण उत्पन्न हुए बेमेल नकदी प्रवाह को पूरा करने के क्रम में एसटीएल का लाभ उठाया जाता है। लगभग रु.37,988 करोड़ के अंतर को दर्शाते हुए प्राप्तियों के साथ-साथ व्यय का विवरण, जिसे एफसीआई ने 1 नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक एसटीएल का लाभ उठाकर पूरा किया, निम्नानुसार हैं:-

भुगतान	**राशि (रु. करोड़ में)**	**प्राप्ति**	**राशि (रु. करोड़ में)**
सामान्य संचालन	57,497.00	सब्सिडी	13,164.02
वार्षिक बॉन्ड ब्याज	1,480,.48	एनएसएसएफ	19,435.98
एनएसएसएफ ब्याज	8,164.02	बॉन्ड	8,000.00
डीएफपीडी की ओर से डीसीपी राज्यों को भुगतान	11,436.00		
कुल	**78,577.50**	**कुल**	**40,600.00**

31.03.2021 तक एनएसएसएफ ऋण बकाया शून्य है, चूंकि एनएसएसएफ के संबंध में सभी देयता को केंद्रीय बजट 2021-22 में सब्सिडी के अतिरिक्त आवंटन के बाद निर्वहन किया गया है और एसटीएल बकाया रु.20,500 करोड़ था, जो बाद में अप्रैल, 2021 में चुकाया गया।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय(सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>खाद्यान्नों की आर्थिक लागत का निर्धारण</u>

सिफारिश (क्रम सं 25)

23. समिति ने नोट किया कि खाद्यान्नों की "आर्थिक लागत" में शामिल हैं **(i)** खाद्यान्न की पूल्ड लागत **(ii)** अधिप्राप्ति आकस्मिकताओं से युक्त वैधानिक शुल्क, बोरीकीलागत एवं अन्य **(iii)** भाड़ा **(iv)** ब्याज **(v)** हैंडलिंग शुल्क **(vi)** भंडारण शुल्क **(vii)** प्रशासनिक व्यय और **(viii)** ऑपरेशनल हानियाँ।आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति एफसीआई को "सब्सिडी" के रूप में की जाती है। एफसीआई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के समिति के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-18 के दौरान प्रति क्विंटल गेहूं का एमएसपी रु.1625 प्रति क्विंटल थी। उसी वर्ष गेहूं की अधिग्रहण लागत रु. 1891 प्रति क्विंटल थी जिसमें रु. 1587.90 गेहूं की पूल्ड लागत और अधिप्राप्ति आकस्मिकताओं पर रु. 303.91 था। गेहूं की वितरण लागत रु. 406.11 प्रति क्विंटल थी।इस प्रकार, गेहूं की आर्थिक लागत एमएसपी या रु. 1625 प्रति क्विंटल के प्रति 2017-18 के दौरान रु. 2297.92 प्रति क्विंटल थी। इसी तरह, 2018-19 के दौरान गेहूं की आर्थिक लागत सरकार द्वारा घोषित रु. 1735 की एमएसपी के प्रति रु. 2505.67 थी। इसके अलावा, चावल की आर्थिक लागत के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-18 के दौरान चावल की आर्थिक लागत रु. 1550 प्रति क्विंटल की एमएसपी के प्रति रु. 3280.31 थी। इसी तरह, 2018-19 के दौरान चावल की आर्थिक लागत रु. 1750 प्रति क्विंटल की एमएसपी के प्रति रु. 3472.94 थी। समिति ने अपनी आशंका व्यक्त की कि अधिप्राप्ति आकस्मिकताओं की गणना के लिए अपनाए गए मानदंड, गेहूं और चावल की आर्थिक लागत का पता लगाने के लिए वितरण लागत स्पष्ट रूप से उच्च स्तर पर है तथा इसलिए सरकार चावल के लिए घोषित एमएसपी लगभग दो गुना अधिक और गेहूं के एमएसपी से डेढ़ गुना अधिक सब्सिडी के रूप में व्यय कर रही है। इसलिए समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करने के लिए खाद्यान्न की अधिग्रहण लागत और वितरण लागत के रूप में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संपूर्ण तंत्र और लागत प्रणाली की पूरी तरह से समीक्षा की जाए।

सरकार का उत्तर

एफसीआई की आर्थिक लागत अनाज की अधिग्रहण लागत और वितरण लागत का योग है। अधिग्रहण लागत में पूल अनाज की लागत (एमएसपी की भारित औसत लागत) और अधिप्राप्ति आकस्मिकताएं शामिल होती हैं।

एफसीआई की ऑपरेशनल लागत में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:-

1. परिवहन लागत/भाड़ा
2. मार्गस्थ हानि
3. भंडारण हानि
4. हैंडिलिंग प्रभार
5. प्रशासनिक शुल्क
6. भंडारण शुल्क
7. ब्याज शुल्क

एफसीआई की कुल ऑपरेशनल लागत को दो भागों में बांटा गया है- वितरण लागत और बफर वहन लागत। वितरण लागत आर्थिक लागत का हिस्सा बन जाती है। बफर कैरिंग कॉस्ट बफर सब्सिडी का हिस्सा बन जाती है। एफसीआई द्वारा ऑपरेशनललागत का विभाजन मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

2019-20 में, भारतीय खाद्य निगमने अपनी कुल अधिप्राप्ति में 16.60% गेहूं और 1.54% धान की खरीद की। शेष भाग राज्य सरकारों से उनके द्वारा की गई खरीद से लिया गया था।

एफसीआई की खरीद के लिए, खर्चों को संबंधित शीर्षों में बुक किया जाता है। यह कुल अधिप्राप्ति लागत का एक छोटा सा हिस्सा है। अधिग्रहित स्टॉक के लिए, राज्यों को डीएफपीडी द्वारा जारी लागत पत्रक के आधार पर लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है और संबंधित एजेंसियों को स्टॉकवार भुगतान किया जाता है।

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लागत निर्धारण के तंत्र और प्रणाली की समीक्षा डीएफपीडी के स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है, चूंकि एफसीआई डीएफपीडी द्वारा निर्धारित लागत प्रणाली का पालन करता है।

2021-22 के बजट में, भारत सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की। परिणामस्वरूप एफसीआई ने 2020-21 में संपूर्ण एनएसएसएफ ऋण चुका दिया। इससे एफसीआई को 2021-22 में 25307 करोड़ रुपये के ब्याज की बचत होगी। इस वजह से, 2021-22 (बीई) की आर्थिक लागत को निम्नानुसार संशोधित किया गया था -

दर रु./ क्विंटल

विवरण	**2021-22(बीई)** **[पुरानी दर]**	**2021-22 (** बीई) **[संशोधित दर]**	कमी
गेहूं	2,993.80	2,573.14	420.66
चावल	4,293.79	3,678.92	614.87

चावल की आर्थिक लागत की गणना की जाती है जबकि धान के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है। आर्थिक लागत में ली गई पूल्डलागत वर्ष में वितरण के लिए उपलब्ध एमएसपी की भारित औसत लागत का योग है। इस गणना के लिए धान को आउटटर्न अनुपात से गुणा करके चावल में परिवर्तित किया जाता है। धान को चावल में बदलने का आउटटर्न अनुपात 67% है।जब धान के एमएसपी को चावल में परिवर्तित किया जाता है**,** तो चावल का एमएसपी धान के एमएसपी का लगभग 150% होता है।

उदाहरण: आरएमएस 2019-20 के लिए धान ग्रेड 'ए' का एमएसपी रु. 1835 प्रति क्विंटल और जब इसे चावल में बदला जाता है**,** तो एमएसपी रु. 2738.81 प्रति क्विंटल हो जाता है। जो धान के एमएसपी का लगभग 150% है।

[उपभोक्ता मामले**,** खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019**-**एफासी-I/**ई-**368662 दिनांक 30.07.2021)

सिफारिश (क्रम सं 26)

24. समिति यह जानकर भी हैरान है कि चावल की आर्थिक लागत के निर्धारण के लिए निर्धारित चावल की जमा लागत घोषित एमएसपी से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। जबकि अधिप्राप्ति के चरण से लेकर वितरण के चरण तक की सभी सेवाओं जैसे वैधानिक शुल्क, बोरीलागत, भाड़ा, ब्याज, हैंडलिंग शुल्क, भंडारण शुल्क, प्रशासनिक व्यय और ऑपरेशनल हानि आदि के लिए लागत तय की गई है, समिति को समझ में नहीं आ रहा है कि फिर पूल्ड लागत को अलग से एमएसपी से डेढ़ गुना ज्यादा क्यों दर्शाया गया है। इसलिए समिति चाहती है कि सरकार लागत निर्धारण की इस तरह की पद्धति को अपनाने के कारणों की व्याख्या करे और किसी भी खाते में लागत प्रणाली की कमी होने पर सुधारात्मक उपाय भी करे ।

सरकार का उत्तर

चावल की आर्थिक लागत की गणना की जाती है जबकि धान के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है। जैसा कि पहले के प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, पूल्डलागत वर्ष में वितरण के लिए उपलब्ध एमएसपी की भारित औसत लागत का योग है।इस गणना के लिए धान को आउटटर्न अनुपात से गुणा करके चावल में परिवर्तित किया जाता है।धान को चावल में बदलने का आउटटर्न अनुपात 67% है।जब धान के एमएसपी को चावल में परिवर्तित किया जाता है, तो चावल का एमएसपी धान के एमएसपी का लगभग 150% होता है।

उदाहरण: आरएमएस 2019-20 के लिए धान ग्रेड 'ए' का एमएसपी रु. 1835 प्रति क्विंटल और जब इसे चावल में बदला जाता है, तो एमएसपी रु. 2738.81 प्रति क्विंटल हो जाता है। जो धान के एमएसपी का लगभग 150% है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>क्षति, भंडारण और पारगमन के कारण हानि</u>

सिफारिश (क्रम सं 27)

25. समिति ने नोट किया कि 2014-15 से 29 फरवरी 2020 की अवधि के दौरान एफसीआई के अपने गोदामों में लगभग 15066.86 एमटीएस खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी अवधि के दौरान सीडब्ल्यूसी गोदामों और एसडब्ल्यूसी गोदामों में हानि क्रमशः 11713.51 एमटीएस और 12097.05 एमटीएस था। जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, कृन्तकों के कारण और भंडारण के कारण भी कोई हानि नहीं हुआ है। एफसीआई के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, 2018-19 के दौरान भंडारण में 0.12% की वृद्धि हुई है, चूंकि गेहूं नमी को अवशोषित करता है और चावल नमी खो देता है। समिति ने तथापि नोट किया कि पारगमन के कारण हानि 0.28% है तथा धन के मामले में, एफसीआई को इससे वार्षिक लगभग रु. 300 करोड़ घाटा हो रहा है। मार्गस्थ हानियों हेतु कारण मल्टीपलहैंडलिंग, बोरियों की खराब बनावट, लोहे के हुकों का अधिक उपयोग, खराब गुणवत्ता वाले वैगन, रास्ते में चोरी, रेल बिंदुओं पर अपर्याप्त सुरक्षा आदि के मद्देनजर बताया गया है। समिति ने क्षति, भंडारण और पारगमन के कारण होने वाले हानि को रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपायों पर ध्यान देते हुए, अपनी राय व्यक्त की कि अकेले पारगमन के कारण रुपये 300 करोड़ की वार्षिक वित्तीय हानि वास्तव में चिंताजनक है। समिति इसलिए सिफारिश करती है कि भंडारण और परिवहन प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि इन लेखोंपर होने वाले हानि को कम किया जा सके।

सरकार का उत्तर

मार्गस्थ हानियों के मामले में, सुधार की प्रवृत्ति रही है और प्रतिशत के संदर्भ में समग्र हानियां घट रही हैं। तथापि, 2020-21 के दौरान मार्गस्थ हानियों का उच्च मूल्य कोविड -19 महामारी के मद्देनजर बढ़े हुए विशेष आवंटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में स्थानांतरित होने के कारण है। साथ ही, 2020-21 के दौरान कुल परिचालन 538.55

लाख मीट्रिक टन था, जबकि 2019-20 के दौरान 409.58 लाख मीट्रिक टन का कुल परिचालन था। इसके अलावा, खाद्यान्न के एमएसपी में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाती है जिसके परिणामस्वरूप हानि की समान मात्रा के लिए उच्च मूल्य होता है।

मार्गस्थ हानियों की प्रवृत्ति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

वर्ष	**एमओयू लक्ष्य (%)**	**परिचालित मात्रा (एलएमटी)**	**हानि की मात्रा (एलएमटी)**	**हानि का %**	**हानि का मूल्य (रु. करोड़)**
2015-16*	0.42	437.36	1.30	0.30	298.86
2016-17*	0.40	438.09	1.32	0.30	313.90
2017-18*	0.371 (उत्कृष्ट ग्रेड)	456.72	1.12	0.25	286.40
2018-19*	0.294 (उत्कृष्ट ग्रेड)	414.99	1.03	0.25	276.85
2019-20*	0.28 (उत्कृष्ट ग्रेड)	409.58	0.94	0.23	257.92
2020-21** (मार्च 21 तक)	-	538.55	1.50	0.28	431.23

1. *लेखापरीक्षित आंकड़े इंगित करता है और ** मार्गस्थ हानि के अनंतिम आंकड़े इंगित करता है। (रेल + सड़क)

2. 2020-21 (बीई) के लिए अधिग्रहण लागत पर परिकलित मूल्य रु.2220.75 प्रति क्विंटल (गेहूं) और रु. 3162.73 प्रति क्विंटल (चावल) ।

<u>मार्गस्थ हानियों को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई:</u>

मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक मासिक निष्पादन समीक्षा बैठक (एमपीआरएम) में भंडारण और मार्गस्थ हानियों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। आंचलिक स्तर पर का. नि., (अंचल) बैठकों में इसकी निगरानी करते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर म.प्र. (क्षेत्र) बैठकों में इसकी समीक्षा करते हैं। तद्नुसार, सभी संबंधितों को उच्च भंडारण एवं मार्गस्थ हानि के मामलों को दर्शाने वाले

डिपो के निरीक्षण को तेज करने और अनुचित हानि के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं: -

- मुख्यालय/ का.नि.(अंचल) /महाप्रबंधक (क्षेत्र) मार्गस्थ हानियों की प्रवृत्ति की लगातार निगरानी कर रहे हैं और उन्हें कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं।
- परिवहन के दौरान छलकाव के कारण होने वाले हानियों को कम करने के लिए बिखरे हुए अनाज को पुनः प्राप्त करने के लिए रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलीथीन शीट फैलाना शुरू किया गया है।
- उच्च मार्गस्थ हानियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए उच्च टीएल मामलों के संयुक्त सत्यापन के संबंध में एक 'एसओपी' पेश किया गया है।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गहन जांच के लिए प्रेषण और प्राप्तकर्ता केंद्रों पर संवेदनशील बिंदुओं की पहचान की जाती है।
- चयनित रेलहेडों और गंतव्य/प्रेषण केंद्रों पर विशेष दस्ते की प्रतिनियुक्ति की जाती है।
- रेकों की लोडिंग और अनलोडिंग के समय इंडिपेंडेंट कंसाइनमेंट सर्टिफिकेशन स्क्वॉड (आईसीसीएस) तैनात करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- प्राप्ति और इश्यूके समय उचित वजन और लेखांकन पर बल दिया जाता है।
- जहां कहीं भी असामान्य/अनुचित मार्गस्थ हानियों की सूचना मिलती है, दोषियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय(सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफासी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>खाद्यान्नों की गुणवत्ता जांच</u>

सिफारिश (क्र.सं. 28)

26. समिति ने नोट किया कि गुणवत्ता जांच के लिए मशीनीकृत प्रक्रिया शुरू करने की दृष्टि से, एफसीआई ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी), कोलकाता द्वारा विकसित 30 कम्प्यूटरीकृत चावल विश्लेषक (अन्नदर्पण स्मार्ट) खरीदे हैं और इसे खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2017-18 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम

बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे 07 प्रमुख खरीद क्षेत्रों के 30 स्थानों पर उपलब्ध कराया है तथा इन स्थानों पर चावल की स्वीकृति कम्प्यूटरीकृत चावल विश्लेषक (सीआरए) के माध्यम से की गई। केएमएस 2018-19 के दौरान, सीआरए को बड़े केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया और इसके माध्यम से चावल की स्वीकृति की गई। समिति ने नोट किया कि एफसीआई ने एफसीआई प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएफटीआरआई, मैसूर के साथ एक समझौता किया है। दोनों पक्षों द्वारा सीएनपी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और प्रमुख प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति के लिए 10.12.2018 को नई निविदा जारी की गई थी, जिसके संबंध में तकनीकी बोली 03.01.2019 को खोली गई थी और तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा था। समिति को आगे पता चला कि गुरुग्राम में इसकी प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धन का उपयोग नहीं किया जा सका और इसलिए शेष बजट को आईएफएस गुरुग्राम में क्यूसी लैब के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किया गया था। समिति एफसीआई के दृष्टिकोण से सहमत है कि उन्नत देशों में भी खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई सिद्ध तकनीक नहीं है और वर्तमान सीआरए प्रौद्योगिकी की अपनी सीमाएं हैं। फिर भी समिति का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की गुणवत्ता भौतिक मानव निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। यह केवल तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से गुणवत्ता जांच द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। समिति को सीएफटीआरआई, मैसूर के साथ हस्ताक्षरित समझौते में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति ने सिफारिश की कि भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और खाद्यान्नों की प्रभावी गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है ताकि देश में गरीब परिवारों सहित आशयित लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

सरकार का उत्तर

सभी एफसीआई डिपो/जिला कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय खाद्यान्न के नमूनों के भौतिक मानकों का परीक्षण करने के लिए इक्विप्ड हैं। भौतिक मापदंडों के अलावा, रासायनिक मापदंडों का भी परीक्षण किया जाना है, इसलिए एफसीआई ने माइकोटॉक्सिन, यूरिक एसिड, मैलाथियान की अवशिष्ट विषाक्तता, डेल्टामेथ्रिन और एल्युमिनियम फॉस्फाइड के परीक्षण के दायरे के साथ खाद्य सुरक्षा संस्थान (आईएफएस) गुरुग्राम में एक अति-आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की है ताकि पीडीएस लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

इसी तरह, फोर्टिफाइड चावल में मौजूद फोर्टिफिकेंट्स के स्तर सहित खाद्यान्नों में कीटनाशकों के अवशेषों, मायकोटॉक्सिन, यूरिक एसिड के परीक्षण की संभावना के साथ विभिन्न आंचलिक कार्यालयों अर्थात आंचलिक कार्यालय (उत्तर), नोएडा/आंचलिक कार्यालय (दक्षिण), चेन्नई/आंचलिक कार्यालय (पूर्व), कोलकाता और आंचलिक कार्यालय (पश्चिम), मुंबई के तहत चार और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है ताकि फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए आंतरिक क्षमता विकसित की जा सके। इस संबंध में संबंधित आंचलिक कार्यालयों को तत्काल कार्रवाई करने के निदेश के साथ उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

खाद्यान्नों का रासायनिक परीक्षण करने के लिए सभी एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालयों ने एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ एफएसएसएआई मानकों और चावल के मामले में फोर्टिफिकेंट्स के परीक्षण के लिए समझौता किया है। गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित आधार पर ऐसे थर्ड पार्टी लैब में सैंपल भेजे जा रहे हैं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 25 देखें)

<u>जारी न किए जाने योग्य खाद्यान्नों की मात्रा को कम करना</u>

सिफारिश (क्र.सं. 29)

27. समिति ने नोट किया कि जो खाद्यान्न एफएसएसएआई के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं और सामान्य निर्गम के लिए उन्हें सुधारा (रिकन्डीशंड) नहीं जा सकता है, उन्हें 'जारी न किए जाने योग्य' माना जाता है तथा उन्हें विभिन्न श्रेणियों जैसे फीड I, II, III, औद्योगिक उपयोग, खाद के तहत वर्गीकृत किया जाता है और आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के बाद निविदा इन्क्वायरी प्रणाली के माध्यम से उनका निपटान किया जाता है। समिति यह भी नोट करती है कि वैज्ञानिक प्रबंधन और खाद्यान्न के स्टॉक का संरक्षण जारी न करने योग्य खाद्यान्न की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए खरीद में गुणवत्ता जांच भी की जाती है कि निर्दिष्ट गुणवत्ता से नीचे कुछ भी केंद्रीय पूल में स्वीकार नहीं किया जाता है

और थर्ड पार्टी द्वारा खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच भी की जाती है। एफसीआई के गोदामों में खरीदे और संग्रहीत किए गए खाद्यान्न के नमूने समय-समय पर गुणवत्ता जांच के लिए एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं। तथापि, समिति ने नोट किया कि इतने सारे उपायों के बावजूद 2014-15 के दौरान 6274.774 मीट्रिक टन गेहूं और 2016-17 के दौरान 4845.978 मीट्रिक टन गेहूं गैर-जारी करने योग्य पाया गया। इसी प्रकार 2014-15 के दौरान 18236.025 मीट्रिक टन चावल जारी न करने योग्य पाया गया। समिति यह नहीं समझ पा रही है कि खाद्यान्न जारी न करने योग्य कैसे हो जाता है, खासकर जब गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इतने सारे उपाय एवं गुणवत्ता जांच की जा रही है और स्टॉक का निपटान फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट (फीफो) के सिद्धांत पर किया जा रहा है तथा एफसीआई द्वारा पुराने फसल वर्ष के स्टॉक को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए नियोजित परिसमापन किया जा रहा है। यद्यपि डेटा 2017-18 के दौरान जारी न करने योग्य खाद्यान्नों में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है, परंतु 2018-19 के दौरान जारी न करने योग्य खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि हुई थी। समिति ऐसी स्थिति के कारणों के बारे में विस्तार से जानना चाहती है और एफसीआई से खाद्यान्न के स्टॉक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का आग्रह करती है ताकि जारी न करने योग्य खाद्यान्नों की मात्रा कम से कम हो। समिति आगे यह इच्छा व्यक्त करती है कि एफसीआई द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक वैज्ञानिक प्रणाली विकसित की जाए ।

सरकार का उत्तर

एफसीआई संरक्षण के वैज्ञानिक तरीकों का अनुसरण करता है। भंडारण के दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निवारक और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। तथापि, खराब होने वाली वस्तु होने के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रमुख रूप से क्षति होने के कारण हानि होना तय है। तथापि, यह सुनिश्चित किया गया है कि खाद्यान्नों की क्षति को कम से कम रखा जाए। उठान मात्रा के मुकाबले जारी न करने योग्य खाद्यान्नों की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार रखी गई है:

ऑफटेक मात्रा की तुलना में भारतीय खाद्य निगम में जारी न किए जाने योग्य खाद्यान्नों का उठाव की मात्रा के प्रति संग्रह

फसल वर्ष	उपार्जित गैर-निर्गमीय खाद्यान्न (एमटी में)	ऑफ-टेक मात्रा (एलएमटी में)	उठान मात्रा की तुलना में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का %

2014-15	18847	501.75	0.037
2015-16	3116	490.15	0.006
2016-17	8776	473.31	0.020
2107-18	2663	452.16	0.006
2018-19	5213	500.08	0.010
2019-20	1930	455.13	0.004
2020-21	1850	688.57	0.003

2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान, एफसीआई में खाद्यान्न की क्षति की घटना 0.04% से घटकर 0.003% हो गई थी। अधिकांश क्षति प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, चक्रवात और बाढ़ के कारण हुई थी। संबंधित विवरण इस प्रकार है:

2014-15 से 2020-21 के दौरान भारतीय खाद्य निगम में जारी न किए जाने योग्य खाद्यान्नों के प्रोद्भूत होने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (आँकड़े एमटी में)

	2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
क. प्राकृतिक आपदाएं							
वर्षा	130	119	138	22	0	15	2
बाढ़	6144	0	204	1527	4390	993	1447
चक्रवात	9251	2039	4	5	0	689	67
क. कुल	**15525**	**2158**	**346**	**1554**	**4390**	**1697**	**1516**
ख. परिचालन संबंधी कारण							
लंबे समय तक भंडारण	318	31	30	3	8	0	0
गुणवत्ता की शिकायतें	551	354	56	39	106	63	196
मार्गस्थ क्षति	516	417	186	262	271	106	83

लापरवाही	1746	79	7924	11	0	0	0
अन्य	191	77	234	794	438	64	55
ख. कुल	**3322**	**958**	**8430**	**1109**	**823**	**233**	**334**
सकल योग (क +ख)	**18847**	**3116**	**8776**	**2663**	**5213**	**1930**	**1850**

खाद्यान्न की क्षति के प्रत्येक मामले की जांच के लिए जिला और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर क्षति निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। जहां कहीं भी लापरवाही के कारण क्षति देखी जाती है, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और भंडारण एजेंसियों से वसूली की जाती है, यदि उनके कर्मचारियों की ओर से लापरवाही देखी जाती है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>डिपो का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण</u>

सिफारिश (क्र.सं. 30)

28. समिति ने नोट किया कि 561 डिपो/गोदाम एफसीआई के स्वामित्व में हैं, 191 डिपो/गोदाम केंद्रीय भंडारण निगम के स्वामित्व में हैं और 702 डिपो/गोदाम राज्य भंडारण निगमों के स्वामित्व में हैं। एफसीआई ने उनकी अधिप्राप्ति, भंडारण और वितरण कार्यों में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग के माध्यम से खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बदलने की दृष्टि से एफसीआई डिपो में सभी कार्यों को स्वचालित करने के लिए डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डॉस) एप्लिकेशन को लागू किया है। परियोजना के अन्य उद्देश्यों में डिपो स्तर की प्रक्रियाओं का मानकीकरण एवं स्वचालन, संचालन की वास्तविक समय की निगरानी करना, समय पर डेटा रिपोर्टिंग, डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली और प्रभावी योजना और प्रशासनिक कार्यों का अनुकूलन शामिल है। इसके अलावा एफसीआई 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के लिए एनआईसी के खाद्य और आवश्यक वस्तु आश्वासन एवं सुरक्षा लक्ष्य (फीस्ट) एप्लिकेशन को भी लागू कर रहा है। वे फीस्ट को डॉस में एकीकृत करने की भी योजना बना रहे हैं जो फीस्ट से डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डॉस) को इंडेंट से संबंधित जानकारी का प्रसारण सुनिश्चित करेगा और फिर डॉस से फीस्ट को रिलीज़ ऑर्डर से संबंधित जानकारी देगा।

इसी तरह, सीडब्ल्यूसी ने अपने डिपो में डब्ल्यूएमएस एप्लिकेशन को लागू किया है जिसे डॉस के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। तथापि समिति को ज्ञात है कि डीओएस वर्तमान में केवल 533 एफसीआई डिपो और 144 सीडब्ल्यूसी डिपो में ऑपरेशनल है। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, एफसीआई द्वारा किराए पर लिए गए सभी एसडब्ल्यूसी गोदामों को 1 अप्रैल 2020 तक डीओएस पर ऑनलाइन लाया जाना था, लेकिन इस संबंध में की गई वास्तविक प्रगति की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं है। समिति का मानना है कि ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार के पास उनके डिपो/गोदामों में स्टॉक में खाद्यान्न की उपलब्धता का वास्तविक समय डेटा/सूचना है जो विभिन्न संबंधित मुद्दों पर समय पर और त्वरित निर्णय लेने में मदद करेगा। इस प्रकार समिति का सुविचारित दृष्टिकोण है कि जब तक सभी डिपो/गोदाम पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत और आधुनिकीकृत नहीं हो जाते, तब तक एफसीआई द्वारा डिपो ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए समिति सरकार से सिफारिश करती है कि एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी के सभी डिपो/गोदामों में न केवल कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए बल्कि चरणबद्ध रूप में अधिमानतः 6 महीने के अंदर फीस्ट सहित डॉस काम का एकीकरण हो, ताकि निकट भविष्य में देशीय स्तर पर ऑनलाइन खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली के इच्छित लाभों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके ।

सरकार का उत्तर

गैर-एफसीआई डिपो (किराए के गोदामों) में डीओएस को लागू करने के लिए, 17.01.2020 को एफसीआई मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीडब्ल्यूसी / एसडब्ल्यूसी के डब्ल्यूएमएस एप्लीकेशन के एसआई ने आगे की कार्रवाई तय करने के लिए भाग लिया। बैठक में, एसडब्ल्यूसी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि एफसीआई द्वारा केंद्रीय पूल स्टॉक रखने के लिए किराए पर लिए गए अपने सभी गोदामों को डीओएस एप्लिकेशन के साथ ऑनलाइन लाया जाए ताकि भारत सरकार को एफसीआई के सेंट्रल पूल स्टॉक पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की जा सके।

तब से, डीओएस एप्लीकेशन में एफसीआई द्वारा किराए पर लिए गए लगभग 1646 गोदामों का प्रावधान किया गया है। दिनांक 24.06.2021 की स्थिति के अनुसार, एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए के गोदामों में डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे उल्लिखित है:

	एफसीआई के स्वामित्व वाले	किराए के डिपो				
		सीडब्ल्यूसी	एसडब्ल्यूसी	पीईजी	अन्य	कुल
डीओएस में प्रावधान #	555	193	804	494	155	2201

डॉस के राष्ट्रीय डैशबोर्ड से लिए गए आंकड़े (24-06-2021 तक)

डॉस-फीस्ट एकीकरण:

एनएफएसए के तहत राज्य सरकारों को वितरित किए गए खाद्यान्नों की एंड-टू-एंड निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, डॉस (एफसीआई स्टॉक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) और एफईएएसटी (राज्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सॉफ्टवेयर) के एकीकरण की अवधारणा की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के लिए फीस्ट को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और इसे आंशिक रूप से या पूरी तरह से 16 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र एफसीआई को मांगपत्र/अनुरोध प्रस्तुत करते हैं और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आवंटन और भुगतान की गई राशि के आधार पर, एफसीआई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को एक रिलीज ऑर्डर (आरओ) जारी करता है, जो पीडीएस में आगे वितरण के लिए एफसीआई डिपो से स्टॉक उठाते हैं।

फीस्ट से डॉस का एकीकरण, फीस्ट से डॉस तक इंडेंट से संबंधित जानकारी और फिर डॉस से फीस्ट को रिलीज़ ऑर्डर संबंधी जानकारी का प्रसारण सुनिश्चित करेगा।

डीओएस से ट्रक चिट विवरण के साथ एफसीआई से रिलीज ऑर्डर (आरओ) के माध्यम से स्टॉक जारी करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त इंडेंट (इंडेंटर के विवरण के साथ) से एपीआई-आधारित एकीकरण पूरा हो गया है।

एनआईसी के पास फीस्ट एप्लिकेशन का राज्य-वार उदाहरण है (वर्तमान में 11 राज्यों के लिए) और डॉस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इन सभी व्यक्तिगत उदाहरणों को सीएएस (सेंट्रल ऑथेंटिकेशन सर्वर) सिस्टम के तहत लाया गया है।

फीस्ट के साथ डॉस के एकीकरण के लिए परीक्षण वातावरण में भारतीय खाद्य निगम और एनआईसी टीमों द्वारा संयुक्त परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है।

एनआईसी द्वारा पहचाने गए फीस्ट लागू करने वाले राज्य (गोवा, उत्तराखंड, नागालैंड) पोस्ट सर्वर अपग्रेडेशन उत्पादन में परीक्षण के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के पास लंबित हैं।

अधिप्राप्ति कार्यों में पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना की है जहां राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किए जा रहे अधिप्राप्ति पोर्टल किसान पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड सत्यापन और पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के संबंध में न्यूनतम सीमा मापदंडों का अनुपालन करते हैं। दिनांक 11.06.2021 को राज्य सरकारों के साथ बैठक की गई है और उन्हें अगले केएमएस की शुरुआत तक इस कार्य को पूरा करने के लिए अवगत करा दिया गया है।

यह भी प्रस्तावित है कि इन एमटीपी को राष्ट्रीय पोर्टल में एपीआई के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा।

फैप (वित्तीय लेखा पैकेज)

एफएपी एक ओरेकल आधारित ऑनलाइन ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सॉफ्टवेयर है जो निगम के वित्त और लेखा से संबंधित कार्यों के लिए मंडल कार्यालय स्तर (कुल यूनिट -197) तक लागू किया गया है।

वर्तमान में, फैप के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं:

- वार्षिक लेखा तैयार करना;
- सभी कर्मचारियों और सभी प्रकार के एफसीआई श्रमिकों को वेतन, मजदूरी और अन्य भुगतान की तैयारी;
- सभी भुगतान, रसीदें, चालान और बिल फैप के माध्यम से भेजे जाते हैं।

फैप में बिलों की ट्रैकिंग का प्रावधान है। फैप को एमआईएस उद्देश्यों के लिए एसएफटीपी सर्वर के माध्यम से भारत सरकार के पीएफएमएस एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना</u>

सिफारिश (क्र.सं. 31)

28. समिति ने नोट किया कि गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति ओपन एंडेड है जिसका अर्थ है कि किसानों से जो कुछ भी बिक्री के लिए आता है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाना है। अधिप्राप्ति की बड़ी मात्रा से निश्चित रूप से सब्सिडी के रूप में सरकार पर

अधिक वित्तीय बोझ पड़ता है। समिति को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, हर साल अधिप्राप्ति बफर स्टॉकिंग मानदंडों से लगभग 40 एलएमटी अधिक होती है जिससे भंडारण लागत पर खर्च बढ़ जाता है। साथ ही अधिक स्टॉक होने से स्टॉक के खराब होने की भी संभावना रहती है। समिति के समक्ष प्रस्तुत अनुमान के अनुसार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त स्टॉक है और इसलिए सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करके अन्य व्यावसायिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने का समय आ गया है। दूसरा पहलू यह है कि चावल और गेहूं पानी की खपत वाली फसलें हैं, उनकी खेती गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों में जल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हालांकि समिति ने नोट किया कि एमएसपी के निर्धारण और तिलहन, दलहन, बाजरा और वाणिज्यिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सीएएफ और पीडी) की भागीदारी के अलावा, कृषि मंत्रालय को भी चावल और गेहूं के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों पर किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए परामर्श करने और विश्वास में लेने की आवश्यकता है। समिति, इसलिए सिफारिश करती है कि सरकार को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय दोनों के परामर्श से बाजरा, तिलहन, दलहन और अन्य वाणिज्यिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफ़ारिश को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है ।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>सतर्कता मामले</u>

सिफारिश (क्र.सं. 32)

29. समिति ने नोट किया कि 30 सितंबर 2019 तक एफसीआई के पास 37 बड़े और 155 लघु सतर्कता मामले लंबित हैं। यह देखते हुए कि अकेले 2017 में 64 बड़े मामले और 753 लघु मामले दर्ज किए गए थे, प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या बहुत अधिक है। 2018-19 में 92 बड़े और 736 लघु मामले सामने आए। और 30 सितंबर 2019 तक 48 बड़े और 326 लघु मामले सामने आए। समिति ने नोट किया कि हालांकि एफसीआई ने हर साल

कई मामलों को जल्दी से निपटाने की कोशिश की है, फिर भी हर साल रिपोर्ट किए गए नए मामलों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक है। मामलों की पुनरावृत्ति का एक कारण या तो एफसीआई मामलों का निपटारा करते समय नरम रुख अपनाना या आरोपित अधिकारी पर पर्याप्त कठोर दंड न लगाना हो सकता है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि एफसीआई द्वारा हर साल 800 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। अधिप्राप्ति, भंडारण, ठेके, परिवहन/आवागमन, वितरण और श्रम मुद्दों से संबंधित मामलों में ऐसे मामलों की के न घटित होने के लिए एफसीआई द्वारा कई निवारक उपाय किए जाने के बावजूद ऐसा अप्रिय परिदृश्य है। समिति समझती है कि भ्रष्टाचार/कदाचार की घटनाएं अधिक हैं क्योंकि एफसीआई एक बड़ा संस्थान है, जिसमें लगभग 21,000 कर्मचारी हैं और लगभग 38,000 विभागीय श्रमिक हैं और इसकी अधिकांश गतिविधियों में प्रत्यक्ष कर्मचारी और सार्वजनिक संपर्क हैं। समिति का विचार है कि एफसीआई में भ्रष्टाचार की इतनी अधिक घटनाएं न केवल संस्थान के बारे में खराब प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं बल्कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर भी आशंकाएं पैदा करती हैं।समिति सिफारिश करती है कि भ्रष्टाचार पर शून्य उदारता और शून्य सहनशीलता होनी चाहिए तथा कदाचार/भ्रष्टाचार की घटनाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और अपराध की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधिकारियों को कठोर सजा देनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

पिछले चार वर्षों के दौरान बड़े और लघु जुर्माने के मामलों की स्थिति इस प्रकार है:-

अवधि	**आरंभिक शेष**		**वर्ष के दौरान आए मामलों की संख्या**		**वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों की संख्या**		**इतिशेष**	
	बड़े	**लघु**	**बड़े**	**लघु**	**बड़े**	**लघु**	**बड़े**	**लघु**
2017-18	156	187	64	753	74	742	146	198
2018-19	146	198	92	736	112	706	126	228
2019-20	126	228	71	620	85	661	112	187
2020-21	112	187	53	664	79	706	86	145

पिछले चार वर्षों के दौरान कुल मामलों की संख्या में कमी देखी गई है। इसके अलावा, मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया गया है, जो वर्षों से इतिशेष में कमी को भी

दर्शाता है। भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं के बारे में समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को नोट किया गया है और निम्नलिखित उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है: -

i. एफसीआई भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (जहां लागू हो) की सलाह लेता है और आयोग की सलाह को ध्यान में रखते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई करता है। एफसीआई ने पिछले दो वर्षों के दौरान सीवीसी की सलाह के अनुरूप सभी मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

ii. आपराधिक प्रकृति के मामले और उच्च वित्तीय निहितार्थ वाले मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास भेजा जाता है। अभियोजन स्वीकृति/प्रारंभिक जांच/एफआईआर की अनुमति देने के लिए सीबीआई द्वारा अग्रेषित सभी मामलों को तेजी से निपटाया जाता है और समयबद्ध तरीके से निपटाया जाता है।

iii. भ्रष्टाचार/रिश्वत या आय से अधिक संपत्ति साबित होने पर सेवा से बर्खास्तगी/हटाने का दंड लगाने के लिए एफसीआई के विनियमों में 16.10.2020 को संशोधन किया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

<u>सीपीएसयू के लेखापरीक्षा पैरा और देय राशि का निपटान</u>

सिफारिश (क्र.सं. 33)

30. समिति ने नोट किया कि 2015-16 के दौरान सीएण्डएजी द्वारा दो निष्पादन और तीन वाणिज्यिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें जारी की गई थीं। प्रमुख अवलोकन गंभीर मुद्दों जैसे कि आकस्मिक शुल्क, सोसायटीज को कमीशन, साइलो का उपेष्टतम उपयोग, बोरे का प्रबंधन और सड़क परिवहन अनुबंध, आदि से संबंधित थे। तथापि समिति ने नोट किया कि सीएण्डएजी ने 2013 से 2018 के बीच अपनी रिपोर्ट में एफसीआई पर लगभग 113 पैरा उठाए थे। उठाए गए 113 पैराओं में से केवल 12 पैरा बंद कर दिए गए हैं तथा 89 पैरा मंत्रालय और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास लंबित हैं। एफसीआई के 12 पैरा अभी भी उत्तर हेतु लंबित हैं। समिति का विचार है कि लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या संस्थान की ओर से कमिशन, चूक और उल्लंघन को दर्शाती है जिसे जल्द से जल्द सुधारा/सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। समिति ने आगे नोट

किया कि 2015 के दौरान सीएण्डएजी द्वारा उठाए गए 44 पैराओं में से 30 पैरा अभी भी मंत्रालय और सीएण्डएजी के पास लंबित हैं तथा एफसीआई से 6 पैरा अभी भी जवाब हेतु लंबित हैं। इसी प्रकार 2017 के दौरान सीएण्डएजी द्वारा उठाए गए 54 पैराओं में से 51 अभी भी मंत्रालय के पास लंबित हैं। इसी प्रकार 2017 के दौरान सीएण्डएजी द्वारा उठाए गए 54 पैराओं में से 51 अभी भी मंत्रालय के पास लंबित हैं। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर एफसीआई/मंत्रालय की ढिलाई और गैर-गंभीरता को दर्शाता है। समिति अधिमानतः 03 महीने के भीतर सीएण्डएजी के लंबित लेखापरीक्षा पैरा के निपटान में तेजी लाने की पुरजोर सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

पिछले 7 वर्षों में 6 सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए 113 पैरा/उप-पैरा की तुलना में 24 जून 2021 की स्थिति के अनुसार, 93 पैरा/उप-पैराओं के उत्तर मंत्रालय/सी एंड एजी के पास प्रस्तुत किए गए थे; 12 पैरा बंद कर दिए गए हैं।

जहां तक लंबित 8 पैरा/उप-पैरा का संबंध है, उत्तरों की तैयारी प्रक्रियाधीन है और इसे मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया जाएगा। ये लंबित 'पुनरीक्षण टिप्पणियां' आगे की टिप्पणियों/अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए एफसीआई को अग्रेषित की जाती हैं, जो तीसरे से छठे स्तर पर हैं ।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय 1 का पैरा 28 देखें)

सिफारिश (क्र.सं. 34)

30. समिति आगे नोट करती है कि निगम द्वारा नियमित अनुनय के बावजूद एमएमटीसी से 92.18 करोड़ रु., एसटीसी से 6.64 करोड़ रु. और पीईसी से 6.65 करोड़ रु. की बकाया राशि का एफसीआई को भुगतान लंबित है। बकाया राशि 2012 से 2014 की अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात से संबंधित है। एफसीआई द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, एमएमटीसी के दावे के निपटारे के मामले को सीएएफ और पीडी मंत्रालय को भेजा गया है जबकि एसटीसी एवं पीईसी के मामले

पर कार्रवाई जा रही है। समिति सिफारिश करती है कि संबंधित सीपीएसयू से 105.40 करोड़ रुपये के लंबित बकाया की वसूली या निपटान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, जो पिछले 6-8 वर्षों से लंबित है तथा एफसीआई को इस पर भारी ब्याज की हानि हो रही है।

सरकार का उत्तर

1. एमएमटीसी के पास लंबित दावों के निपटान के लिए, ये सीपीएसई के विवादों (एएमआरसीडी) के निवारण के लिए प्रशासनिक तंत्र के प्रावधानों के अंतर्गत हैं। पिछली बैठक दिनांक 13.10.2020 को एफसीआई, मुख्यालय में एमएमटीसी एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के बीच दावों और काउंटर दावों के समाधान के लिए आयोजित की गई थी।

2. एसटीसी के पास लंबित दावों के निपटारे के लिए दिनांक 09.12.2019 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद दिनांक 30.07.2020 और 20.08.2020 को बैठक हुई। अगली बैठक आयोजित करने के लिए दिनांक 05.01.2021 और 29.01.2021, 25.03.2021 और 16.06.2021 एसटीसी को पत्र लिखा गया है। एसटीसी ने दिनांक 18.06.2021 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के कारण सभी आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया था तथा एसटीसी और एफसीआई से संबंधित आंकड़ों के मिलान के बाद बैठक हो सकती है।

3. पीईसी के मामले में, एफसीआई ने दिनांक 11/14.06.2021 के पत्र द्वारा एमओसीएएफ एंड पीडी से अनुरोध किया है कि एएमआरसीडी के प्रावधानों के अनुसार पीईसी के समक्ष मामले को उठाये क्योंकि पीईसी दावों के निपटान के लिए किसी भी बैठक की कार्रवाई का अनुपालन नहीं कर रहा है ।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

अध्याय तीन

टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

- शून्य -

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (क्र.सं. 3)

समिति के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि अधिनियम की धारा 7(1) स्पष्ट रूप से तीन अलग-अलग मंत्रालयों अर्थात (i) खाद्य (ii) वित्त और (iii) सहकारिता से भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में एक-एक निदेशक की नियुक्ति के माध्यम से अनिवार्य प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती है। तथापि समिति ने यह भी पाया कि इन मंत्रालयों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक आधिकारिक निदेशक के मानदंड के विपरीत, भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में वास्तव में एक ही मंत्रालय से दो अधिकारी - {(एएस एंड एफए) और जेएस (पी एंड भारतीय खाद्य निगम)} उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से हैं और वित्त मंत्रालय से किसी भी अधिकारी को बोर्ड में नियुक्त नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 7 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः समिति को उन कारणों से अवगत कराया जाए जिसमें एक मंत्रालय अर्थात् उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दो अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में नियुक्त किया गया है और अनिवार्य आवश्यकता के बावजूद बोर्ड में वित्त मंत्रालय से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार द्वारा खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में यथा उपबंधित अनुपात में भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में तीनों मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व को सही करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। समिति को तीन माह के भीतर मामले पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

एएस एंड एफए / एफए को मंत्रालय में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि माना जाता है तथा उन्हें भा खा नि के निदेशक बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 10 देखें)

अध्याय पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम और अंतिम उत्तर दिए हैं

<u>खाद्यान्नों का संचलन और वितरण</u>

सिफारिश (क्र.सं. 20)

समिति टिप्पणी करती है कि भारतीय खाद्य निगम का एक प्रमुख कार्य खाद्यान्नों को अधिशेष उत्पादक राज्यों से उपभोग/घाटे वाले राज्यों में स्थानांतरित करना है। खाद्यान्नों का उचित और नियोजित संचलन (i) अधिशेष क्षेत्रों से स्टॉक की निकासी, (ii) एनएफएसए/ टीडीपीएस और अन्य योजनाओं के लिए घाटे वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना, और (iii) घाटे वाले क्षेत्रों में बफर स्टॉक बनाना सुनिश्चित करता है । समिति आगे टिप्पणी करती है कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश स्वयं की खपत की तुलना में गेहूं की खरीद के मामले में अधिशेष राज्य हैं। इसी तरह, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश/तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा स्वयं की खपत की तुलना में चावल की खरीद के मामले में अधिशेष राज्य हैं। इन राज्यों में गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को एनएफएसए / टीडीपीएस और अन्य योजनाओं के साथ-साथ बफर स्टॉक बनाने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घाटे वाले राज्यों में ले जाया जाता है। खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए परिवहन के विभिन्न साधन अर्थात (i) मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, (ii) कंटेनराइज्ड मूवमेंट, (iii) लॉन्ग रूट रोड ट्रांसपोर्टेशन, (iv) बल्क मूवमेंट आदि हैं। । इनके तहत परिचालन सड़क, रेल, तटीय या नदी के रास्ते से किया जाता है। मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के तहत, भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब से कर्नाटक तक 25000 मीट्रिक टन खाद्यान्न के कंटेनरीकृत मल्टीमॉडल तटीय परिचालन की एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसी तरह, उसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत, कॉनकॉर द्वारा पंजाब से केरल तक चिह्नित केंद्रों जैसे कोचीन, क्विलोन, आदि से और तमिलनाडु में भी रैक्स के पारंपरिक परिचालन की तुलना में लागत-लाभ विश्लेषण करने के लिए खाद्यान्न की आवाजाही की जा रही है। समिति को पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम ने जलमार्गों का उपयोग करते हुए आवाजाही बढ़ाने के लिए भी कई पहल की हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि खाद्यान्न की आवाजाही के लिए रेल आवाजाही काफी सस्ता और किफायती तरीका है। भारतीय खाद्य निगम की लगभग 85% आवाजाही रेल के माध्यम से होती है। भारतीय खाद्य निगम पूरे भारत में

खाद्यान्न के परिवहन के लिए सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये व्यय करता है जिसमें से 8,500 करोड़ रु. अकेले भारतीय रेलवे को जाता है। समिति परिवहन लागत को कम करने और सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए परिवहन के प्रमुख

साधनों/मार्गों की परिचालन व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए परिचालन-लागत अर्थशास्त्र पर एक स्वतंत्र अध्ययन आयोजित करने की सिफारिश करती है। समिति पंजाब से लेकर दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कंटेनरीकृत तटीय परिचालन के लागत अर्थशास्त्र का निर्धारण करने के लिए शुरू की गई पायलट परियोजनाओं के परिणामों से भी अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

भारतीय खाद्य निगम ने मल्टीमॉडल कोस्टल/नदी के माध्यम से खाद्यान्न ले जाने की व्यवहार्यता की खोज में पहल की हैं ताकि तटीय आवाजाही को रेल/सड़क आवाजाही का पूरक बनाया जा सके।

(आँकड़े एमटी में)

वर्ष	पूर्व के आंध्रप्रदेश से केरल तक मल्टीमॉडल तटीय परिचालन
2018-19	45,132
2019-20	55,554
2020-21	35,776
कुल	**2,79,586**

भारतीय खाद्य निगम ने कॉनकॉर/एसोसिएट्स के माध्यम से कुछ मार्गों पर खाद्यान्नों की कंटेनरीकृत आवाजाही भी शुरू की है, जहां यह पारंपरिक रेलवे रैक्स की तुलना में किफायती पाया गया है।

वर्ष	परिचालित कंटेनर रैकों की संख्या	माल ढुलाई बचत (लाख रुपये में)
2016-17	13	44
2017-18	134	662
2018-19	167	796
2019-20	309	694
2020-21	296	480
कुल	**919**	**2,676**

कॉनकॉर के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर मार्च'19 से मार्च'20 तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मल्टीमॉडल कंटेनरीकृत मोड का उपयोग करके कुल बारह (12) रैक्स (27,912 एमटी) को भी पंजाब से कर्नाटक ले जाया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब क्षेत्र के नामित डिपो से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नामित डिपो के लिए मल्टीमॉडल तटीय परिचालन के तहत अनाज की आवाजाही के लिए मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की नियुक्ति के लिए तीन (3) निविदाएं आमंत्रित कीं लेकिन किसी भी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग)]
(का.ज्ञा. सं. 14-4/2019-एफसी-I/ई-368662 दिनांक 30.07.2021)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 22 देखें)

नई दिल्ली ;
24 जनवरी, 2022
04 माघ,1943 (शक)

संतोष कुमार गंगवार
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अनुबंध

[सिफारिश (क्रम संख्या-1) के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर के अनुबंध]

अनुबंध-क

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय तथा इन सिफारिशों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कार्रवाई (मासिक रिपोर्ट)

(31.05.2021 तक)

क्रम सं.	सिफारिशें	की-गई-कार्रवाई
1.	उच्च स्तरीय समिति सिफारिश करती है कि गेहूँ, धान और चावल की सरकारी खरीद से संबंधित सभी ऑपरेशन्स भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को सौंप दिए जाएं, जिन्हें इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो चुका है तथा उन्होंने प्रोक्योरमेंट के लिए	एफसीआई ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में राज्य सरकारों को पहले हीपूरीतरह खरीदऑपरेशन्स सौंप दिया है और संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर पंजाब और हरियाणा में खरीद ऑपरेशन्स में भाग ले रहा है। एफसीआई केंद्रीय पूल के लिए की गई कुल खरीद में से लगभग 1% धान और 10% गेहूं की खरीद कर रहा है।शेष खरीद राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है।एफसीआई खाद्यान्न के भंडारण और आवाजाही पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में आगे बढ़ी है। गेहूं और चावल की खरीद के लिए डीसीपी राज्य की सूची परिशिष्ट-II पर संलग्न है।

<table>
<tr><td></td><td>पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं सृजितकी हैं । ये राज्य हैं आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पंजाब ।</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>भारतीय खाद्य निगम को उन राज्यों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए जहां किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर मजबूर होकर अपना अनाज बेच रहे हैं । जहां ज्यादातर छोटे किसान हैं जैसेकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि । यह वह पट्टी है जहां दूसरी हरित क्रांति अपेक्षित है और जहां भारतीय खाद्य निगम को अपनी ओर से सक्रियता दिखाने की जरूरत है, इन राज्यों तथा अन्य एजेंसियों को जुटाया जाए ताकि एमएसपी और अधिप्राप्ति के लाभ बहुसंख्य किसानों, खास तौर पर</td><td>एचएलसी समिति की सिफारिश पर, भारतीय खाद्य निगम उन राज्यों की सहायता के लिए आगेआई जहां किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर मजबूर होकर अपना अनाज बेच रहे हैं । जहां ज्यादातर छोटे किसान हैं जैसेकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि ।
किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचाने के लिए देश के उन राज्यों में विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में मदद लिए जागरूक करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चल रहे के एमएस 2020-21 में, पूर्वी राज्यों में 101.6 एलएमटी चावल की खरीद की गई है, जब कि केएमएस 2013-14 के दौरान 34.28 एलएमटी चावल की खरीद की गई थी। त्रिपुरा के किसानों को एमएसपी का लाभ देने के लिए, एफसीआई ने केएमएस 2018-19 से त्रिपुरा में धान की खरीद शुरू की है।
पूर्वी राज्यों में पिछले 4 वर्षों के दौरान की गई खरीद इस प्रकार है:

(आँकड़े एलएमटी में)
<table><tr><th>क्रसं</th><th>राज्य</th><th>केएमएस</th></tr></table></td></tr>
</table>

	छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचाए जा सकें ।				**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21***
			1	असम	0.35	1.03	2.11	1.26
			2	बिहार	7.93	9.49	13.41	2 .84
			3	झारखंड	1.46	1.55	2.58	4.27
			4	यूपी।	28.74	32.33	37.90	44.78
			5	पश्चिम बंगाल	22.11	27.27	33.56	27.34
			6	त्रिपुरा	0	0.18	0.14	0.11
			कुल		60.59	71.85	89.70	101.6

* केएमएस 2020-21 प्रगति पर है। 23.06.2021 तक के आंकड़े

विगत 4 वर्षों के दौरान संचालित धान खरीद केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है:

क्रसं	**राज्य**	केएमएस

		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1	असम	101	118	159	133
2	बिहार	6,688	6,161	6223	6508
3	झारखंड	592	274	274	448
4	त्रिपुरा	0	37	44	44
5	यूपी	3,420	3,107	3,880	4453
6	पश्चिमबंगाल	19,238	27,563	30,070	28,973
कुल		**30,039**	**37,260**	**40,650**	**40,559**

* केएमएस 2020-21 प्रगति पर है।

लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्रसं	राज्य	केएमएस			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	असम	4,332	12,921	26,537	17,194
2	बिहार	1,63,425	2,10,028	2,79,402	4,97,097
3	झारखंड	42,346	34,595	53,305	1,03,946
4	यूपी।	4,92,913	6,84,013	7,06,549	10,22,286
5	पश्चिमबंगाल	3,50,181	7,33,357	8,05,186	8,14,772
6	त्रिपुरा	0	5,506	13,613	9,546
कुल		**10,53,197**	**16,80,420**	**18,82,607**	**24,64,841**

*केएमएस 2020-21 प्रगति पर है।

पूर्वी राज्यों जैसे यूपी और बिहार में गेहूं की खरीद पर भी बल दिया गया है। गेहूं की खरीद का विवरण इस प्रकार है:

(आँकड़े एलएमटी में)

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>राज्य</th><th>आरएमएस 2019-20</th><th>आरएमएस 2020-21</th><th>आरएमएस 2021-22*</th></tr>
<tr><td>यूपी</td><td>37.00</td><td>35.77</td><td>56.41</td></tr>
<tr><td>बिहार</td><td>0.03</td><td>0.05</td><td>4.56</td></tr>
</table>
* आरएमएस 2021-22 प्रगति पर है। 23.06.2021 तक के आंकड़े

ऊपर यह देखा गया है कि बिहार में गेहूं की खरीद में झुकाव की प्रवृत्ति दिखाई गई है, आरएमएस 2021-22 में 4.56 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई है, जबकि आरएमएस 2019-20 के दौरान 0.03 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी, जो दर्शाता है कि खरीद कार्यों में किसानों ने सरकार पर अपना भरोसा दिखाया है।

केएमएस 2019-20 में, पूर्वी राज्यों में 89.70 एलएमटी चावल की खरीद की गई है। 23.06.2021 तक, पूर्वी राज्यों में चल रहे केएमएस 2020-21 में 101.6 एलएमटी चावल की खरीद की गई है।
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>केंद्र में डीएफपीडी / भारतीय खाद्य निगम को प्रत्येक खरीद सत्र शुरू होने से पहले राज्यों के साथ लागत मानकों और</td><td>डीसीपी और गैर-डीसीपी दोनों राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। एमओयू में उपयुक्त प्रावधान किया गया है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि राज्य द्वारा एमएसपी के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बोनस/वित्तीय प्रोत्साहन देने की स्थिति में, यदि राज्य की कुल खरीद टीपीडीएस/ओडब्ल्यूएस के तहत भारत सरकार द्वारा</td></tr>
</table>

	सरकारी खरीद के मूलभूत नियमों के बारे में एक करार करना चाहिए ।	किए गए राज्य के कुल आवंटन से अधिक है, ऐसी अधिक मात्रा को केंद्रीय पूल से बाहर माना जाएगा।
4.	प्रोक्योरमेंट में गुणवत्ता नियंत्रण का जांच किया जाना चाहिए तथा केंद्रीय पूल में विनिर्दिष्ट मानक से नीचे की गुणवत्ता वाले अनाज को स्वीकार न किया जाए। गुणवत्ता की जांच भारतीय खाद्य निगम और/ या किसी अन्य तीसरी पार्टी, जोकि मान्यता प्राप्त हो, से पारदर्शी तरीके से कराईजाए तथा गुणवत्ता जांच के लिए यांत्रिक माध्यम अपनाए जाएं ।	❖ एफसीआई खाद्य सुरक्षा संस्थान (आईएफएस) गुरुग्राम में एक अतिआधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है। प्रमुख पांच (5) उपकरण पहले ही खरीदे और स्थापित किए जा चुके हैं।रसायनों/अभिकर्म कों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और आईएफएस, गुरुग्राम को इसकी खरीद के लिए आवश्यक बजट आवंटित किया गया है। अधिकांश छोटे उपकरण और कांच के बने पदार्थ भी खरीदे गए हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मै सूर से उपकरणों की स्थापना और अंशांकन की जांच के लिए आईएफएस, लैब का दौरा करने का अनुरोध किया गया है। ❖ एफसीआई के गोदामों में खरीदे और संग्रहीत खाद्यान्न के नमूने समय-समय पर गुणवत्ता जांच के लिए एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 01.04.2020 से 31.03.2021 तक, भारत भर में एफसीआई के विभिन्न गोदामों से खाद्यान्न के 9825 नमूने गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 7759 नमूने प्राप्त हुए हैं और एफएसएसआर 2011 विनिर्देशों के अनुरूप पाए गए हैं। ❖ गुणवत्ता की जाँच के लिए मशीनीकृत प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से, केएमएस 2017-18 के दौरान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सी - डैक) द्वारा विकसित 30 कम्प्यूटरीकृत चावल विश्लेषक(अन्नदर्पण स्मार्ट), कोलकाता को 07 प्रमुख खरीद क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के 30 स्थानों पर उपलब्ध कराया गया और इन स्थानों पर चावल की स्वीकृति कम्प्यूटरीकृत राइस एनालाइजर (सीआरए) के माध्यम से की गई थी।इसके अलावा, हमारे अनुरोध के अनुसार, खाद्यान्न के विश्लेषण के लिए एआई

<table>
<tr><td></td><td></td><td>आधारित प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए 07 फर्मों / पार्टियों से ईओआई प्राप्त हुआ है और खाद्यान्न विश्लेषण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इच्छुक पार्टियों से प्राप्त विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।विकल्पों का मूल्यांकन प्रगति पर है।</td></tr>
<tr><td><u>5.</u></td><td>भारत सरकार को अपनी एमएसपी नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है । वर्तमान में 23 जिंसों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है लेकिन वास्तव में मूल्य समर्थन ऑपरेशन्स मूलतः गेहूँ और चावल के लिए ही संचालित किए जाते हैं और वो भी केवल चुने हुए राज्यों में । इसके कारण गेहूँ और चावल के पक्ष में अत्यधिक लाभप्रद संरचना(स्ट्रक्चर) का निर्माण होता है ।</td><td>केएमएस 2016-17 में, भा.खा.नि. ने मूंग की 64,737.16 मीट्रिक टन, उड़द की 18,234.67 मीट्रिक टन और तूर की 1,75,301.40 मीट्रिक टन की खरीद की। भा.खा.नि. ने आरएमएस 2017-18 के बाद डीओसीए द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, दालों की खरीद में भाग नहीं लियाहै।

डीएसीएंडएफडब्ल्यू के दिनांक 11.10.2018 के पत्र के निर्देश अनुसार, एफसीआई ने पीएसएस योजना के तहत के एमएस 2018-19, रबी 2018-19, केएमएस 2019-20 और आरएमएस 2020-21 में दालों की खरीद की।

एफसीआई द्वारा केएमएस 2018-19, रबी 2018-19, केएमएस 2019-20 और आरएमएस 2020-21 के दौरान पीएसएस के तहत खरीदी गई दालों का विवरण निम्नानुसार है

(आंकडे एमटी में)
<table>
<tr><th>राज्य</th><th>केएमएस 2018-19</th><th>कुल</th><th>रबी 2018-19</th><th>केएमएस 2019-20</th><th>आरएमएस 2020-21</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	मूंग	उड़द	तूर		चना	तूर	चना
महाराष्ट्र	5981.82	3636.64	0	9618.46	46.1	9245.13	15159.92
एमपी।	207	52852.24	0	53059.24	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	493	0	493	0	0	0
कर्नाटक	0	0	15341.81	15341.81	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0	0	1612	0
कुल	**6188.82**	**56981.88**	**1534 .81**	**78512.51**	**46.1**	**10857.13**	**15159.92**

एफसीआईपीएसएस योजना के तहत आगामी के एमएस 2020-21 में दालों की खरीद कर रहा है

(आंकड़े एमटी में)

राज्य	केएमएस 2020-21 (22.03.2021 के अनुसार)
	तूर

			महाराष्ट्र		
			गुजरात	17.20	
			कुल	**17.20**	
6.	उच्च स्तरीय समिति यह सिफारिश करती है कि भारतीय खाद्य निगम को अपने भंडार संबधी ऑपरेशंस को विभिन्न एजेंसियों जैसे कि केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, निजी उद्यमी योजना (पीईजी) के तहत निजी क्षेत्र को और राज्योंकी भूमि पर प्राइवेट सैक्टर द्वारा साइलो निर्माण करने वाली राज्य सरकारों (जैसे कि मध्य प्रदेश) को आउटसोर्स कर देना चाहिए । इसे प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित करते हुएतथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए करना चाहिए ताकि भंडारण की	28.02.2021 को एफसीआई के पास कुल डिपो की संख्या 2096 है। 545 स्थानों पर एफसीआई के अपने गोदाम हैं। इसके अलावा, एफसीआई राज्य सरकार/सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी और निजी पार्टियों से भी गोदाम किराए पर लेता है। पूर्वोत्तर राज्यों में, एचएलसी की सिफारिश के अनुसार, एफसीआई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य राज्यों में एफसीआई द्वारा प्लान योजना के तहत निर्मित गोदामों को संरक्षण, रख रखाव और सुरक्षा (पीएमएस) कार्यों के लिए सीडब्ल्यूसी को सौंपने का निर्णय लिया है।प्रारंभ में, प्लान योजना के तहत निर्मित 61,580 मीट्रिक टन (कुल 19 एफसीआई गोदाम) की क्षमता संरक्षण और रखरखाव सेवाओं को चलाने के लिए सीडब्ल्यूसी को पेश की गई है। (**गोदाम की सूची अनुलग्नक III में संलग्न है**)। जिसमें से, करीमगंज में 5000 मीट्रिक टन, जोगीघोपा में 7000 मीट्रिक टन, बिष्णुपुर में 4600 मीट्रिक टन और लाल बाजार में 5000 मीट्रिक टन की क्षमता पीएमएस कार्यों के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा अधिग्रहित की गई है।शेष 15 डिपो के लिए, पीएमएस कार्यों के लिए सीडब्ल्यूसी को भी डिपो लेने का अनुरोध किया गया है।		

<table>
<tr><td></td><td>लागत को कम किया जा सके ।</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>भारत को मौजूदा सुविधाओं की तुलना में और अधिक बल्क हैंडलिंग सुविधाओं की आवश्यकता है । भारतीय खाद्य निगम के पुराने परंपरागत भंडार स्थलजोकईवर्षोंसेअस्तित्वमेंहैंउन्हें निजी क्षेत्र तथा अन्य भंडारण एजेंसियों की सहायता से साइलो में बदल देना चाहिए। सभी साइलो तथा परंपरागत गोदामों मेंबेहतर मशीनीकरणकी आवश्यकता है ।

यद्यपि विशिष्ट मात्रा में काम करने की आवश्यकता है और अधिक विस्तृत अध्ययन के माध्यम से इसे किन स्थानों पर करने की आवश्यकता है, एचएलसी का समग्र मूल्यांकन</td><td>• भारत सरकार ने निम्नलिखित संभावित लक्ष्यों के साथ 2019-20 तक 100 एलएमटी साइलो के निर्माण के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी है:
<table>
<tr><th>कमोडिटी / एजेंसी</th><th>एफसीआई</th><th>सीडब्ल्यूसी</th><th>राज्य सरकार</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>गेहूं</td><td>27.75</td><td>2.50</td><td>61.00</td><td>91.25</td></tr>
<tr><td>चावल</td><td>1.25</td><td>0</td><td>7.50</td><td>8.75</td></tr>
<tr><td>संपूर्ण</td><td>29.00</td><td>2.50</td><td>68.50</td><td>100.00</td></tr>
</table>
• कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>निविदा किए गए स्थानों की संख्या (निविदा तिथि)</th><th>प्रकार/मोड</th><th>क्षमता (एलएमटी)</th><th>स्थिति</th></tr>
<tr><td>6
(23.04.2015)</td><td>वीजीएफ</td><td>2.5</td><td>1 प्रयोग में है। 1 समाप्त। 4 प्रगति में है।</td></tr>
<tr><td>26
(25. 5.2016)</td><td>गैर वीजीएफ</td><td>13.5</td><td>3 प्रयोग में है। 7 समाप्त। 16 विभिन्न चरणों में है</td></tr>
<tr><td>8
(23.08.2017)</td><td>गैर वीजीएफ</td><td>4.5</td><td>5 समाप्त/निरस्त। 3 CA ने हस्ताक्षर किए।</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	यह है कि देश में समग्र उत्पादन और कई क्षेत्रों में सूखा ग्रस्त प्रकृति को देखते हुए आगामी 3-5 वर्षों में लगभग 10 एमएमटी(गेहूं तथा चावल दोनो के लिए) की क्षमता सृजित की जानी चाहिए				

9 (07.12.2017)	गैर वीजीएफ	4.5	5 निरस्त। 2 फिर से तैयार . 2 प्रगति में है।
7 (11.05.2018)	गैर वीजीएफ	3.5	CA ने हस्ताक्षर किए, CPs fulfillment. प्रगति में है।
9 (17.09.2018)	गैरवीजीएफ	4.5	वित्तीय बोली खोली गई। 4 स्थानों के लिए निविदा रद्द कर दी गई और शेष 5 स्थानों के लिए एल ओए जारी किया गया।
2 (07.12.2016)	वीजीएफ	1	CA ने हस्ताक्षर किए
2 (10.03.2017	वीजीएफ	1	CA ने हस्ताक्षर किए और 1 स्थान में समाप्त कर दिया गया है।

साइलो निर्माण की एजेंसी और राज्य-वार स्थिति को दर्शानेवाला अद्यतन विवरण **अनुबंध-IV और V** के रूप में संलग्न है।

कृत कार्रवाई का सारांश इस प्रकार है:

- 2.5 एलएमटी के लिए 6 स्थानों (वीजीएफ रूट) पर रेलवे साइडिंग के साथ साइलो को मंजूरी दी गई है। हालांकि, व्हाइट फील्ड स्थान के लिए, रियायत ग्राही की पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण अनुबंध/करार समाप्त कर दिया गया है।कोटकपुरा में 25000 मीट्रिक टन साइलो को आरएमएस 2017-18 में उपयोग में लाया गया है।शेष 4 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
- नॉन वीजीएफ मार्ग के तहत-26 स्थानों पर 13.5 एलएमटी के लिए कार्य(award) दिया गया, जो रेलवे साइडिंग के साथ हैं। हालांकि, 0.5 एलएमटी की क्षमता वाले सात स्थानों,

		अर्थात् रोहतक, पलवल (हरियाणा), रंगापानी, दानकुनी, मचेड़ा (पश्चिम बंगाल), वाराणसी (यूपी), बेतिया के लिए अनुबंध समाप्त क (बिहार)र दिया गया है। तीनस्थानों (बरनाला, पटियाला और संगरूर) को अपने कब्जे में लिया गया है और वे उपयोग में हैं। • गैर वीजीएफ मोड के तहत - 8 स्थानों (4.5 एलएमटी) के लिए निविद जारी की गई थी, जिनमें से 2 स्थानों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 3 स्थानों के लिए सीए हस्ताक्षर किए गए हैं और 3 स्थानों को निकाल दिया गया है। • बिहार में 9 और स्थानों (4.5 एलएमटी) के वीजीएफ मोड के तहत के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया था, जिनमें से 5 स्थानों परसिंगल बोली प्राप्त हुई थी औरदिनांक 27.07.2018 को 4 स्थानों के लिए एलओए जारी किया गया था। इन 4 स्थानों में से 2 स्थानों(मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी) के लिए चयनित बोलीदाता अनुबंध से बाहर हो गए हैं / अनुबंध अस्वीकृत कर दिया है। अतः इसे समाप्त कर दिया गया है तथा इन स्थानों केलिए फिर से निविदा आमंत्रित की जाएगी, शेष 2 स्थानों के लिए सीए हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि, 5 स्थानों पर जहां सिंगल बोली प्राप्त हुई थी, उनकेलिए दो और स्थानों अर्थात् बड़ौदा (गुजरात) और रोहतक (हरियाणा) के साथ दिनांक 11.05.2018 को फिर से निविदा जारी की गई थी और 07 स्थानों (3.5 एलएमटी) के लिए सीए हस्ताक्षर किए गए थे। • पश्चिम बंगाल में और 9 स्थानों (4.5 एलएमटी) के लिए दिनांक 17.09.2018 को गैर-वीजीएफ मोड के तहत निविदा जारी की गई ओर तकनीकी बोलियां 26.03.2019 को खोली गई थी। 4.5 एलएमटी में से 3 एलएमटी क्षमता नई निविदा के लिए है और 1.5 एलएमटी क्षमता पुनर्निविदा स्थानों (रंगपानी, दानकुनी, मचेडा) के लिए है, जिन्हें पहले समाप्त कर दिया गया था। एचएलसी (दिनांक 21.05.2020) के निर्णय के अनुसार दिनांक 29.07.2020 को वित्तीय बोलियां खोली गई हैं, 4 स्थानों के लिए निविदा रद्द कर दी गई है और शेष 5 स्थानों के लिए एलओए जारी किया गया है। • डीईए-वीजीएफ मोड के तहत कैमूर और बक्सर (कुल 1 एलएमटी) साइलो निर्माण के लिए

		साइलो ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है और दिनांक 15.01.2018 को सीए हस्ताक्षर किए गए है। रियायत ग्राही द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया और प्राधिकरण को ट्रांसफर किया गयाहै। नियत तिथि दिनांक 15.02.2019 को जारी की गई है। • डीबीएफओटी मोड के तहत धमोरा और बोरीवली (कुल 01 एलएमटी) साइलो निर्माण के लिए साइलो ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है और दिनांक 15.01.2018 को सीए हस्ताक्षर किए गए है। धमोरा के लिए नियुक्ति तारीख जारी कर दी गई है।एचएलसी (21.09.2020) के निर्णय के अनुसार बोरीवली स्थान को निकाल दिया गया है। यह देखा गया कि विशेष वैगन मूवमेंट वाले रेलवे साइडिंग साइलो के निर्माण के संबंध में कुछ मुद्दे हैं, जो साइलो परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित करते हैं। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, मैसर्स राइट्स द्वारा एक अध्ययन किया गया था ताकि विश्लेषण किया जा सके कि कंटेनरीकृत मूवमेंट के साथ साइलो का हब और स्पोक मॉडल अधिक प्रभावी होगा या नहीं। मेसर्स राइट्स ने रोड साइड साइलो और कंटेनराइज्ड बल्क मूवमेंट के साथ हब एंड स्पोक मॉडल की सिफारिश करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एचएलसी ने दिनांक 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान उस प्रस्ताव की सिफारिश की है, जिसे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।एचएलसी ने दिनांक 21.05.2020 को निर्णय लिया कि हब एंड स्पोक के लिए निविदा दस्तावेजों की समीक्षा की जानी चाहिए और ईडी स्तर की समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। ईडी स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने और एचएलसी द्वारा दिनांक 21.09.2020 को अनुमोदित किए जाने के बाद निविदा दस्तावेज और हब एंड स्पोक स्थानों के तहत साइलो निर्माण के लिए स्थानों की सूचीदिनांक 01.10.2020 को अनुमोदन के लिए सीए, एफ एंड पीडी मंत्रालय को भेज दी गई है।
8	कवर्ड और प्लिंथ (कैप) भंडारण स्थलों कोधीरे-धीरे समाप्त कर	एफसीआई ने मौजूदा डिपो का आकलन किया जहां खाली भूमि या कैप भंडारण उपलब्ध था और 7 स्थानों चांगसारी (असम), कटिहार (बिहार), नरेला (दिल्ली), व्हाइटफील्ड (कर्नाटक),

	दिया जाए किसी भी कैप में तीन महीनों से अधिक समय तक खाद्यान्न न रखा जाए । जहां भी संभव हो कैप के स्थान पर साइलो बैग टैक्नोलॉजी और परंपरागत भंडारण का ही उपयोग किया जाए ।	साहनेवाल (पंजाब), कोटकपुरा (यूपी)और हरदुआगंज (पंजाब)की पहचान की गई थी। जहां एफसीआई के पास खाली जमीन थी जो रेलवे साइडिंग के साथ साइलो स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा, हब एंड स्पोक मॉडल के हालिया अभ्यास के एक भाग के रूप में, एफएसडी मलौत (1 एलएमटी), एफएसडी अलवर (0.5 एलएमटी), लालपुर (बुलंदशर) (0.5 एलएमटी), संडीला (हरदोई) (0.5 एलएमटी), गांधीधाम (0.375 एलएमटी)), एफएसडी वाधवान (0.25 एलएमटी), एफएसडी वांकानेर (0.25 एलएमटी) को खाली जमीन पर साइलो के निर्माण या मौजूदा कैप को खत्म करने के लिए चिन्हित किया गया है।
9	प्रत्येक राज्य, विशेष रूप से कमी वाले दुर्गम क्षेत्रों (जैसे उत्तर-पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर इत्यादि के पहाड़ी क्षेत्र) के पास तीन माह की खपत के लिए खाद्यान्न भडारण होना चाहिए ।	I. पूर्वोत्तर के लिए खाद्यान्न का मासिक आवंटन 2.42 लाख मीट्रिक टन है और पूर्वोत्तर में मौजूदा भंडारण क्षमता 6.27 लाख मीट्रिक टन है। विभिन्न केन्द्रों पर स्टोरेजगैप निकाला गया है और कमी को पीईजी योजना, साइलोज और केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत निर्माण क्षमता के माध्यम से कवर किया जा रहा है। स्थिति निम्नानुसार है:30,020 मीट्रिक टन के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है और केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत पूर्वोत्तर में 27,530 मीट्रिक टन की क्षमता पूरी हो चुकी है। i) 50,000 मीट्रिक टन की क्षमता के लिए चांगसारी (असम) में साइलो की भी योजना बनाई गई है। ii) असम में, पीईजी योजना के तहत, बारपेटा में 25,000 मीट्रिक टन क्षमता पूरी हो चुकी है। iii) मेघालय में 34,180 मीट्रिक टन क्षमता के लिए निविदा भी प्रक्रियाधीन है। जिसमें से 15000 मीट्रिक टन क्षमता स्वीकृत की गई है। iv) (पीईजी योजना के तहत निर्माण के लिए) नागालैंड और त्रिपुरा में 13,000 मीट्रिक टन और 49,000 मीट्रिक टन की क्षमता को 57वीं एचएलसी ने दिनांक 06.10.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

II. एनएफएसएओडब्ल्यूएस के तहत जम्मू व कश्मीर में औसत मासिक आवंटन 0.65 एलएमटी है। दिनांक 28.02.2021 तक, जम्मूकश्मीर में- भारतीय खाद्य निगम के पास कुल कवर्ड भंडारण क्षमता 2.67 एलएमटी (अपनी 1.03 एलएमटी और किराए पर 1.64 एलएमटी है), जो 3 महीने की आवश्यकता से अधिक भंडारण करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, जम्मू कश्मीर में पीईजी योजना के तहत-0.69 एलएमटी की क्षमता निर्माणाधीन है।

- दिनांक 28.02.2021 के अनुसार पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर की भंडारण क्षमता और क्षेत्र-वार मासिक आवंटन (चावल और गेंहू) निम्नानुसार है-

क्रमसं.	क्षेत्र	एलएमटी में क्षमता	एलएमटी में मासिक आबंटन
1	असम	4.05	156800
2	एपी	0.33	7800
3	मेघालय	0.22	16030
4	मिजोरम	0.25	6090
5	त्रिपुरा	0.44	24760
6	मणिपुर	0.52	14747
7	नागालैंड	0.46	13420
8	सिक्किम	0.11	3850
9	जम्मू-	2 77	65430

		कश्मीर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में प्लानस्कीम के तहत गोदामों का निर्माण कार्य चल रहा है। 27530 मीट्रिक टन की क्षमता को पूरा कर लिया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों में 0.30 लाख मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त क्षमताओं के अलावा, जम्मू कश्मीर में पीईजी योजना के तहत पांच क्षेत्रों पर 69160 मीट्रिक टन की क्षमता निर्माणाधीन है।
10	भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के समय पर और सुचारू रूप से लदान और उतराई के लिए बड़ी संख्या में कामगारों (लोडरस) को अनुबंधित करता है । वर्तमान में मोटे तौर पर 16000 विभागीय श्रमिक, सीधी भुगतान प्रणाली (डीपीएस) के अंतर्गत लगभग 26000 श्रमिक कार्यरत हैं इनके अलावा कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जो "नो वर्क नो पे" प्रणाली के अंतर्गत काम करते हैं तथा लगभग एक लाख श्रमिक ठेके के अंतर्गत काम करते हैं । एक विभागीय श्रमिक	**एचएलसी की सिफारिशों पर अब तक निम्नलिखित कार्रवाई की गई** **कॉन्ट्रेक्ट लेबर(आरए) एक्ट 1970 की धारा के अंतर्गत डिपुओं को छूट** बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक पर 06.07.2016 को छूट अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सभी 226 डिपो /रेलहेड्स को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (आर एंड ए - अधिनियम) 1970 की धारा 10 की प्रयोज्यता से 2 साल की अवधि के लिए छूट दी गई थी। यह छूट 26.06.2018 (अर्थात 05.07.2020) तक की अधिसूचना के माध्यम से अन्य दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। इस छूट को दिनांक 26.06.2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 05.07.2020 तक बढ़ा दिया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या एस.ओ.2040 (ई दिनांक (25.06.2020 के माध्यम से इसे दो वर्ष दिनांक 06.07.2020 से इसे दिनांक 05.07.2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। छूट की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, 45,009 मजदूरों में से 9,193 मजदूरों को रि-पॉजिशन कर दिया गया है, जिससे 149 विभागीय डिपो और 72 रेलहेड्स खाली हो गए और 29,284 ठेका मजदूरों को खाली डिपो /रेलहेड्स में तैनात किया गया। लगभग 600 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने की संभावना है। दिनांक 06.07.2020 से 05.07.2022 तक दो साल के लिए छूट के बढ़ाने के साथ, आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को मामले के आधार पर श्रम

	(लोडर) पर निगम को लगभग रु.79,500/- प्रतिमाह खर्च करने पड़ते हैं (अप्रैल-नवंबर, 2014 के आंकडे) जबकि डीपीएस श्रमिक पर रु.26000/- प्रतिमाह की लागत आती है और एक ठेका श्रमिक पर रू.10,000/- प्रतिमाह की लागत आती है । अगस्त, 2014 में कुछ विभागीय श्रमिकों (जिनकी संख्या 300 से अधिक है) ने रु. 4 लाख प्रतिमाह से अधिक की राशि प्राप्त की । अधिसूचित डिपुओं में प्रोत्साहन योजना के कारण ऐसा होता है और प्रोक्सी लेबर का बड़े स्तर पर उपयोग होता है । यह एक असामान्य चूक है जिसे रोका जाना चाहिए । इसके लिए इन डिपुओं को या तो डी-नोटिफाई किया जाए या सेवा अनुबंध के आधार पर राज्य के सुपुर्द कर दिया जाए	के युक्तिकरण के दूसरे चरण की तलाश करने का अनुरोध किया गया है। **अधिसूचित डिपूओं की अधिसूचना रद्द करना** माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर न्यायपीठ) ने अपने दिनांक 20.11.2015 के फैसले में भारत सरकार को छह माह के भीतर सभी अधिसूचित डिपुओं की अधिसूचना रद्द करने का निर्णय लेने का निदेश दिया। छह माह की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस बीच, एर्नाकुलम में माननीय उच्च न्यायालय, केरल ने श्रम मंत्रालय को एफसीआई की टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कोल्लम डिपो के डि-नोटिफ़िकेशन पर विचार करने का निर्देश दिया है। अन्य अधिसूचित डिपो के साथ कोल्लम डिपो को डि-नोटिफिकेशन का प्रस्ताव उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के दिनांक 02.07.2018 के पत्र सं. आईआर एल / (31 (10) /2004/Vol.III के माध्यम से श्रम मंत्रालय को भेजा गया है। श्रम कों और रोजगार मंत्रालय ने इस मामले को विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड CALB को का फैसला किया है। तदनुसार, सीएसीएलबी द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 19.03.2020 को एक बैठक निर्धारित की गई थी। यह बैठक कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है।

	या प्राइवेट सैक्टर को दे दिया जाए । प्रति व्यक्ति को दिए जाने वाले अधिकतम प्रोत्साहन की सीमा तय की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए श्रमिक को कार्य की अनुबंधित मात्रा के 1.25 गुणा से अधिक कार्य की अनुमति नहीं दी जाए । ऐसे डिपुओं में प्राथमिकता के आधार पर मशीनीकरण किया जाए ताकि विभागीय श्रमिकों पर निर्भरता कम की जा सके । यदि आवश्यकता हो तो भारतीय खाद्य निगम को डीपीएस/एनडब्ल्यूएनपी प्रणाली के तहत श्रमिकों को किराए पर लेने की अनुमति दी जाए । उच्च स्तरीय समिति यह भी सिफारिश करती है कि ठेका श्रमिक जोकि सर्वाधिक कठोर परिश्रम करते हैं तथा जिनकी	इस प्रकार मामला अभी भी श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास लंबित है। **विलुप्त होने वाले कैडर के रूप में विभागीय कैडर की घोषणा** विभागीय श्रम प्रणाली (डीएलएस) को समाप्तहोने वाले संवर्ग के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को सीए, एफ एंड पीडी मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.01.2020 को मंजूरी दे दी गई है और इसे परिपत्र संख्या 1/2020 दिनांक 08.01.2020 के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश के साथ सूचित किया गया है डीएलएस के तहत आगे कोई भर्ती नहीं की जाएगी। **मौजूदा प्रोत्साहन योजना में बदलाव।** माननीय बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच ने निम्नलिखित आदेश भी पारित किए- : *"हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी /निगम को प्रोत्साहन योजना में परिवर्तन की अपनी नीति को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा"।* उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, भा.खा.नि., मुख्यालय ने विभागीय श्रमिक और सीधी भुगतान प्रणाली (डीपीएस) के श्रमिक के सेवा परिलाभों में प्रभावी परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन हेतु सीए, एफ एंड पीडी मंत्रालय को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है, ताकि एफसीआई द्वारा आवश्यक सुधार करने की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। । निम्नलिखित सेवा शर्तों को अपनाने की आवश्यकता है- : [i] सीपीएफ की गणना के लिए प्रोत्साहनशामिलनहोना। [ii] ग्रेच्युटी की गणना के लिए प्रोत्साहन का गैर-समावेश; [iii] प्रोत्साहन और ओटीए की गणना के लिए एचआरए घटकों का गैर-समावेश;

	संख्या भी सबसे ज्यादा है उन्हें बेहतर सुविधाएं देकर उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए ।	(iv) बी 'और' सी 'क्षेत्र में काम करने वाले डीपीएस श्रमिक को' ए 'क्षेत्र कीदरों का कोई भुगतान नहींहोगा। [v] हैंडलिंग श्रमिक के रूप में मंडल का विचारकरना। **<u>डेटम का संशोधन</u>** दिनांक 05.07.2016 को सीजीआईटी, कड़कड़डूमा, दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में, विभागीय श्रमिक की मात्रा (डेटम)105 से 135 बैग प्रति कामगार संशोधित हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रोत्साहन में लगभग 30% की कमी आई। **<u>अनुबंध श्रमिकों की स्थिति में सुधार</u>**: ठेका श्रमिक की कार्य स्थिति में सुधार के लिए बेहतर सुविधाओं और पर्याप्त कल्याणकारी प्रावधानों जैसे ईपीएफ, न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई, कामगार क्षतिपूर्ति आदि को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। **वीआरएस योजना की शुरूआत -** विभागीय श्रमिक के संबंध में, उपयुक्त वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) की शुरूआत के लिए प्रस्ताव दिनांक 22/26.11.2018 को सीए, एफ एंडपीडी मंत्रालय को भेजा गया है। मामले का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। अनुमोदन आना बाकी है।
11	उच्च स्तरीय समिति सिफारिश करती है कि किसानों से अधिप्राप्ति के स्तर से लेकर	डिपो ऑनलाइन सिस्टम की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है- क 1 दिसंबर ,18 सेगोलाइव के रूप में माना जाता है। भा.खा.नि. के स्वामित्व वाले तथा किराए के गोदामों में कार्यान्वयन की स्थिति

	भंडारण, ढुलाई और अंत में टीपीडीएस के माध्यम से वितरण तक शुरू से अंत तक संपूर्ण खाद्य प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया जाए । इसे वास्तविक समय के आधार पर किया जा सकता है । कुछ राज्यों ने अधिप्राप्ति ऑपरेशंस के कंप्यूटराइजेशन के कार्य में सराहनीय प्रगति की है लेकिन टीपीडीएस में परिचालन और वितरण के साथइसका तालमेल कमजोर रहा है तथा यह वही क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा विचलन (डायवर्जन) होता है ।	

	भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले	किराए के डिपो				
		सीडब्ल्यूसी	एसडब्ल्यूसी	पीईजी	अन्य	कुल।
डॉस में प्रावधान #	549	198	731	464	86	2028

डॉस के राष्ट्रीय डैशबोर्ड से लिए गए आंकड़े (दिनांक 30-04-2021 को)

प्रमुख ईगवर्नेंस पहल पर प्रगति-

क) खाद्य और आवश्यक वस्तु आश्वासन और सुरक्षा लक्ष्य (एफईएसटी) के साथ डॉस का समेकन:

- डेटा एक्सचेंज से संबंधित - रिलीज ऑर्डर के लिए पीडीएस के साथ डॉस को एकीकृत करता है

-उत्पादन में विकसित और तैनात; एनआईसी और एसआई के साथ संयुक्त परीक्षण किया गया।

- एफईएसटी लागू करने वाले राज्य (गोवा, उत्तराखंड, नागालैंड), एनआईसी द्वारा पहचाने गए, जिनका उत्पादन में परीक्षण किया जाएगा

ख) राष्ट्रीय खाद्य खरीद पोर्टल (एनपीपी) के साथ डॉस का एकीकरण:

- डॉस से एनपीपी तक खरीद डेटा के स्वचालित प्रवाह को सक्षम करता है
- विकसित और उत्पादन में तैनात।
- डेटा में अंतराल (डॉस और एनपीपी) की पहचान की गई; एनआईसी टीम और एफसीआई के खरीद विभाग के समन्वय से एसआई टीम द्वारा हल किया जा रहा है।

		ग) डॉस में राष्ट्रीय डैशबोर्ड का विकास: - एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए के डिपो से संबंधित जानकारी को दर्शाता है। -विकसित और उत्पादन में तैनात।

अनुबंध II

बिन्दु संख्या 1

चावल की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति करने वाले राज्य

चावल के लिए डीसीपी		
क्रम सं .	**राज्य**	**इस तिथि से**
1	उत्तराखंड	2002-03
2	छत्तीसगढ	2001-02
3	उड़ीसा	2003-04
4	तमिलनाडु	2002-03
5	पश्चिम बंगाल	1997-98
6	केरल	2004-05
7	कर्नाटक	2009-10
8	मध्य प्रदेश	2007-08
9	आंध्र प्रदेश	केएमएस 2015-16 के लिए पूरी तरह से डीसीपी।
10	बिहार	2013-14
1 1।	तेलंगाना	केएमएस 2014-15 से पूरी तरह से डीसीपी।
12.	महाराष्ट्र	2016-17
13 .	गुजरात	2017-18
14.	अंडमान निकोबार	2003-04
15 .	त्रिपुरा	केएमएस 2018-19 (रबी फसल), केएमएस 2019-20 (रबी फसल) और केएमएस 2020-21

गेहूं की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति करने वाले राज्य

गेहूं के लिए डीसीपी		
क्रम सं.	**राज्य**	**इस तिथि से**
1	मध्य प्रदेश	1999-2000
2	उत्तराखंड	2003-04
3	छतीसगढ	2001-02
4	गुजरात	2004-05
5	पश्चिम बंगाल	2010-11
6	बिहार	2014-15
7	महाराष्ट्र	2020-21
8	पंजाब*	2014-15

नोट :

1. * पंजाब आरएमएस 2014-15 से गेहूं के लिए डीसीपी राज्य था, परंतु राज्य सरकार के अनुरोध पर, एफसीआई अधिप्राप्ति कार्यों (procurement operations) में भाग ले रहा है।

2. उत्तर प्रदेश केएमएस 1999-2000 से केएमएस 2009-10 और आरएमएस 1999-2000 से आरएमएस 2010-11 के लिए डीसीपी था। गैर-डीसीपी मोड के अंतर्गत गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति है ।

3. राजस्थान आरएमएस 2013-14 से 2015-16 (1 जिले के लिए) और 2016-17 (9 जिलों के लिए) में गेहूं के लिए डीसीपी था। आरएमएस 2017-18 से गैर-डीसीपी मोड के अंतर्गत गेहूं की अधिप्राप्ति की जाती है।

4. झारखंड केएमएस 2016-17 (केवल 1 जिले के लिए) 2017-18 (केवल 5 जिलों के लिए), 2018-19 (केवल 6 जिलों के लिए) के लिए डीसीपी था। उन्होंने केएमएस 2019-20 में गैर-डीसीपी को अपनाया है।

अनुबंध III

बिंदुसंख्या 6

सीडब्ल्यूसी को पीएमएस के लिए प्रस्तावित गोदामों की सूची				
	राज्य	**केंद्र**	**एमटी में क्षमता**	**टिप्पणियां**
I	**असम**			
1.		जोगीगोपा	7,000	सीडब्ल्यूसी द्वारा 02.09.2019 को लिया गया।
2.		लालबाजार	5,000	सीडब्ल्यूसी द्वारा 02.02.2021 को लिया गया।
3.		करीमगंज	5,000	सीडब्ल्यूसी द्वारा 11.11.2017 को अधिग्रहण किया गया।
कुल			**17,000**	
II	**अरुणाचल प्रदेश**			
4.		अंजॉ (खुपा)	640	-
5.		अपर सियांग (यिंगकिओंग)	640	-
6.		लोहित (तेज़ू)	3,340	-
7.		जाइरो	2500	-
8.		सेपा	1,670	-
9.		झनकार	1,670	-
10.		ऐनीनी (दिबांग घाटी)	640	-
कुल			**11,100**	
III.	**दीमापुर (नागालैंड)**			
1 1।		मोन	2,220	-
12.		मोकोकचुंग	2,500	-
13.		तुएनसांग	2,500	-

	संपूर्ण		**7,220**	
IV	**एनईएफ**			
14.	त्रिपुरा	चंद्रपुर	5,000	-
15.	आइजोल	लुंगलेई	2,920	-
16.		लैनवंगटलाई	3,340	-
	संपूर्ण		**11,260**	
V	**मणिपुर (इंफाल)**			
17.		सेनापति	5,000	मुख्यालय ने इस डिपो के स्थान पर एफएसडी, थौबल एवं एफएसडी, विष्णुपुर को देने के लिए मंजूरी दी। एफएसडी, बिष्णुपुर को 01.03.2020 को सीडब्ल्यूसी द्वारा लिया गया।
18.		उखरूल	5,000	-
19.		जिरीबाम	5,000	-
	कुल		**15,000**	
	कुल योग		**61,580**	

बिंदु संख्या 7

अनुबंध -IV

(01.06.2021 तक की स्थिति)

साइलो निर्माण की एजेंसीवार स्थिति

आंकड़ें- एलएमटी में (स्थानों की संख्या)

एजेंसी	लक्ष्य	2016 के बाद पूर्ण क्षमता/स्थानों की संख्या	प्रक्रियाधीन			नामांकन पर राज्य सरकार को दिया गया	कुल	हब एंड स्पोक के लिए एच एलसी द्वारा अनुमोदित क्षमता	पहचाने जाने वाले स्थान	पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम के बाद कार्यान्वित किए जाने वाले चावल साइलो	कुल
			निर्माणाधीन	एलओसी जारी की जाएगी	कुल						
एफसीआई	29	4.625/9*	10.625 / 21	7/14	17.625/ 35	0	**22.25/44**	**35.875/100**	**18.275**	**15.1**	**30.75 + 69.25**
सीडब्ल्यूसी	2.5	0	0	0	0	0	**0**				

राज्य सरकार	68.5	6/12	0	1.5/3	1.5/3	1/1	**8.5/16**				**= 100**
योग	**100**	**10.625/21**	**10.625 / 2 1**	**8.5/17**	**19.125/ 38**	**1/1**	**30.75/60**				

अनुबंध-पांच

(01.06.2021 को स्थिति)

साइलो निर्माण की एजेंसी-वार राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े एलएमटी में)

एजेंसी	राज्य	कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य	पूरा हुआ	अनुबंध दिए गए			नामांकन पर राज्य सरकार को दिया गया।	कुल	हब एंड स्पोक के लिए एचएलसी द्वारा स्वीकृत क्षमता	पहचाने जाने वाले स्थान	पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम के बाद कार्यान्वित किए जाने वाले चावल साइलो	महायोग
				निर्माणाधीन	भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ	कुल						
एफसीआई	असम	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	35.875	18.275	15.1	30.75 + 69.25
	बिहार	4.5	0.5	1.5	3.5	5	0	5.5				
	छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	0	0				
	दिल्ली	1	0	0	0.5	0.5	0	0.5				
	गुजरात	1	0.5	1.5	0	1.5	0	2				
	कर्नाटक	0.25	0	0	0	0	0	0				
	हरियाणा	3	1.375	0.625	0.5	1.125	0	2.5				

	महाराष्ट्र	1	0	0	0	0	0	0				
	पंजाब	4.25	2.25	2	0	2	0	4.25				
	राजस्थान	1.5	0	0	0	0	0	0				
	उत्तर प्रदेश	7	0	4	0	4	0	4				
	पश्चिम बंगाल	4	0	0.5	2.5	3	0	3				
कुल		**29**	**4.625**	**10.625**	**7**	**17.625**	**0**	**22.25**				
सीडब्ल्यूसी	**पंजाब**	**2.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
राज्य सरकार	**आंध्र प्रदेश**	3.5	0	0	0	0	0	0				
	बिहार	5	0	0	0	0	0	0				
	गुजरात	2	0	0	0	0	0	0				
	हरियाणा	6.5	0	0	0	0	0	0				
	मध्य प्रदेश	10	4.5	0	0	0	0	4.5				
	महाराष्ट्र	0.5	0	0	0	0	0	0				
	उड़ीसा	2	0	0	0	0	0	0				
	पंजाब	24.25	1.5	0	0	0	1	2.5				
	राजस्थान	4.75	0	0	0	0	0	0				
	तेलंगाना	1.5	0	0	0	0	0	0				
	उत्तर प्रदेश	5	0	0	1.5	1.5	0	1.5				

	पश्चिम बंगाल	3.5	0	0	0	0	0	0				
कुल		**68.5**	**6**	**0**	**1.5**	**1.5**	**1**	**8.5**				
महायोग		**100**	**10.625**	**10.625**	**8.5**	**19.125**	**1**	**30.75**	**35.875**	**18.275**	**15.1**	**100**

अनुबंध -ख

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और उन पर भा.खा.नि. द्वारा की गई कार्रवाई

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सिफारिशें</th><th>निर्णय लिया गया</th><th>भा.खा.नि. द्वारा की गई कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>7</td><td>भारत को वर्तमान की बल्क हैंडलिंग सुविधाओं की तुलना में और अधिक बल्क हैंडलिंग सुविधाओं की आवश्यकता है। भारतीय खाद्य निगम के कई परंपरागत भंडारण, जोकि कई वर्षों से अस्तित्व में है, उन्हें निजी क्षेत्र तथा अन्य स्टॉकिंग एजेंसियों की सहायता से साइलों में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी साइलों तथा परंपरागत भंडारणों में बेहतर तंत्र की आवश्यकता है।</td><td>भाखानि अगले पांच वर्षों में लगभग 43.5 लाख टन साइलो की क्षमता का निर्माण कार्य करेगा।
रेलवे साइडिंग वाले भा.खा.नि. डिपो को पहले साइलो में अपग्रेड किया जाएगा।
जहां भा.खा.नि. या राज्य एजेंसियों के पास अपनी भूमि नहीं है, वहां निजी भूमि पर साइलो बनाए जाएंगे।</td><td>
• भारत सरकार ने निम्नलिखित संभावित लक्ष्यों के साथ 2019-20 तक 100 एलएमटी साइलो के निर्माण के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी है:
<table>
<tr><th>जिंस / एजेंसी</th><th>भा.खा.नि.</th><th>सीडब्लूसी</th><th>राज्य सरकार</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>गेंहू</td><td>27.75</td><td>2.50</td><td>61.00</td><td>91.25</td></tr>
<tr><td>चावल</td><td>1.25</td><td>0</td><td>7.50</td><td>8.75</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>29.00</td><td>2.50</td><td>68.50</td><td>100.00</td></tr>
</table>
• कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>निविदा स्थानों की संख्या(निविदा की तिथि)</th><th>प्रकार /मोड</th><th>क्षमता (एलएमटी)</th><th>स्थिति</th></tr>
<tr><td>6 (23.04.2015)</td><td>वीजीएफ</td><td>2.5</td><td>2 उपयोग में। 1 समाप्त। 3 प्रक्रियाधीन।</td></tr>
<tr><td>26 (25.05.2016)</td><td>गैर-वीजीएफ</td><td>13.5</td><td>7 उपयोग में। 7 समाप्त। 12 विभिन्न चरणों में।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	इस बात की आवश्यकता है कि विस्तृत रूप में अध्ययन करने के बाद विशिष्ट मात्रा तथा स्थानों का आंकलन किया जाए। एचएलसी द्वारा समग्र रूप से यह आंकलन किया है कि देश के समग्र उत्पादन तथा कई क्षेत्रों के सूखा संभावित होने की प्रकृति को देखते हुए, अगले 3-5 वर्षों में लगभग 10 एमएमटी (गेंहूँ तथा चावल दोनों के लिए) साइलो क्षमता का सृजन किया जाए।	जहां भा.खा.नि. या राज्य एजेंसियों के पास अपनी भूमि नहीं है, वहां निजी भूमि पर साइलो बनाए जाएंगे। भा.खा.नि. ने इस काम के लिए पहले ही एक सलाहकार की नियुक्ति कर ली है।	

8 (23.08.2017)	गैर-वीजीएफ	4.5	5 समाप्त/निरस्त। 3 सीए पर हस्ताक्षर किए।	
9 (07.12.2017)	गैर-वीजीएफ	4.5	5 निरस्त। 2 अस्वीकृत। 2 प्रक्रियाधीन।	
7 (11.05.2018)	गैर-वीजीएफ	3.5	सीए हस्ताक्षरित, सीपी की पूर्ति की प्रगति में।	
9 (17.09.2018)	गैर-वीजीएफ	4.5	वित्तीय बोली खोली गई। 4 स्थानों के लिए निविदा रद्द कर दी 5 स्थानों के लिए एलओए जारी किया गया।	
2 (07.12.2016)	वीजीएफ	1	सीए पर हस्ताक्षर हुए।	
2 (10.03.2017)	वीजीएफ	1	सीए पर हस्ताक्षर हुए और 1 स्थान समाप्त हुआ।	

साइलो निर्माण की एजेंसी और राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला अद्यतन विवरण **अनुबंध-I और II** के रूप में संलग्न है।

की- गई- कार्रवाई का सारांश इस प्रकार है:

- 2.5 एलएमटी के लिए 6 स्थानों (वीजीएफ मार्ग) पर रेलवे साइडिंग के साथ साइलो स्वीकृत किए गए हैं। तथापि, व्हाइटफील्ड स्थान के लिए, रियायतग्राही की पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण अनुबंध/करार समाप्त कर दिया गया है। कोटकपूरा और कटिहार में 0.75 एलएमटी साइलो का उपयोग किया जा चुका है।शेष तीन स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
- गैर-वीजीएफ मार्ग के तहत 26 स्थानों पर 13.5 एलएमटी के लिए कार्य दिया गया, जो रेलवे साइडिंग के साथ हैं। तथापि, 0.5 एलएमटी की क्षमता वाले सात स्थानों, अर्थात रोहतक, पलवल (हरियाणा), रंगापानी, दानकुनी, मचेड़ा (पश्चिम बंगाल), वाराणसी (यूपी), बेतिया (बिहार) के लिए अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। सात स्थानों (बरनाला, पटियाला, संगरूर, जींद, सोनीपत, भट्टू और अहमदाबाद) को लिया गया है और उपयोग में हैं।
- गैर-वीजीएफ मोड के तहत 8 स्थानों (4.5 एलएमटी) के लिए निविदा जारी की गई थी, जिसमें से 2 स्थानों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, 3 स्थानों के

			लिए सीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 3 स्थानों को समाप्त कर दिया गया है। • बिहार में 9 और स्थानों (4.5 एलएमटी) के लिए गैर-वीजीएफ मोड के तहत निविदा को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें से 5 स्थानों पर एकल बोली प्राप्त हुई थी और 27.07.2018 को 4 स्थानों के लिए एलओए जारी किया गया था। इन 4 स्थानों में से, 2 स्थानों (मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी) के लिए चयनित बोलीदाता ने अनुबंध वापस ले लिया / अस्वीकार किया है, इसलिए अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और स्थानों में फिर से निविदा दी जाएगी, शेष 2 स्थानों के लिए सीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि, 5 स्थानों पर जहां एकल बोली प्राप्त हुई थी, उन्हें दो और स्थानों यानी बड़ौदा (गुजरात) और रोहतक (हरियाणा) के साथ 11.05.2018 को फिर से निविदा दी गई और 7 स्थानों (3.5 एलएमटी) के लिए सीए पर हस्ताक्षर हुए। • पश्चिम बंगाल में 9 और स्थानों (4.5 एलएमटी) के लिए 17.09.2018 को गैर-वीजीएफ मोड के तहत निविदा जारी की गई और तकनीकी बोलियां 26.03.2019 को खोली गईं। 4.5 एलएमटी में से, 3 एलएमटी क्षमता नई निविदा के लिए है और 1.5 एलएमटी क्षमता पुनर्निविदा स्थानों (रंगपानी, दानकुनी, मचेडा) के लिए है, जिन्हें पहले समाप्त कर दिया गया था। एचएलसी (दिनांक 21.05.2020) के निर्णय के अनुसार, 29.07.2020 को वित्तीय बोलियां खोली गई हैं, 4 स्थानों के लिए निविदा रद्द कर दी गई है और शेष 5 स्थानों के लिए एलओए जारी किया गया है। • डीईए-वीजीएफ मोड के तहत कैमूर और बक्सर (कुल 1 एलएमटी) में साइलो निर्माण के लिए साइलो ऑपरेटर का चयन किया गया है और 15.01.2018 को सीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रियायतग्राही द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया और प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया। नियुक्ति तिथि 05.11.2019 को जारी की गई है। • डीबीएफओटी मोड के तहत धमोरा और बोरीवली (कुल 1 एलएमटी) में साइलो

			निर्माण के लिए साइलो ऑपरेटर का चयन किया गया है और 15.02.2019 को सीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धमोरा के लिए नियुक्ति तिथि जारी कर दी गई है। एचएलसी (21.09.2020) के निर्णय के अनुसार बोरीवली स्थान को समाप्त कर दिया गया है। • यह देखा गया था कि विशेष वैगन परिचालन के साथ रेलवे साइडिंग साइलो के निर्माण के संबंध में कुछ मुद्दे हैं जो साइलो परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित करते हैं। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, मैसर्स राइट्स द्वारा एक अध्ययन किया गया था ताकि विश्लेषण किया जा सके कि कंटेनरीकृत परिचालन के साथ साइलो का हब और स्पोक मॉडल अधिक प्रभावी होगा या नहीं। मेसर्स राइट्स ने रोड साइड साइलो और कंटेनरीकृत बल्क परिचालन के साथ हब एंड स्पोक मॉडल की सिफारिश करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। डीएफ़पीडी ने भा.खा.नि. द्वारा प्रस्तावित हब एंड स्पोक मॉडल के तहत साइलो के निर्माण के लिए "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया। रेल साइड ट्रैक के साथ भूमि की तुलना में सड़क के किनारे साइलो के लिए भूमि अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध है। • तत्पश्चात, एक परामर्शी और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर, प्रमुख हितधारकों को शामिल करके और उनके साथ बातचीत करके, हब और स्पोक साइलो के लिए बोली दस्तावेज तैयार किए गए। हितधारक परामर्श के लिए मसौदा बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। सरकारी संस्थाओं, क्षेत्र के विशेषज्ञों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं, संस्थानों आदि सहित 80 से अधिक हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे तथा विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त टिप्पणियों और सर्वोत्तम प्रथाओं एवं हाल के विकास पर विचार करते हुए संविदात्मक व तकनीकी मुद्दों से संबंधित परिवर्तनों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। • साइलो के लिए स्थानों की पहचान केंद्रीय रूप से करने के बजाय उपभोक्ता क्षेत्रों में बफर स्टॉक के आधार पर भंडारण अंतराल और साइलो के वितरण को ध्यान में

			रखते हुए की गई है। तदनुसार, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 247 स्थानों पर 108.375 एलएमटी की अतिरिक्त साइलो क्षमता का प्रस्ताव मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
8	कवर्ड तथा प्लिंथ (कैप) भंडारण को धीरे-धीरे निकाला जाए ताकि कैप में 3 महीने से अधिक समय के लिए कोई भी अनाज भंडार शेष न रहे। साइलो बैग टैक्नोलजी तथा परंपरागत भंडारण को जहां भी संभव हो, कैप के साथ प्रतिस्थापित किया जाए।	8.90 एलएमटी भा.खा.नि. के स्वामित्व वाली कैप क्षमता है। 5000 मीट्रिक टन या उससे अधिक क्षमता वाले कैप परिसरों को साइलो में परिवर्तित किया जाएगा।	भा.खा.नि. ने मौजूदा डिपो का आकलन किया जहां खाली भूमि या सीएपी भंडारण उपलब्ध था और 7 स्थानों अर्थात चांगसारी (असम), कटिहार (बिहार), नरेला (दिल्ली), व्हाइटफील्ड (कर्नाटक), साहनेवाल (पंजाब), कोटकपुरा (पंजाब) और हरदुआगंज (यूपी) की पहचान की, जहां भा.खा.नि. के पास खाली भूमि थी जो रेलवे साइडिंग के साथ साइलो स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा, हब और स्पोक मॉडल के हालिया अभ्यास के एक भाग के रूप में, कटिहार (0.50 एलएमटी), एफएसडी गांधीधाम (0.375 एलएमटी), एफएसडी-वाधवान (0.25 एलएमटी), एफएसडी-वांकानेर (0.25 एलएमटी), एफएसडी बोरीवली (1 एलएमटी), एफएसडी सोलापुर (0.25 एलएमटी), बीजी-मलौत (1 एलएमटी), एफएसडी-सीएपी अलवर (0.5 एलएमटी), संडीला (हरदोई) (0.5 एलएमटी), लालपुर (बुलंदशर) (0.5 एलएमटी), एफएसडी रोजा (0.5 एलएमटी); एफएसडी धमोरा (0.25 एलएमटी); एफएसडी गोंडा (0.5 एलएमटी); एफएसडी खुर्जा (0.25 एलएमटी), एफएसडी चंदारी (1 एलएमटी) को खाली भूमि पर साइलो के विकास या मौजूदा सीएपी को खत्म करने के लिए चिन्हित किया गया है।

परिशिष्ट-एक

<u>सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति</u>

<u>(2021-2022) की उन्नीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति की बैठक मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1515 बजे तक कमरा सं. '147', तृतीय तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

<u>उपस्थित</u>

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री रामदास तडस

<u>राज्य सभा</u>

10. श्री के.सी. राममूर्ति
11. श्री एम. शनमुगम

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - संयुक्त सचिव
2. श्री जी.सी. प्रसाद - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया जिसका आयोजन निम्नलिखित चार प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार करने और स्वीकार करने हेतु किया गया है:-

(i) ***** ***** *****

(ii) ***** ***** ******

(iii) भारतीय खाद्य निगम से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

(iv) ***** ***** *****

3. तत्पश्चात समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदनों पर एक-एक करके विचार किया और बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया । तदुपरांत समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

(----------)

परिशिष्ट-दो

(प्राक्कथन का पैरा 4 देखें)

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	34
दो.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है [देखें सिफारिशें]	कुल - 32
	[देखें क्रम सं. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28,29, 30, 31, 32, 33 और 34 में सिफारिशें]	प्रतिशत - 94.12
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है।	कुल - शून्य
		प्रतिशत - शून्य
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किए है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है ।	कुल - 01
	[देखे क्रम.सं. 3 में सिफारिशें]	प्रतिशत - 2.94
पांच.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं ।	कुल -01
	[देखे क्रम.सं. 20 पर सिफारिशें]	प्रतिशत - 2.94